खण्ड-165, अंक-4
बुधवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(22 फरवरी, 1956 ई0)

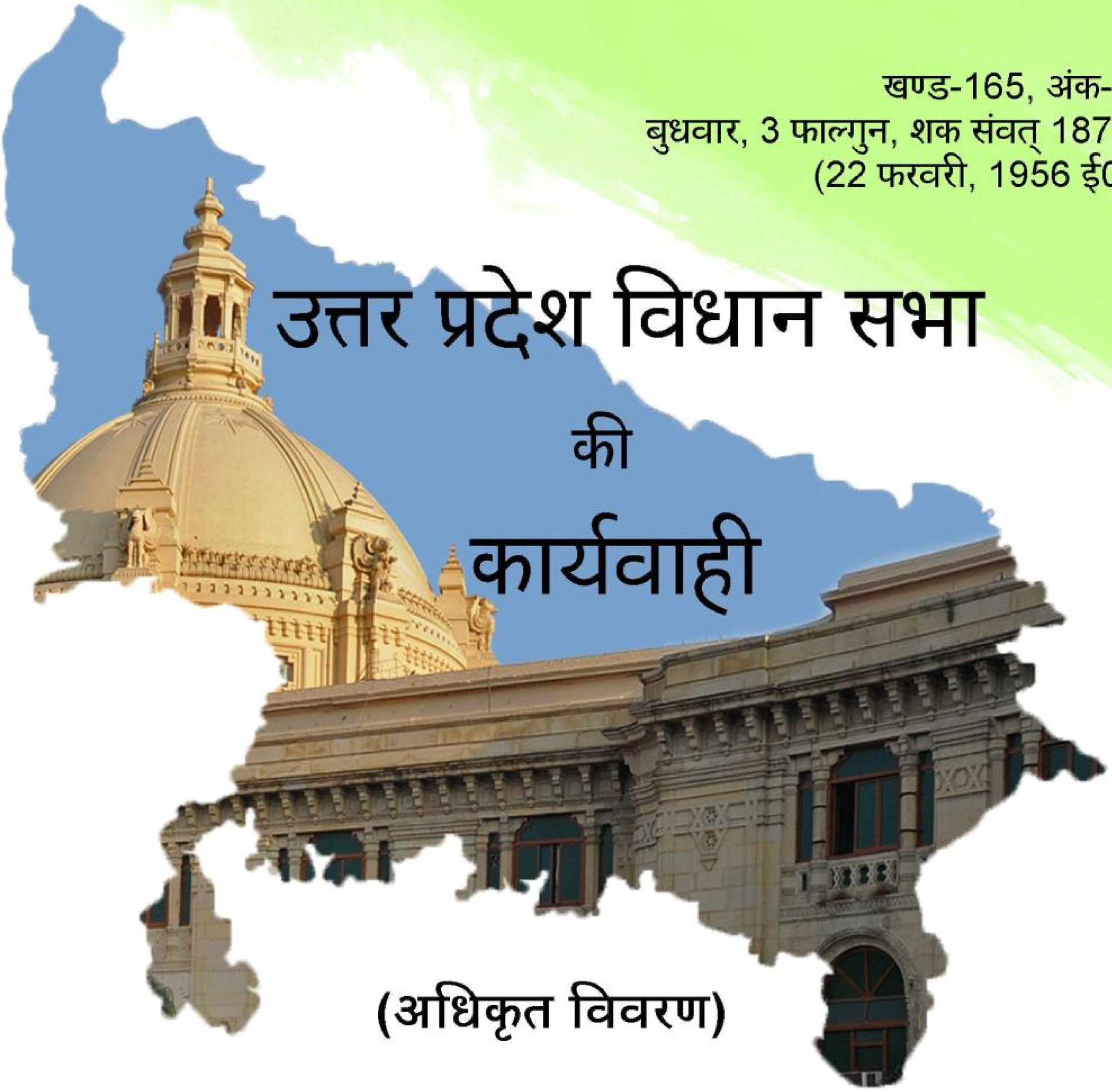

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 165 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
उपनाम छुन्नगुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरदेव सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरुप गुप्त, श्री
रामस्वरुप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री

हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर में खजूर से गुड़ बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

*१—श्री शिव पूजन राय—(जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार गाजीपुर में खजूर का गुड़ बनाने की योजना पर विचार कर रही है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जी नहीं ।

इंडिया कौंसिल आफ चाइल्ड वेलफेयर के अन्तर्गत लखनऊ में बच्चों का घर खोलने के लिये सहायता

*२—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन्डिया कौंसिल आफ चाइल्ड वेलफेयर की प्रदेशीय शाखाओं के कार्यों में सहायता देने के लिये अब तक उसने क्या किया है और क्या वे चुंगी और इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को हिदायत देंगे कि वे उनके इस कार्य में उचित और आवश्यक सहयोग दें ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सरकार ने इस संस्था की उत्तर प्रदेशीय शाखा को पिछले वित्तीय वर्ष में लखनऊ में एक बच्चों का घर चलाने के लिये ५,००० रुपये का अनावर्त्तक अनुदान प्रदान किया था जो वर्तमान वित्तीय वर्ष से आवर्तक कर दिया गया है । इसके अलावा इस संस्था को मुख्य मंत्री के निजी सहायता कोष से भी २५० रुपये प्रदान किये गये हैं और कुछ और भी अनुदान दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिससे कि यह संस्था समाज सेवा कार्य कर सके । चुंगी और इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को हिदायत देने के संबंध में कोई निवेदन सरकार से नहीं किया गया है और यदि भविष्य में संस्था ने इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की तो सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन वेलफेयर काउन्सिल का विशेष कार्यक्रम क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसका उद्देश्य छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य-सुधार, पालन, परवरिश और शिक्षा की व्यवस्था करना है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में २५० रुपये का उल्लेख किया गया है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १ श्री राम सुन्दर पांडेय ने तथा २ व ३ श्री वीरेन्द्रपति यादव ने पूछे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—संस्था के नियम और कार्यक्रम के अनुसार इस धन का उपयोग हुआ है।

आगरा नियोजन समिति की ओर से चकबंदी के सम्बन्ध में कथित प्रस्ताव

*३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार को आगरा नियोजन समिति की ओर से चकबन्दी के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*४–६—श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[७ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

पुरवा तहसील, जिला उन्नाव के आयुर्वेदिक चिकित्सालय

*७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिला के अन्तर्गत तहसील पुरवा में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहां-कहां हैं और वह कितने नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहां खोलने जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(१) इस तहसील में निम्नलिखित सरकारी देशी अस्पताल हैं—

१—करदहा } आयुर्वेदिक
२—पाठकपुर }
३—मझगवां यूनानी

(२) उक्त तहसील में नये औषधालय खोलने के सम्बन्ध में ग्राम रिसालखेड़ा और दरसवां सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि जिला प्लानिंग कमेटी ने दक्षिणपुरवा क्षेत्र में जगतपुर और बारा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का निश्चय किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्लानिंग कमेटी ने क्या निश्चय किया है उसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है परन्तु जिला चिकित्सा परामर्शदात्री समिति ने रिसालखेड़ा और दरसवां की सिफारिश की है वह मेरे पास मौजूद है।

*८–९—श्री देवदत्त मिश्र—[२१ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में खुलने वाले चिकित्सालय

*१०—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष सन् ५५–५६ में आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी अस्पताल प्रदेशीय सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—एक आयुर्वेदिक अस्पताल रेन्डा में स्वीकृत हुआ है तथा एक मर्दाना एलोपैथिक अस्पताल बड़हल गंज बाजार तथा एक जनाना एलोपैथिक अस्पताल मऊ में स्वीकृत हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बड़हल गंज अस्पताल को खोलने में जनता की ओर से सरकार को क्या सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री बनारसी दास—वहां की जनता से क्या सहायता प्राप्त हुई यह सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या अस्पतालों को खोलने के लिये सरकार की ओर से कोई शर्त निर्धारित होती है । यदि हां, तो क्या-क्या ?

श्री बनारसी दास—कोई खास शर्तें तो इसके लिये नहीं होती हैं । यह तो परिस्थिति पर निर्भर करता है । सरकार अपनी ओर से भी भवन का निर्माण करा देती है । जो भी राजकीय अस्पताल होते हैं उनमें सभी सरकार देती है । जिस जगह अस्पताल कायम हो यदि वहां स्थानीय इमारत कोई प्राप्त हो या चन्दा प्राप्त हो तो वहां के विषय में सरकार जरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है ।

आजमगढ़ जिले के घोसी अस्पताल के प्रान्तीयकरण में आर्थिक कठिनाई

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य मन्त्री ने १८ अप्रैल, सन् १९५५को आजमगढ़ जिले के घोसी अस्पताल में प्रान्तीयकरण करने का आश्वासन घोसी की जनता को दिया था ?

श्री बनारसी दास—आश्वासन इस शर्त पर दिया होगा कि जिला बोर्ड जो धन अपने कोष से इस अस्पताल के संचालन में वर्तमान समय में प्रति वर्ष खर्च कर रही है प्रान्तीयकरण के बाद सरकार को प्रतिवर्ष इस अस्पताल के संचालनार्थ देती रहेगी । किन्तु जिला बोर्ड इस शर्त को स्वीकार नहीं कर रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड आजमगढ़ ने इस अस्पताल का प्रांतीयकरण करने के लिये भवन सरकार को देने का वचन दिया है फिर भी उसका प्रांतीयकरण नहीं हुआ ?

श्री बनारसी दास—यह तो सही है कि बोर्ड ने ऐसा वचन दिया । पहले तो बोर्ड चाहता था कि उसका भी मुआविजा ले ले लेकिन बाद में बोर्ड ने जहां तक इमारत और इक्वीपमेंट का सवाल है उसे बिना किसी मुआवजा के देना स्वीकृत कर लिया लेकिन असल शर्त यह है कि अब तक बोर्ड जो आवर्त्तक व्यय अस्पताल पर करता रहा है उसे वह सरकार को देता रहे तो सरकार उसका प्रांतीयकरण कर सकती है जिसे उसने स्वीकार नहीं किया ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धन बोर्ड खर्च करता था घोसी अस्पतांल पर उस धन से दूसरी जगह ग्रामीण क्षेत्र में वह अस्पताल बनाने का विचार रखते हैं ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—ऐसी कोई सूरत नहीं आयी । लेकिन जैसा बताया गया सरकार की ओर से यह कहा गया था कि जिला बोर्ड उस धनराशि को जिसे प्रत्येक वर्ष वह खर्च करता है उसे देता रहे लेकिन उसने इसकी मनाही कर दी । प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां से प्रांतीयकरण की मांगें आती हैं परन्तु जैसी हमारी माली अवस्था है उसको देखते हुये सारे स्थानों के अस्पतालों का हम प्रांतीयकरण नहीं कर सकते जब तक जिला बोर्ड इस बात को न मानें कि वे जितना पैसा उन पर अब तक खर्च करते रहे हैं उसे वे देने के लिये उद्यत हैं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय जिला बोर्ड की आर्थिक स्थिति को देखते हुये इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे कि अगर सरकार को खर्चा नहीं मिलता है तो भी वह उसका प्रांतीयकरण कर दे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संचालन के बाद देखेंगे और यदि ऐसी हालत रही कि जिला बोर्ड बिल्कुल मदद नहीं कर सकता और हम साधन मुहइया कर सकते हैं तो पुनः विचार करने को उद्यत रहेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो सहायता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस अस्पताल को देता है अगर वह सहायता किसी दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोल कर करे तो ऐसी अवस्था में उस अस्पताल का प्रांतीयकरण करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस प्रश्न का इस रूप में संबंध है इस वक्त तो यही कह सकता हूं कि जब तक जिला बोर्ड किसी अस्पताल के ऊपर उतनी धनराशि व्यय करने को तैयार न हो जितना कि वह अब तक कर रहा है तब तक आज की हालत में सरकार की ओर से यही जवाब दिया जा सकता है कि सरकार इस सुझाव पर अमल करने को उद्यत नहीं है।

जौनपुर जिले में मुंगराबादशाहपुर विकास प्रसार योजना पर किये व्यय पर आपत्ति

*१२—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुंगराबादशाहपुर विकास प्रसार योजना जिला जौनपुर में ३१ अक्तूबर तक कुल कितना-कितना रुपया किस-किस मद पर खर्च किया गया है ?

श्री बनारसी दास—इस ब्लाक में ३१ अक्टूबर, १९५५ तक किये गये व्यय की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ १९७ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसी व्यक्ति को बांध बनाने के लिये कुछ रुपया दिया गया जो कि उसने मकान बनाने पर खर्च किया और रिपोर्ट यह दी कि बांध तो बनाया गया लेकिन वह बाढ़ में बह गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास कोई सूचना इसकी नहीं है। जो सूचना हमारे पास आई है उसमें तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है जिसका अभी मौर्य जी ने जिक्र किया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सूची में ग्रांट्स इन एड की रकम दी हुई है और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये २६ हजार ५ सौ की रकम दी गयी है, तो क्या इन रकमों में से कोई रकम बांध बनाने के लिये भी दी गई है।

श्री बनारसी दास—इसके डिटेल में जाने के लिये तो पहले से सूचना की आवश्यकता है। हमें तो सिर्फ इस वक्त यह सूचना है कि २६ हजार रु० छोटे-छोटे सिंचाई के कार्यों पर व्यय हुआ है। जहां तक बड़ी ग्रांट्स इन एड का सवाल है उसमें एक लाख रुपये की रकम सिंचाई विभाग को दी गई है जिसके द्वारा यह व्यय की गयी है। इसलिये यदि माननीय सदस्य को कोई इस प्रकार की सूचनायें हैं तो कृपा करके दे दें उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ग्रांट्स इन एड की रकम १ लाख २५ हजार ६४५ है, इसमें एक लाख रुपया सिंचाई विभाग को दिया गया, तो बाकी २५ हजार ६४५ रुपया किन लोगों को दिया गया ?

श्री बनारसी दास—वह तो शर्तें बनी हुई हैं। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स के स्थानीय लोगों को २/३ या ५० प्रतिशत श्रमदान करना पड़ता है या सहायता देनी पड़ती है और बाकी ब्लाक की तरफ से कंट्रीब्युशन होता है, कहीं १/३ या कहीं ५० प्रतिशत होता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह एक लाख रुपया सिंचाई विभाग को क्यों एड के रूप में दिया गया ?

श्री बनारसी दास—एड के लिये नहीं है। यह कार्य कराने के लिये दिया गया है, रास्ता बनाने के लिये सिंचाई विभाग के कर्मचारी आसानी से मिल सकते हैं इसलिये उनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है।

कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जौनपुर जिले में कूप निर्माण-कार्य

*१३—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जौनपुर जिले में सन् १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितने कुयें मंजूर हुये, कितने बने, कितनों को सहायता दी गई और कितनों को सहायता देना अभी बाकी है?

श्री बनारसी दास—कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जौनपुर जिले में १९५१-५२, १९५२-५३ में तथा १९५३-५४ में कितने कुएं मंजूर हुए, कितने बने, कितनों को सहायता दी गई और कितनों को सहायता देना शेष है, वह इस प्रकार है ?

	स्वीकृत कुओं की संख्या	बने हुये कुओं की की संख्या	कुएं जिनपर छूट दी गई उसकी संख्या	कुएं जिनपर सहायता देना शेष है
१९५१-५२	६४९	३००	३००	५
१९५२-५३	११४	८५	७८	..
१९५३-५४	१५१	१२१	५०	१०१

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१९५१-५२ में पांच कुओं पर सहायता देना शेष है और १९५३-५४ में बने हुये १०१ कुओं पर सहायता देना शेष है इसका क्या कारण है कि अभी तक सहायता नहीं दी गयी।

श्री बनारसी दास—जहां तक १९५१-५२ का सवाल है यह कार्य-प्लानिंग से पृथक था। इसका कंट्रोल चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग के अधीन था। इस संबंध में उनसे पूछा है और अभी तक सूचना चीफ इंजीनियर से प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक १९५३-५४ का सवाल है, इसका तरीका यह होता है कि इसमें मैटीरियल दे दिया जाता है विभाग की तरफ से। फिलहाल वह तकावी की शक्ल में होता है। जब कुआ पूरा-पूरा तैयार हो जाता है तो उसका निरीक्षण होता है। तब वह तकावी की रकम में से सहायता के रूप में दे देते हैं। इसलिये थोड़ा सा देखा जाय तो प्रोसीड्योर का सवाल है। अभी तक सर्टिफिकेट इश्यु नहीं होते तब तक वह सहायता नहीं दी जा सकती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१९५२-५३ में जो ८५ कुयें बने उनमें ७८ पर और १९५३-५४ में ५० पर छूट दी गयी तो सब पर छूट क्यों नहीं दी गयी ?

श्री बनारसी दास—उसके लिये निश्चित अवधि मुकर्रर होती है। जो सामान दिया जाता है वह तकावी के रूप में दिया जाता है। यदि निश्चित अवधि में कुआं नहीं बनता तो शर्त के मुताबिक वह अधिकारी नहीं होते उस सहायता पाने के।

राज्य के विभिन्न पागलखानों के सम्बन्ध में पूछताछ

*१४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश के विभिन्न पागलखानों में पागलों की क्या संख्या है तथा यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है या घट रही है ?...

श्री बनारसी दास—प्रदेश के विभिन्न पागल खानों में सन् १९५५ में पागलों की संख्या निम्नप्रकार से थी :

आगरा	..	४२७
बरेली	..	३८०
बनारस	..	२७५

प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि आगरा मानसिक चिकित्सालय में सन् १९५५ से पिछले वर्षों की अपेक्षा रोगियों की संख्या कुछ कम थी। बाकी दोनों अस्पतालों में यह संख्या पिछले तीन वर्षों से बढ़ रही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने इसकी कोई जांच करायी कि कितने व्यक्ति पारवारिक शोक के कारण पागल हुए कितने आर्थिक चिन्ता के कारण पागल हुए ?

श्री बनारसी दास—जो माननीय सदस्य ने सूचना मांगी है वह तो आंकड़ों के बारे में है। पागल होने के तो बहुत से कारण हैं। कितने आदमी मानसिक चिन्ताओं के कारण और कितने अन्य कारणों से हुए इसकी कोई विस्तृत सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार पागल होने के कारणों की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—अब इसके लिये कोई अलग से जांच समिति मुकर्रर की जाय इसकी आवश्यकता तो नहीं है। बहरहाल जब कोई आदमी रोगी होता है तो डाक्टर लोग उसके कारण को खोजने की कोशिश करते हैं और जितने मानसिक चिकित्सालय हैं वहां के डाक्टरों का काम है कि पता लगायें कि किस वजह से या बीमार हुआ और उसी का वह इलाज भी करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि इन पागलखानों में पागलों की समय से भर्ती करने के नियम इतने क्लिष्ट हैं कि वे समय से भर्ती नहीं हो पाते और इससे बड़ी असुविधा होती है ?

श्री बनारसीदास—यह ज्यादा तो शिकायत नहीं है। लेकिन इसके अन्दर कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई जरूर है। जब कोई आदमी पागल होता है तो पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाता है। तो थोड़ी उसमें देर हो सकती है। लेकिन इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती क्योंकि फिलहाल वहां की अस्थायी जेलों में वह लोग रख दिये जाते हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो बनारस का जिक्र किया गया है यहां मेंटल हास्पिटल कब से है ?

श्री बनारसी दास—यह काफी समय से है। लेकिन यह मेंटल हास्पिटल केवल कैदियों के लिये है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री जी पूर्वी जिलों में मेंटल हास्पिटल खोलने का प्रयत्न करेंगे जैसी कि घोषणा उन्होंने इस समय में कुछ समय पहले की थी ?

श्री बनारसी दास—यह तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में है कि पूर्वी जिलों के अन्दर एक मानसिक चिकित्सालय बनेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि पागलखानों में जो इलाज होता है वहां अभी तक साइकोअनैलिसिस का जो नया तरीका निकला है उसको कोई स्थान नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी बात नहीं है। अब आगरा में भी और बरेली में भी इस साइकोअनैलिसिस का पूरा इन्तजाम हो रहा है और अब मरीजों के इलाज के लिये औक्यूपेशनल थेरापी इत्यादि भी काफी मात्रा में बढ़ायी जा रही है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फर्मा कर बतायेंगे कि इन पागलखानों में मगरबी अजला के पागल अलग रखे जाते हैं और पूर्वी अजला के अलग रखे जाते हैं या दोनों एक ही साथ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था होने की जरूरत पड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था किन्हीं महानुभावों की वजह से करनी पड़ी तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—आगरे में पागलों की इतनी अधिक संख्या क्यों है ?

श्री बनारसी दास—कोई खास कारण तो नहीं है। वजह सिर्फ यह है कि वहां का मानसिक चिकित्सालय सबसे बड़ा है और शैयायें सबसे अधिक हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन दो पागलखानों में कुछ जिले इस तरह से निर्धारित कर दिये गये हैं कि उन्हीं जिलों के लोग इन इन पागलखानों में रहेंगे और क्या यह भी सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर एक पागलखाने में जगह न हो तो उन जिलों के लोग दूसरे में अगर जगह हो तो वहां रखे जा सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलों के ऊपर कोई कड़ा बटवारा है नहीं। अकसर ऐसा होता है कि बरेली के नजदीक के जिलों के रहने वाले भी आगरे के जेलखाने में भेजे जाते हैं और उसका मुख्य कारण यह है कि जैसा कि बताया गया कि आगरा का पागलखाना पुराना पागलखाना है और उसमें इलाज इत्यादि की व्यवस्था बरेली इत्यादि से अधिक मात्रा में है और साथ ही उस आगरे के पागलखाने में बेड्स की संख्या भी करीब एक हजार तक या साढ़े छः सौ तक के हैं। तो जब बरेली में स्थान नहीं होता है तो आगरे में वह पागल इलाज के लिये भेजे जाते हैं।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पागलखानों में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या में क्या अन्तर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके आंकड़े तो हमारे यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन काफी संख्या में अब स्त्रियां भी पागलखानों में हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या नियोजन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के कितने पागल रांची पिछले वर्षों में गये हैं जहां अभी कुछ दिन पहले नियोजन मंत्री जी स्वयं गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रांची का जो सैनेटोरियम है उसमें ज्यादातर पहले अंग्रेज जो पागल होते थे वह भेजे जाया करते थे और पुराने वक्त से ऐसा कुछ नियम चला आ रहा था कि प्रदेशीय सरकार को कुछ रुपया रांची के सैनटोरियम को चलाने के लिये देना पड़ता था। अब हमारे ही यहां जो अस्पताल पागलों के हैं इनमें अच्छा प्रबन्ध हो गया है और आधुनिक ढंग का इलाज होने लगा है तो ऐसा विचार है कि रांची में रुपया जो हम देते हैं उसे हम अब न दें और यहां के पागलों को वहां भेजने की व्यवस्था न करनी पड़े।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जैसा कि प्रदेश में जांडिस के रोगी ज्यादातर मात्रा में पाये जाते हैं तो ऐसे ही यह पागलपन की बीमारी भी काफी मात्रा में होने लगी है, इसके कारण की खोज करने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण तो बहुत कुछ सामाजिक व्यवस्था से है और सामाजिक व्यवस्था हममें से हर एक जानता है कि ऐसी होती जा रही है जिससे आर्थिक कठिनाइयों के कारण और कभी कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भी कुछ लोग पागल से प्रतीत होते हैं और पागलपन की सी बात करते हैं, इसलिये कभी कभी ऐसा हमें एहसास होता है कि उनकी संख्या इन कारणों से बढ़ती जाती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या आनरेबुल मिनिस्टर साहब मेहरबानी फर्माकर बतायेंगे कि जो जवाबात पागलखानों के सिलसिले में अभी तक उन्होंने दिये हैं वह अपने जाती तजुर्बे की बिना पर दिये हैं या महज रिपोर्ट की बिना पर दिये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्वास्थ्य मंत्री का जाती तजुर्बा तो उन्हीं लोगों से होता है जो कि रोजमर्रा उसके सम्पर्क में आते हैं और उसको घेरे रहते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या यह सही है कि आगरा इस प्रदेश का मानसिक सन्तुलन ठीक रखने में पूर्वी और पश्चिमी जिलों की समान रूप से सेवा कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह उठता नहीं सवाल। आप अपने को बधाई दे लें, वह ज्यादा अच्छा है।

पक्का बाजार, बस्ती की धर्मशाला में नेत्र चिकित्सालय खुलने से स्थानाभाव की शिकायत

*१५—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि पक्का बाजार बस्ती के एक मात्र धर्मशाला में कुछ महीनों से आंख का अस्पताल खोला गया है जिससे कि शहर में आने-जाने वाले मुसाफिरों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है ?

श्री बनारसी दास—(१) जी हां, बद्रीदत्त गौरीदास धर्मशाला बस्ती के थोड़े से भाग में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय ने अपनी एक शाखा खोल रखी है। (२) जी नहीं, स्थानाभाव के कारण यात्रियों को कोई असुविधा नहीं है।

*१६—श्री सीताराम शुक्ल—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को किसी अन्य उपयुक्त स्थान में स्थानान्तरित कराके यात्रियों की परेशानी दूर करने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस धर्मशाला में कुल कितने कमरे हैं और उनमें से कितने अस्पताल के कब्जे में हैं ?

श्री बनारसी दास—कमरे कितने हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उस धर्मशाला के १/३ हिस्से में २५ शय्याओं का नेत्र चिकित्सालय है और बाकी २/३ हिस्सा स्वयं धर्मशाले के कब्जे में है। नेत्र चिकित्सालय के कब्जे में जो हिस्सा है वह धर्मशाले के मालिक ने स्वयं दिया है। इसके अलावा जिला मेजिस्ट्रेट सिविल सर्जन से जांच कराई थी। मालूम हुआ कि अब भी वहां पर कमरे खाली रहते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस बात का सरकार जरूर प्रयत्न करेगी कि वहां पर दूसरी जगह पर नेत्र चिकित्सालय बनाया जाय क्योंकि उसकी उपयोगिता भी अधिक है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पक्का बाजार बस्ती में सिवाय बद्रीदत्त गौरीदत्त के धर्मशाले के कोई दूसरा धर्मशाला नहीं है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है और जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि वहां जरूर एक पृथक भवन की आवश्यकता है क्योंकि वहां रोगी काफी तादाद में आते हैं। लेकिन उस धर्मशाले में नेत्र चिकित्सालय होने की वजह से कोई खास असुविधा नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि गत वर्ष बस्ती में एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि उस धर्मशाले को केवल धर्मशाले के काम में ही रखा जाय ?

श्री बनारसी दास—यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ लेकिन जरूर कोई ऐसा सार्वजनिक सभा हुई होगी और ऐसा प्रस्ताव पास किया गया होगा। लेकिन वह चिकित्सालय तो धर्मशाला के मालिक की मर्जी से ही है, उसके खिलाफ तो नहीं है।

राज्य में चीनी मिलें खोलने के लिये विशेषाधिकारी का दौरा

*१७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने चीनी मिल प्रदेश के किस-किस भाग में खोली जायें इसके लिये कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया है ? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति कब हुई और वह अब तक किस-किस जिले में भ्रमण कर चुके हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, इस विशेष अधिकारी को (जो अपने और काम के साथ इस काम को कर रहा है) यह कार्य गत अगस्त मास के उत्तरार्ध में सौंपा गया और वह इस कार्य के सम्बन्ध में अब तक लखीमपुर, सीतापुर हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, नैनीताल, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, बस्ती गोरखपुर और देवरिया जिलों का भ्रमण कर चुका है।

*१८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस विशेष अधिकारी पर कुल सरकार का कितना व्यय होगा ?

श्री बनारसी दास—अधिकारी प्राविंशियल मार्केटिंग आफिसर तथा उप-गन्ना आयुक्तों (Deputy cane commissioners) में से एक है और इस कारण इस काम के लिए इस अधिकारी पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अधिकारी ने जिन-जिन जिलों का भ्रमण किया है वहां की कोई रिपोर्ट तैयार की है ? यदि हां, तो बुलन्दशहर जिले के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बुलन्दशहर जिले के सम्बन्ध में अभी कोई सिफारिश या रिपोर्ट तो उन्होंने नहीं दी है लेकिन अन्य जिलों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सिफारिशें भेजी हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विशेषाधिकारी जब इन जिलों के भ्रमण पर गये तो कौन सा काम करने गये, गन्ने के सम्बन्ध में या चीनी मिलों के सम्बन्ध में कि कहां खोली जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह सारे केन एरिया का अध्ययन करेंगे और कौन एरिया मिल के लगाने का उपयुक्त स्थान हो सकता है, तमाम बातों की जांच करने के लिये वहां गये थे।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये चीनी मिलें सहकारिता के आधार पर खोली जायंगी या सरकार अपने खर्चे पर खोलेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार कोआपरेटिव मिलें खोलने की नीति हमने अपना रखी है और उन चार में से दो स्थानों पर तो हमने अगले वर्ष से मिलें लगाने का प्रबन्ध किया है। दो सहकारी मिलों के विषय में अभी निर्णय नहीं ले सके यद्यपि उनमें से एक के ऊपर विचार हो रहा है और एक का निर्णय हम बाद में करेंगे।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में कोई चीनी मिल खोलने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी गाजीपुर के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट या सिफारिश नहीं आई है, जब आ जायगी तो उस समय लगाने की बात सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मिलों की स्थापना का विषय ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ही मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस इत्यादि देती है और हमारा आगे मिलों के लगाने के सम्बन्ध में क्या कदम होगा वह इस बात पर आश्रित रहेगा कि केन्द्रीय सरकार मिल लगाने के विषय में लाइसेंस देने की नीति में क्या परिवर्तन करती है या किस तरह से वह लायसेंस देने के लिये उद्यत है।

श्री देवदत मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उन्नाव जिले में चीनी मिल बन्द पड़ी है उक्त विशेषाधिकारी को वहां जाने के लिये आदेश देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--विशेषाधिकारी तो इस प्रदेश के प्रत्येक जिले में जायगा और प्रत्येक जिले के बारे में गन्ना की व्यवस्था का विचार करके सरकार को कतई रिपोर्ट देगा। लेकिन अभी तक कोई कतई रिपोर्ट चीनी मिल लग सकती है या नहीं या गन्ने का उत्पादन अधिक है इस सम्बन्ध में दी नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह दो स्थान जिनके लिये निर्णय हो गया है और जो विचाराधीन हैं उनके बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो दो स्थान तराई भावर में एक बाजपुर और दूसरा रुद्रपुर है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विशेषाधिकारी आजमगढ़ जिले में क्यों नहीं गया जब कि वहां गन्ने का उत्पादन बहुत होता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब दे दिया गया है कि वह सब जिलों में जायगा इसके बाद यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की कोई रिपोर्ट आ गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है?

श्री अध्यक्ष—जिन जिलों की रिपोर्ट आई है उनके नाम पढ़ दिये गये हैं। इसके बाद यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खीरी के बारे में क्या रिपोर्ट दी है?

श्री अध्यक्ष—यह भी आप नहीं पूछ सकते क्योंकि रिपोर्ट के बारे में सब नाम दे दिये गये हैं और मैंने हर जिले के लिये आदेश नहीं दिया है कि उनके बारे में प्रश्न पूछा जायं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने बतलाया कि इस सूबे में चार मिलें खोली जायंगी तो क्या ज्यादा मिलें खोलने का सवाल नहीं है और चार मिलों के बारे में विशेषाधिकारी रिपोर्ट देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है वह तो अधिक से अधिक संख्या में जहां मिलें लग सकती हैं उसके लिये उद्यत है परन्तु सवाल धन का है। जो योजना हमने तैयार की थी और जिसको केन्द्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित किया गया था, उसमें काफी धनराशि इस कार्य के लिये रखी गई थी कि हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को चलाने के लिये व्यक्तियों तथा संस्थाओं को ऋण प्रदान करेंगे जिससे वह व्यक्ति तथा संस्थायें हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के उद्योग लगा सकें और चीनी मिलों का उद्योग भी सम्मिलित था परन्तु जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि केन्द्रीय आयोग ने कुल ४ कोआपरेटिव मिलों के लगाने की व्यवस्था को हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मंजूर किया है।

बुलन्दशहर जिले के जच्चा-बच्चा केन्द्र

*१९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में कितने जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं और कहां-कहां?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस समय बुलन्दशहर जिले में निम्नलिखित प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं:

१—गुलावठी
२—औरंगाबाद
३—जहांगीराबाद
४—ऊंचागांव
५—खुरजा (म्युनिसिपल बोर्ड)

इस वित्तीय वर्ष में इस जिले में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई है:

१—शिकारपुर
२—बोनबहादुरनगर
३—जेवर।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष में सरकार ने जो नये प्रसूतिका-गृह खोलने का आयोजन किया है, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है या उससे बाहर है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आगे शुरू होगी। वह तो इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद में एक भी प्रसूतिका-गृह नहीं खोला जा सका? इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शायद शिकारपुर का असर सरकार के ऊपर भी आ गया।

बस्ती जिले में निर्मित नलकूपों पर व्यय

*२०—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में कितने ट्यूबवेल बन चुके हैं और उन पर कुल कितना खर्चा हुआ है?

श्री बनारसीदास—बस्ती जिले में अभी तक कुल २०८ ट्यूबवेल्स बन चुके हैं और उन पर कुल लगभग ५०,८९,७१२ रुपये खर्च हो चुके हैं।

*२१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सत्य है कि यह ट्यूबवेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस ट्यूबवेल्स को ठीक से चलाने के लिये और अब तक के असन्तोषप्रद कार्य से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध वह क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसी दास—सभी ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में ऐसा कहना तो सत्य नहीं है। हां, बस्ती केन डेवलपमेंट यूनियन के ४ नलकूप विद्युत शक्ति न प्राप्त होने से कार्य नहीं कर रहे हैं। राजकीय नलकूप जो कभी-कभी मशीनरी के खराब होने अथवा अचानक बिजली फेल होने से थोड़े समय के लिये बन्द रखने पड़ते हैं शीघ्र ही ठीक करके चालू कर दिये जाते हैं। ऐसी दशा में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन २०८ ट्यूबवेल्स में से कितने राजकीय हैं और कितनी दूसरी संस्थाओं के?

श्री बनारसी दास—३२ तो निजी नलकूप हैं। ४ ऐसे हैं जिनको कि केन डेवलपमेंट यूनियन के द्वारा बनाया गया है। सहयोगी नलकूपों की संख्या १३ है। राज्य की तरफ से कुल १५९ बनाये गये हैं। इस तरह से कुल २०८ होते हैं?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो ४ ट्यूबवेल बस्ती के अन्तर्गत हैं उनको गवर्नमेंट बिजली प्रदान कराने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास—उसका तो उत्तर दिया जा चुका है कि यह जो ४ केन यूनियन की तरफ से हैं उनमें अब तक बिजली नहीं मिल पायी थी। अब जल्दी ही कोशिश की जा रही है कि उनका मिल जाय।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विभिन्न ट्यूबवेल दूसरी संस्थाओं के हैं उनके द्वारा क्या ग्राम जनता की, किसानों की, सींच करने की आज्ञा दी जायगी?

श्री बनारसी दास—और तो कोई अन्य संस्था है नहीं। इसमें तो ३२ निजी हैं, उसका मतलब साफ है कि जिनके कुएं हैं वही सिंचाई करेंगे। जहां तक सहयोगी ट्यूबवेल्स का सवाल है, जो लोग उसके सदस्य हैं उनको पानी मिलेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि ट्यूबवेल बस्ती जिले में चल रहे हैं, प्रत्येक तहसील में कितने-कितने ट्यूबवेल्स होते हैं ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो पहले से सूचना की आवश्यकता है।

*२२-२३—**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—[२१ मार्च, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

एक्साइज़ कमिश्नर आफ़िस मिनिस्टीरियल एसोसियेशन, इलाहाबाद की मांगें

*२४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास एक्साइज कमिश्नर आफिस मिनिस्ट्रियल एसोसियेशन, इलाहाबाद की आम सभा द्वारा २१ अक्तूबर, १९५५ को भेजी गई कुछ मांगें आई हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मादककर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां।

मादक कर आयुक्त ने हाल में (१५—१०—१९५५) अपने कार्यालय के सहायक अधीक्षक के एक पद पर अपने स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की थी। एसोसियेशन ने यह मांग की कि सहायक अधीक्षक के पद पर नियुक्ति कार्यालय के कर्मचारियों की ही होनी चाहिए।

सरकार ने एसोसियेशन की मांग को पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात, अस्वीकृत कर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस अस्वीकृति के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों पर अस्वीकृत किया गया है। मिनिस्टीरियल एसोसियेशन यह चाहता था कि उसी एसोसियेशन के जो मेम्बर्स थे उन्हीं में से यह प्रमोशन दिया जाय। उसके अन्दर कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट की तीसरी पोस्ट के लिये उपयुक्त होता, इसलिये एक्साइस कमिश्नर ने उनकी इस डिमांड को नामंजूर करके बाहर से उसकी नियुक्ति की।

बेतवाघाट, जिला नैनीताल में प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र की आवश्यकता

*२५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य विभाग ने बेतवाघाट, जिला नैनीताल में प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का निश्चय कर लिया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस स्थान पर उक्त केन्द्र खोलने का है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायगा।

कानपुर मेडिकल कालेज के भवन निर्माण पर व्यय का अनुमान

*२६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में Medical College के लिये जगह चुन ली गई है? यदि हां, तो वह किस स्थान पर है?

श्री बनारसी दास—जी हां, कानपुर कृषि कालेज के फार्म की भूमि पर कानपुर मेडिकल कालेज की इमारत बनेगी जो लाला लाजपत राय अस्पताल के सामने है।

*२७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि "Medical College" में कितना रुपया लगेगा और इमारत कब तक बन कर तैयार हो जावेगी?

श्री बनारसी दास—कानपुर मेडिकल कालेज के भवन निर्माण पर लगभग १४५ लाख रुपया व्यय होगा। इमारत का मुख्य भाग दो वर्षों में बन जाने की आशा है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रारम्भ हो गया है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या इस कालेज का नामकरण गणेशशंकर विद्यार्थी के नाम से उनकी स्मृति में होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इस संबंध में निश्चय नहीं किया है।

गढ़वाल जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र

*२८—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल जिले में कुल कितने राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र किस क्रम से खुलने वाले हैं और उनके क्रम व श्रेणियों की प्राथमिकता किन-किन आधारों पर दी गई है?

श्री बनारसी दास—जिला गढ़वाल में ११ और राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र जहां तक संभव है नीचे दी हुई प्राथमिकता के आधार पर खोलने का विचार है—

१—नागपुर
२—मल्ला
३—देवगढ़
४—दसोली
५—चोन्दकोट
६—बारास्यूं (प्रथम)
७—तल्ला सला (प्रथम)
८—बारास्यूं (द्वितीय)
९—चांदपुर
१०—तल्ला सला (द्वितीय)
११—खामभाबर

इनके क्रम व श्रेणी की प्राथमिकता जिला नियोजन समिति ने स्थानीय आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की है।

नोट—तारांकित प्रश्न २६–२७ श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछे और तारांकित प्रश्न २८ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

जमानिया, जिला गाजीपुर में कारखाना खोलने का विचार

*२९—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के अन्तर्गत जमानिया में कागज का कारखाना खोलने का आयोजन किसी उद्योगपति द्वारा प्रदेशीय सरकार के आदेश से हो रहा है ? यदि हां, तो कब और किस उद्योगपति के द्वारा ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जमानिया के आस-पास सरकार की ओर से कोई कारखाना खोलने का आयोजन है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह सही है कि वहां इस वक्त में एक मेसर्स साहू केमिकल कंपनी जमानिया में या उसके आस-पास इस बात का विचार कर रहे हैं कि वहां सोडा ऐश ऐन्ड अमोनियम क्लोराइड फैक्ट्री खोली जाय । गवर्नमेंट की सहायता पाने के पहले इसके लिये लाइसेंस उनको बिहार में मिला था और गवर्नमेंट आफ इंडिया को उन्होंने अप्लाई किया है कि यहां के लिये लाइसेंस दे दिया जाय । अगर वहां पर उन्हें नहीं मिल पाया तो यह भी इरादा वहां पर है कि वह फैक्ट्री वहां के लिये एक रेयन का कारखाना चालू कर दे । उसके लिये भी, दूसरी जगह के लिये भी लाइसेंस मिल जायगा और इसके लिये वह प्रयत्न कर रहे हैं । बहरहाल, कोई कारखाना अगर यहां के लिये हो तो गवर्नमेंट उसके लिये मदद करेगी ।

आजमगढ़ जिले के अमिला टाउन एरिया में अस्पताल खोलने के लिये आवेदन-पत्र

*३०—श्री झारखंडे राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जब वे गत ग्रीष्म ऋतु में आजमगढ़ जिले गये थे, तो दोहरीघाट मधुबन के रास्ते में उनसे अमिला के नागरिकों की ओर से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल मिला था और अमिला टाउन एरिया में एक अस्पताल के हेतु एक सैकड़ों व्यक्तियों के हस्ताक्षर से आवेदन-पत्र दिया गया था ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

*३१—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस विषय पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, अन्य स्थानों के साथ यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

श्री झारखंडे राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि पंचवर्षीय योजना से उनका अर्थ द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है ? यदि हां, तो उसके किस चरण में इन अस्पतालों की व्यवस्था की जा सकेगी ?

श्री बनारसी दास—वह समय तो माननीय सदस्य ने ही अपने प्रार्थना-पत्र के अंदर लिखा था कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के कार्यकाल में इसको पूरा कर दिया जाय । तो इसलिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही इस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में या मध्य में या अंत में यह अस्पताल खोलने की व्यवस्था हुई है ?

श्री बनारसी दास—अभी इस संबंध में कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता । दूसरी पंच वर्षीय योजना में विचार होगा, शुरू में, आखिर में या कब यह व्यवस्था होगी यह अभी से नहीं कहा जा सकता ।

*३२–३४—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[७ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों का नामनिर्देशन

श्री अध्यक्ष—अगले वर्ष के लिये अधिष्ठाता मंडल के वास्ते १० नाम मुझे निश्चय करने थे । लेकिन अभी मैं कुछ माननीय सदस्यों से बात नहीं कर पाया हूं कि वे अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं । इसलिये मैं फिलहाल ६ सदस्यों के नाम घोषित करता हूं । जो मंडल में होंगे । वे इस प्रकार हैं:—

श्री बेचन राम गुप्त, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री सुल्तान आलम खां, श्री सुरेश प्रकाश सिंह, श्री मलखान सिंह, श्री महीलाल ।

इन ६ नामों को मैं अभी घोषित किये देता हूं और बाकी ४ के नाम बाद में दूंगा । मैं यह चाहता हूं कि सभी दलों के लोग इसमें शामिल हों । परन्तु कुछ परिवर्तन ऐसा हो गया है कि एक दल के दूसरे में चले गये, तो मुझे उनसे बात करने की आवश्यकता पड़ गई है । कुछ लोगों के देहान्त हो जाने के कारण या इस्तीफा दे देने के कारण या उनकी मेम्बरी हट जाने से उनका नाम कट गया था । उनके स्थान भी मुझे भरने हैं । इसलिये ऊपर बाद में विचार करके मैं उन लोगों के बारे में जिक्र करूंगा । अभी तो ये ६ नाम जो मैंने घोषित किये हैं ये अधिष्ठाता मंडल के सदस्य होंगे ।

आश्वासन समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष—आश्वासन समिति में जो अगले वर्ष के लिये सदस्य रहेंगे वे ये हैं । चूंकि पिछली समिति बहुत थोड़े अर्से तक काम कर सकी, इसलिये पुराने ही सब सदस्यों को मैं मंजूर करता हूं, उन्हीं को इस समिति में रखता हूं । वे ये हैं:—

१—महाराजकुमार बालेन्दुशाह, सभापति
२—श्री गंगाप्रसाद सिंह, बलिया
३—श्री व्रजविहारी मिश्र, आजमगढ़
४—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, इलाहाबाद
५—श्री अजीज इमाम, मिर्जापुर
६—श्री रामसुमेर, फैजाबाद
७—श्रीमती प्रकाशवती सूद, मेरठ
८—श्री गोवर्धन तिवारी, अल्मोड़ा
९—श्री नेकराम शर्मा, अलीगढ़
१०—श्री जगदीशसरन, बरेली
११—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि, हरदोई
१२—श्री जोरावर वर्मा, हमीरपुर
१३—श्री मदनमोहन उपाध्याय, अल्मोड़ा
१४—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, झांसी
१५—श्री रामसुन्दर पांडेय, आजमगढ़

शनिवार, २५ फरवरी, १९५६ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं होती तथापि १९५५–५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५६–५७ के आय व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रियेशन बिल्स) को

३१ मार्च, १९५६ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियत समय पर शनिवार, २५ फरवरी, १९५६, को भी होगी ।

इस सम्बन्ध में कल भी कुछ चर्चा हुई थी । एक दिन का इस सदन के प्रोग्राम में परिवर्तन हो जाने से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि २५ तारीख शनिवार को भी सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर वोटिंग की जाय । इसलिये यह संकल्प इस सदन में रखा गया है कि सदन इसे स्वीकार करे ताकि सप्लीमेंटरी डिमांड्स का कार्य भी २५ तक समाप्त हो जाय । मुझे विश्वास है कि सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं कि बजाय शनिवार के, २५ फरवरी के, सदन प्रति दिन १ घंटा अधिक कार्य करे ताकि शनिवार का कार्य इस बढ़े हुये १ घंटे में हो जाय । शनिवार को पहले से सदस्यगण अपना कार्यक्रम रख लेते हैं और इस शनिवार को भी रखे ही होंगे ।

श्री अध्यक्ष---आप शायद अनुपूरक अनुदानों के बारे में मतगणना २५ तारीख को कराना चाहते हैं । एक एक घंटा रोजाना के हिसाब से यह चीज नहीं हो सकती । तो जिस उद्देश्य से यह संकल्प आयी है कि २५ तारीख को हर एक विभाग की ग्रान्ट्स पर मतगणना हो, वह इस संशोधन से पूरी नहीं होती ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस शनिवार का प्रश्न है जोकि २५ तारीख को पड़ रहा है उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि वह एक खास परिस्थिति के कारण ऐसा किया जा रहा है । लेकिन इसके साथ ही साथ में माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये आगाह कर देना चाहता हूं कि वे हर शनिवार को मांगने की कोशिश न करें । वे ऐसा न समझें कि उसके लिये हम हर बार राजी हो जायेंगे । क्योंकि आज तो ऐसी विशेष परिस्थिति थी जिसकी वजह से हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कार्य-क्रम है उसके अनुसार २४ तारीख को आयव्ययक पेश किया जायगा । इसलिये उसको देखने के लिये हमें दो रोज का समय तो अवश्य ही मिलना चाहिये । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसके बजाय ३ मार्च को जो शनिवार पड़ने वाला है वह ले लिया जाय और शनिवार को रहने दिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो बात कहीं मैं जरूर उससे सहमत हूं लेकिन बाजवक्त ऐसी बातें हो जाती हैं जिन पर इंसान का कोई काबू नहीं रहता ऐसी परिस्थिति में दूसरे शनिवारों के लिये कोई वादा उनसे कर देना मुनासिब नहीं मालूम होता और यह मेरे लिये दिक्कत तलब बात है ।

जहां तक द्वारका प्रसाद मौर्य जी के संशोधन का ताल्लुक है, उन्होंने कोई ऐसी अहम बात नहीं बतायी कि उनको इस २५ तारीख वाले शनिवार को कौन सा विशेष काम है कि जिसकी वजह से उनको दिक्कत मालूम होती है और उसके बजाय उन्होंने ३ मार्च का संशोधन उपस्थित किया । इसलिये मैं समझता हूं कि काम बहुत जरूरी है उसको २५ तारीख को खत्म कर देना ज्यादा मुनासिब होगा तथा अच्छे काम को देर तक के लिये पोस्पोन करना मुनासिब नहीं मालूम होता । इसलिये मैं उनके संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---चौधरी चरण सिंह २५ तारीख को मेरे यहां जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं होती तथापि १९५५-५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५६-५७ के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रियेशन बिल्स) को ३१ मार्च, १९५६ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियत समय पर शनिवार २५ फरवरी, १९५६ को भी होगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

***श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)—स्पीकर साहब, मैं कल आपकी सेवा में कुछ तालीम के मुताल्लिक अर्ज कर रहा था और यह शिकायत कर रहा था कि आपके साये के बावजूद भी उसका मिआर पस्त हो रहा है । दूसरे मैं ख्याल करता था कि मोअज्जिज गवर्नर साहब अपने ऐड्रेस में अभी जो यूनिवर्सिटी में गुजिश्ता वाकयात हुए उनके मुताल्लिक कुछ सुझाव देंगे क्योंकि वह वहां के चांसलर भी हैं लेकिन ऐड्रेस में ऐसी कोई चीज हमने नहीं पाई, इसका हमें अफसोस है अगर वह चीज उसमें रहती तो ज्यादा बेहतर होता । यह सही है कि अदबी एतबार से भी वह हमारे सूबे की एक बड़ी शख्शियत हैं और उनकी एक फाजिलाना शोहरत है और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वह हमारे सूबे के पुराने काम करने वाले हैं लेकिन कुछ वाकयात की बिना पर उनकी मनशा भी अधूरी रह गई । अगर वह मुकम्मिल हो सकती तो बहुत बेहतर होता ।

मुझे कुछ महकमे पुलिस के बारे में भी अर्ज करना है । मुझे अफसोस है कि इस वक्त यहां पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द साहब तशरीफ नहीं रखते वर्ना मैं उनसे अर्ज करता, लेकिन फिर भी बहरहाल जो कुछ मैं अर्ज करूंगा वह उम्मीद है कि उन तक पहुंच जायगा । अगर्चे आज पुलिस का महकमा एक ऐसे काबिल, लायक तजुर्बेकार आदमी के पूरे कब्जे में है लेकिन अफसोस होता है यह कहते हुए कि तीन चार साल के हालात से और तजुर्बे से कि काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है और उस महकमे से तहजीब और शाइस्तगी दिन पर दिन दूर होती जा रही है और इसी तरह से वह दूर होती जा रही है जिस तरह से कि जानवर के सिर से सींग । वहां आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि शक है कि तहजीब, अदब और शाइस्तगी रहेगी या नहीं । मेरा यह मतलब नहीं है कि उसमें कुछ मोहज्जब और शाइस्ता लोग नहीं हैं । वहां बहुत से पुलिस के जिम्मेदार लोग काफी शाइस्ता और मोहज्जब मौजूद हैं, कुछ ऊपर के अफसरान बहुत ही तहजीबयाफ्ता और शाइस्ता हैं जिनको हर एतबार से अच्छा कहा जा सकता है । अभी यू० पी० गवर्नमेंट के भेजे हुए लखनऊ के एक पुलिस सब-इंसपेक्टर मिस्टर डी० डी० शर्मा मेरे पास पहुंचे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझसे फरमाया कि आप के खिलाफ १२४ ए०, ५०५ के मामले दर्ज हुए हैं और मैं सरकार की तरफ से आपके बयानात लेने के लिये भेजा गया हूं । मैं तो उम्मीद नहीं करता था कि एक सदन के मेम्बर के बयान लेने के लिये इस तरीके से एक सब-इंस्पेक्टर को भेजा जायगा और इतना जलील किया जायगा और हमारे पुलिस वाले भी हालांकि उनको जलील करने में कोई दकीका नहीं उठा रखते लेकिन बेहतर होता अगर चीफ मिनिस्टर साहब हमसे बयान लेते लेकिन खैर जिस तरह से डी० डी० शर्मा मेरे पास पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात की उससे मुझे मुसर्रत हुई और बहुत अच्छे तरीके से शाइस्ता तरीके से वह मुझ से पेश आए और उनका तरीका बहुत शरीफाना था, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जमाने की आंखें बन्द नहीं हैं और हम और आगे बढ़ेंगे और इतना बढ़ेंगे कि दुनिया के अन्दर जो हकीकत है, जो सच्चाई है वह सामने आ जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं एक दूसरे और बहुत अहम वाकै की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जो बाबरी मसजिद के वाके के नाम से सदन और अवाम जानते होंगे। वहां पर एक वाकया हुआ था कि कुछ थोड़े से लोग वहां नमाज पढ़ने चले गए और वहां उनकी मारपीट की गई और फिर आखिरस मामला आपस में तय हो गया और गवर्नमेंट से मामला तय होने पर उन से माफीनामा तलब किया गया था और माफीनामे दिए गए, जुर्माने वापिस होने की बात उस वक्त हुई थी लेकिन अफसोस है कि अभी तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि जो वादा जनाब सम्पूर्णानन्द साहब कर देते हैं वह पूरा होता है लेकिन इतना वक्त होने पर भी अभी तक वह वापसी नहीं हुई। जहां हाफिज साहब और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसी हस्तियां हों वहां वह अब तक जरूर वापस हो जाना चाहिये था ऐसा मैं यकीन करता था।

इसके अलावा इन तीन चार साल के तजुर्बे के बाद मैं कह सकता हूं कि जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिनके हम खादिम है और जो हमारे मखदूम है वह कुछ और समझने लगे हैं, उनका मिजाज चीजों को उल्टा समझने लगा है, वह जुनून को हवास और हवास को जुनून समझते हैं और दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझते हैं, अब हाल यह है कि

"खिरद का नाम जनू रख लिया का नाम खिरद,
जो चाहे आप का हुस्ने करिश्मे साज कहे।"

हम बात कहते हैं तो उसमें खैरख्वाही नहीं होती। तामीरी जज्बा नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब हम क्रिटिसाइज भी करते हैं तो उसमें भी तामीरी जज्बा होता है और अगर हममें वह जज्बा न होता तो जाहिर है कि वह मिनिस्टरों में कहां से आ जायगा क्योंकि वह हममें से ही हैं। जो उनका ख्याल है वही ख्याल हमारा है लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है अगर इस साल नहीं होता तो कुछ ही अर्सा बाद एक नई तहजीब और शाइस्तगी बढ़ेगी और पुलिस डिपार्टमेंट तो खास तौर पर जिस पर हमारी इज्जत और आबरू है, जो हमारी तमाम चीजों से ताल्लुक रखता है वह बहुत सुधर चुका होगा। आप खफा न हों और पुलिस वाले भी खफा न हों लेकिन अगर खफा भी हो जायं तो भी मुझे तो कहना जरूर है कि अब तक तो जिन्दा लोगों को ही सताया जाता था अब मुरदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कब्रिस्तान इतने खोदे जा रहे हैं कि हम तो अब जमीन के ऊपर कोई जगह चाहते हैं जहां हम दफन हो सकें। हमारे रावत जी बैठे हैं, वे सोच लें कि बजाय जलाये जाने के वे भी हमारे साथ दफन हों, एक सी रस्म हो जाय तो फिर अगर उनकी कब्र खोदी जाय तो फिर उनको भी वही तकलीफ महसूस हो जो हमको आज हो रही है। फैजाबाद जिले में कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। श्रमदान करने के लिये वहां भी पुलिस ने कुछ ज्यादती की। यह मामूली चीजें हैं लेकिन इनकी तरफ आप ध्यान रखें।

महाराजकुमार बालेन्दशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर और संभवतः हममें से कईयों के लिये अंतिम बार महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में उत्पन्न विचारों को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर आया है। मैं महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं और यद्यपि मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनके अभिभाषण में प्रोपेगेंडे का एक अंश भी नहीं है किन्तु मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि गत वर्ष पूर्णतया व्यर्थ भी नहीं गया। यह तो मानी हुई बात है कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसका फल यह होना स्वाभाविक था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक महत्व कृषि और कृषि संबंधी विषयों को दिया जाय। कहां तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एक्स्टेंशन सर्विसेज खोल करके हमारे देहातों में आर्थिक उन्नति हुई है इसका उत्तर तो अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ही मिलेगा जब कि इन योजनाओं के अनुमानों से कहीं अधिक और वास्तव में हुई उन्नति की तुलना की जा सकेगी। इस समय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में केवल यह कहा जा सकता है कि टेक्नीशियंस और स्टेटिस्टिशियंस की राय लेकर और उनकी सलाह को ब्रह्मवाक्य मानकर कर्ज लेकर सरकार ने करोड़ों रुपया व्यय किया है और इस समय कर्जदार की हैसियत से हम केवल

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

यही आशा करते हैं और हमारी यही आकांक्षा है कि जो काम और जो योजनायें कर्ज ले कर के की गई है वह लाभ में देना शीघ्रातिशीघ्र शुरू करें ताकि हमारे कर्ज का बोझ दूर हो सके । यह भी स्वाभाविक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के संबंध में कुछ कार्यवाही की जाय और जो औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने की ओर सरकार ने ध्यान इस समय दिया है वह उचित है और इस संबंध में जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाने की योजना की गई है उसका भी मैं स्वागत करता हूं, किन्तु यह मैं सरकार से इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इस कमेटी को जब काम सौंपा जाय तो उसके रिफरेंस के समय यह उनके सामने रख दिया जाय कि जहां तक हो सके इस प्रदेश में जो उन्नति हो वह एक समानरूप से की जाय । जहां रा मैटीरियल्स प्राप्त हों, जहां तक हो सके उनके संबंध में जो उद्योग धंधे खोले जायं वे यथासंभव उन्हीं स्थानों पर खोले जायं, या उनके समीप ताकि जहां रा मैटीरियल प्राप्त होता है वहां के लोगों को रोजगार के रूप में उससे कुछ सहायता मिल सके । एक उदाहरण देने के लिये मैं कहता हूं कि टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल से जो रेजिन प्राप्त होता है उसको डेवलप करने के लिये बरेली की जो सरकारी और बहुत पुरानी फैक्ट्री है वहां भेज दिया जाता है लेकिन वह उसको पूरे तौर से खर्च नहीं कर पाती और काम में नहीं ला पाती । इसलिये यह उचित न होगा कि टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल का नया रेजिन काम में लाने के लिये बरेली की फैक्ट्री को दिया जाय या उसको बढ़ाया जाय । बल्कि जनता के लाभ और हित के लिये यह उत्तम होगा कि टेहरी गढ़वाल या गढ़वाल के आसपास या ऋषीकेश में एक नई फैक्ट्री खोल कर वहां इस काम को चलाया जाय । यह केवल उदाहरण मात्र के रूप में आपके सामने रख रहा हूं । लेकिन सिद्धांत के रूप में यह होना आवश्यक है कि जहां रा मैटीरियल हो अगर कोई विशेष कारण न हों तो उसी स्थान में या उसके समीप उस रा मैटीरियल से संबंधित उद्योग खोला जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो डाइरेक्टोरेट आफ ज्योलाजी और माइनिंग खोला गया है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि इसका काम वर्ष प्रति वर्ष बढ़ाया जायगा हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की तो यह शिकायत बहुत पुरानी रही है कि हमारे यहां रा मैटीरियल्स तो हैं लेकिन उनके संबंध में खोज पड़ताल नहीं की जा रही है । सुनने में आया है कि चन्द महीने की कार्यवाही में इस डायरेक्टोरेट ने काफी माइन्स का पता लगा लिया है और मुझे आशा है कि सरकार इस योजना को क्रमानुसार पूरे प्रदेश में जितने मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेगी ।

बन के संबंध में हमारे महामान्य राज्यपाल महोदय ने जो कहा है उससे पूर्णतया सहमत हूं । वन हमारे लिये, जनता के लिये, प्रदेश और देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । इस संबंध में जो सदन द्वारा पिछले दिन एक अधिनियम पारित कराया गया वह भी मैं समझता हूं कि इस दिशा में तथा इस महत्व को स्वीकार करते हुये किया गया किन्तु मैं सरकार से और अपने नेगी जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा अधिनियम बनवा कर हमारा काम नहीं चलेगा । अधिनियम से उनको अधिकार मिलते हैं किन्तु जब तक वे जनता का सहयोग इस संबंध में प्राप्त न कर पायेंगे तब तक बन की रक्षा या वन की उत्पति न हो पायेगी और जहां तक काश्तकारों का संबंध है मुझे आश्चर्य है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने इस अधिनियम पर इतना जोर दिया है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया: एक तरफ हमारे चौधरी चरण सिंह जी काश्तकार को कहते हैं कि तुम दस गुना लगान दो, भूमिधर बन जाओ, लेकिन साथ ही साथ काश्तकार से उस जमीन के संबंध में जिसके लिये वह ५,६ साल से लगान देता आ रहा है कुछ और कहा जाता है । हमारे वन विभाग के उपमंत्री एक कानून पारित कर उस काश्तकार से कहते हैं कि हालांकि तुम इस जमीन के लिये ५,६ साल से लगान देते रहे हो लेकिन इस अधिनियम के द्वारा तुम इस जमीन पर कब्जा और काश्त न करो । क्या इस प्रकार मंत्रीगण या सरकार वन के संबंध में जनता और

काश्तकारों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यहां कोई गलती हुई है। दोनों मंत्रियों की विचारधाराओं में कुछ मतभेद है और उसका समाधान करना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि शिक्षा के संबंध में जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा है। मैं मानता हूं कि नई पाठशालायें खोली जा रही हैं, किन्तु साथ ही साथ पुरानी पाठशालायें खंडहर बनी जा रही हैं। नवयुवकों को शिक्षा देकर उनको शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारों में शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही है और जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है पेट न भरने लायक वेतन देकर उनको निःस्वार्थ सेवा का उपदेश दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में तो मैं समझता हूं कि यदि हमारे महामान्य राज्यपाल ने कहीं पर भी संतोष प्रकट किया है तो वह इल-फाउंडेड है।

यू० पी० कौंसिल आफ स्पोर्ट्स के संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रदेश के सब स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले और भाग लेने वाले लोगों की तरफ से निस्संकोच रूप से सरकार को बधाई देता हूं और यही आशा करता हूं कि विषय का महत्व देखते हुये जितनी धनराशि इस समय इस संबंध में उपलब्ध की गयी है उससे अधिक और अधिक बढ़ाने की चेष्टा करेगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रचलित प्रथा के अनुसार मैंने भी महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिये बधाई दी, अब प्रचलित प्रथा के अनुसार मैं भी अपना कुछ खेद प्रकट करना आवश्यक समझूंगा। राज्य पुनस्संगठन आयोग के संबंध में महामान्य राज्यपाल कहते हैं कि "हम सबके लिये यह बड़े संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश को अखंड बनाये रखने के लिये आप लोगों ने जो रुख अपनाया है उसने हमारे राज्य को राष्ट्रीय एकता का गढ़ होने का स्थान प्रदान कर दिया है। देश के कुछ भागों में जो दुःखद घटनायें हुई उन्होंने इस रुख के औचित्य की पुष्टि कर दी है। इन घटनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता के पक्ष में अत्यन्त शुभ प्रतिक्रिया हुई"। तो जहां तक मांग का प्रश्न है, विभाजन की जो मांग थी, वह टल गयी। हमारा प्रदेश विभाजन से बच गया और इससे मैं समझता हूं कि जिन सदस्यगण की ओर से मांग आयी थी वह भी खामोश रहे। लेकिन अगर इस प्रकार से इन ४ लाइन्स में उस पूरी मांग का इतिहास और उस पूरी मांग का कारण महामान्य राज्यपाल समझते हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया या उस प्रश्न को हल कर दिया तो मैं समझता हूं कि यह एक गलती होगी। इसलिये मैं यहां खेद प्रकट करता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने उस विभाजन की मांग का मतलब और महत्व पूरी तरह नहीं समझा। जिन कारणों से वह मांग फिलहाल दबा दी गयी, या दबा ली गयी, या वापस ले ली गयी, उससे ही उन्होंने अपने को संतुष्ट कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मांग यदि एक बार हो चुकी है तो यह सम्भव है कि भविष्य में फिर एक बार हो सके और यदि जिन कारणों से वह मांग सामने आयी थी यदि उनके ऊपर ध्यान न दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह होना अनिवार्य सा है। जितने कारण थे उनमें से मुख्य तो यही कारण था, जिसका मैं जिक्र कर भी चुका हूं कि, इस प्रदेश में क्या पूरे देश भर में जो उन्नति के कार्य किये जाते हैं उनमें कोई विशेष समानता नहीं पाई जाती। जहां किसी का जोर हो, चाहे व्यक्तिगत जोर हो, चाहे राजनैतिक जोर हो, चाहे सामाजिक ही जोर क्यों न हो, जो आज भी पाया जाता है। फलस्वरूप प्रदेश का कोई अंग आगे बढ़ जाता है तो दूसरा अंग पीछे छूट जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह समानता जब तक लायी नहीं जायगी, इस प्रकार की मांग होती रहेगी। मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह अपने राजनैतिक शासन में कोई ऐसी तरकीब निकाले कि जिससे किसी भी अंग को, इस प्रदेश के भाग की यह शिकायत न हो, कि क्योंकि हमारी आवाज ऊपर न पहुंच पाई और क्योंकि हम उचित संख्या में सरकार के दल में नहीं हैं, या कि भी ऐसे कारण से सरकार उनके प्रति एक सौतेला सा बरताव करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र पहाड़ों की

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

चर्चा नहीं करता जो पूर्वी–पश्चिमी जिलों की तरफ से मांग आयी थी उसको भी मैं नहीं लेता। मैं केवल इन मांगों के ऊपर विचार करके अपना सुझाव सरकार के सामने रखता हूं कि सम्भवतः यदि कुछ इस प्रकार के कार्य किये जायं ताकि ऐसी कोई प्रणाली बन जाय कि चाहे उस इलाके से या उस जिले से मांग हो या न हो सरकार अपना कर्तव्य और फर्ज समझ कर देश और प्रदेश के हर एक अंग की देख भाल स्वतः और स्वयं कर दिया करे। यह तो मानी हुई बात है कि यदि आज किसी एक दल की तरफ से अधिक आवाज आवे तो सरकार का ध्यान अधिक उस ओर जायगा, चाहे मानसिक कमजोरी या किसी और कमजोरी का फल हो, लेकिन जहां तक हो सके यह दूर हो जाना चाहिये। सरकार को निःस्वार्थ, निष्पक्ष भाव से यहां बैठकर और न्याय सहित पूरे प्रदेश का शासन करना है। इसलिये मैं सर्वप्रथम यह समझता हूं कि जो कुछ भी उन्नति के सम्बन्ध व्यय किया जाता है उसका किसी न किसी रूप से बटवारा करना आवश्यक है, चाहे उस प्रदेश के खंड कर के बराबर बनाया जाय, चाहे विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से उसमें जो भाग और हिस्से हों उसको दीजिये। किन्तु किसी न किसी प्रकार समान रूप से बटवारा होना आवश्यक है। दूसरी बात, शासकीय मामलों के सम्बन्ध में भी सुविधाएं उतनी ही उपलब्ध की जायं जो मांग पश्चिमी जिलों से हाईकोर्ट की बेंच की हुई है, केवल मात्र यह कह कर कि हाईकोर्ट की शोभा में धक्का पहुंचे, मैं समझता हूं कि इस मांग को निस्वीकार करना गलत है। जनता की सुविधा सरकार को देखनी है। यदि लखनऊ में एक बेंच कायम की जा सकती है और उससे हाईकोर्ट की शोभा में धक्का नहीं पहुंचा तो एक और बेंच यदि खोल दी जाय जिससे जनता को सुविधा पहुंचती है तो केवल आवश्यक ही नहीं यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटीज जो खोली जाती है प्रदेश भर में यह ध्यान में रखना चाहिये कि हर एक अंग के जो निवासी हैं उनको सुविधा पहुंचती है या नहीं। हमारे पश्चिम में आगरा यूनिवर्सिटी है, किन्तु वह केवल मात्र अफ़िलियेटिंग होने के कारण मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी का पूर्ण कार्य नहीं कर पा रही है। अफ़िलिएटिंग यूनिवर्सिटी और रेजीडेंश्यल यूनिवर्सिटीज में बहुत अन्तर है और मैं समझता हूं कि पश्चिम में भी एक रेजीडेंश्यल यूनिवर्सिटी स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं फिर एक बार उसी प्रश्न को सरकार के सामने लाऊंगा शासन के सम्बन्ध में जो अधिक चर्चा जिस कारण होती है उसका मुख्य कारण यही है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। मैंने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी और फिर दोहराता हूं कि कमिश्नर्स के लेविल में डिसेंट्रलाइजेशन करना आवश्यक है। डिस्ट्रिक बोर्ड्स का कार्य ठीक तरह नहीं चल रहा है और मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि भविष्य में भी नहीं चल पायेगा, क्योंकि वहां जो हमारा आउटलुक होता है वह नैरोमाइंडेड और संकीर्ण होता है और विजन सीमित रहता है। यदि कमिश्नर्स की लेविल पर आथरिटेटिव डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय तो सरकार को शासन के संबंध में भी मदद पहुंचेगी और जनता का सरकार के साथ सहयोग अधिक बढ़ता रहेगा।

*श्री शारदा बख्श सिंह (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री राज्यपाल का सम्बोधन सुना। इसके संबंध में दो दिन से वाद-विवाद हो रहा है। उसे सुना और उस से जो भावनायें उत्पन्न हुई उनसे ऐसा लगता है कि हम विधान सभा में बैठकर प्रांत की समस्याओं पर विचार नहीं कर रहे हैं, परन्तु सार्वजनिक सभाओं में जिस प्रकार भाषण दिये जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष—यह प्रथा यहां की नहीं है कि सदस्यों के भाषणों के तरीके पर टीका की जाय। प्रत्येक सदस्य की सम्मान के साथ चर्चा होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदा बख्श सिंह—तो मैं समझता हूं कि अपने प्रांत की समस्याओं को समझने के लिये जहां हम विचार करें तो तथ्य को देखना होगा और सरकार को उसके कल्पना के संसार से हटाकर वास्तविक संसार में लाना होगा। हम जानते हैं कि आज एक प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रांत में मानो स्वर्ग बन रहा है। ऐसा वाक्य कल कहा गया कि जंगल में मंगल हो रहा है। दुख दारिद्र्य सब समाप्त हो गया है। एक नवयुग का पदार्पण हुआ है। परन्तु हम जानते हैं कि यदि वास्तविक संसार को देखा जाय तो जितनी भी योजनायें आज सरकारी कागजों पर भ्रामक आंकड़ों के आधार पर बनायी जा रही हैं उनका जनता को पूरा लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं इस पर विचार नहीं हो रहा है। संबोधन के चौथे पैरा में यह कहा गया है कि देहातों की आर्थिक उन्नति के संबंध में बनायी गयी योजनाओं के ९८ प्रतिशत लक्ष्य सरकार पूरे कर चुकी है और १६१ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले जा चुके हैं और भविष्य में ५७५ ऐसे खंड खोल कर प्रांत के सारे गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लाकर एक महान् क्रांति की जायेगी। मगर प्रश्न तो यह है कि यह जो प्रसार खंड खोले गये हैं इनसे जनता को कितना लाभ हो रहा है। मैंने विकास खंडों के संबंध में सरकारी रिपोर्टों को पढ़ा और उससे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि प्रांत में आर्थिक प्रगति हो रही है। परन्तु उनकी वास्तविकता को जानने के लिये, तथ्य को समझने के लिये जब मैं उन गांवों में गया और वहां की हालत को देखा तो अत्यन्त दुख भी हुआ। यह सरकारी रिपोर्टें कितनी अतिरंजित और कितनी भ्रामक हैं। आज अगर ये सरकारी अधिकारी उन खंडों में छोड़ दिये जायं और यदि उनको गांवों के नाम न बताये जायं तो मैं कह सकता हूं कि उनमें से अधिकाधिक यह नहीं बता सकेंगे कि कौन से गांव उन विकास खंडों में हैं या कौन से गांव उनमें नहीं हैं। यदि आप जाकर वहां देखें तो ऐसा लगता है कि जितना भी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है वह ऐसी योजनाओं में खर्च करके कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम इसको जानते हैं। मैं विशेषकर अपने जिले को कहता हूं। कितनी भी गाड़ियां, कितनी भी जीपें, और कितना भी पैसा इनपर खर्च किया जा रहा है, किन्तु गांवों की हालत में आज कोई भी तब्दीली नहीं दिखायी देती है। हम पूछना चाहते हैं कि वह कौन से ग्राम हैं जिनमें ग्रामवासी खड़े होकर यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। हम नये जीवन का अनुभव कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के नागरिक के नाते, हमने इस प्रांत की सारी योजनाओं के अन्तर्गत रहते हुये अपने जीवन में एक नया जीवन देखा है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विकास खंडों की संख्या से, विकास खंडों की संख्या की वृद्धि से प्रांत के विकास, प्रांत की आर्थिक प्रगति और उन्नति को नापना एक भूल ही नहीं होगी, एक आत्मप्रवंचना होगी। हमें सत्य को देखना चाहिये। सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। सरकार को मौके पर जाकर, प्रांत के गांव-गांव में क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफलता हो रही है और उसको सत्य से, निःस्वार्थ भाव से, प्रचार से अलग रह कर सत्य बात को देखना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ओर तो बैलों के लिये तकाबियां दी जा रही हैं दूसरी ओर दोहरा तिहरा लगान ले कर काश्तकार की रीढ़ तोड़ी जा रही है। एक ओर कुयें बनाने के लिये तकावी का निमंत्रण होता है दूसरी ओर अधिक सिंचाई कर ले कर उसका कचूमड़ निकाला जा रहा है। एक ओर कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले जा रहे हैं, सांड़ छोड़े जा रहे हैं दूसरी ओर ग्रामनिवासियों के जो लड़के पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई के करों में इतनी वृद्धि कर दी गयी है कि उनके बैल पहले ही बिक चुके हैं। फिर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का क्या होगा? मैं पिछले दौरे में कई गांवों में गया, तो मैंने देखा कि एक नहीं अनेकों पुरुष खड़े हुये हैं, जिनके तन पर कपड़ा नहीं, जिनके पास बैल नहीं, जिनके पास जोतने को एक इंच भूमि नहीं। ठंढे में कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि बताओ हमारा क्या होगा? कितने ही आज ऐसे लोग हैं जो आपकी योजनाओं से कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। उनके सवालों को आपको हल करना होगा। गांव में जब इस तरह के सम्बोधन हम सुनते हैं, गांव में जा कर कहते हैं तो गांव का आदमी चकित होकर कहता है कि यह सब कहां हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है? कौन इस भारत की भूमि पर, रात-दिन सुख

[श्री शारदा बख्श सिंह]

उठा रहा है और इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी योजनायें हैं उनके ऊपर भी विचार करना होगा। एक प्रकार से हम जितने कार्य कर रहे हैं उनके लिये मैं एक साइकिल का उदाहरण देना चाहता हूं। साइकिल के एक पहिये में एक पंक्चर है और उसको बगैर बन्द किये हुये हम मुंह से हवा भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक पंक्चर में कितने ही पंक्चर हैं। पहले आप विचार करें कि जो काश्तकार के लगान का सवाल है, हमने जमींदारी समाप्त की और उस प्रथा को समाप्त होना चाहिये। परन्तु क्या हमने यह बात नहीं कही कि जमीदारी इसलिये विनाश की जा रही है कि जो भूमि को जोतने वाला है उसे उसका पूरा-पूरा लाभ हो सके। जो मध्यवर्ती बीच में दलाल बने हैं और सारा पैसा खा रहे हैं वह पैसा सरकार के नहीं जनता के पास जाना चाहिये। जमींदारी समाप्त हुई आज काश्तकार विस्मय से खड़ा होकर पूंछता है कि हमें क्या मिला? हमें एक पैसा नहीं मिला। जमींदार १०० रुपया वसूल करता था तो ४० रुपया सरकार की मालगुजारी में देता था और ६० रुपया किसकी जेब में जाता था? काश्तकार की यह मांग है और भारतीय जन-संघ की यह मांग है कि ६० रुपया काश्तकार के पास जाना चाहिये, उसका उचित भाग उसको मिलना चाहिये। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार स्वयं कह चुकी है कि मध्यवर्ती का मुनाफा इसलिये खत्म किया जा रहा है कि जो भूमि का जोतने वाला काश्तकार है वह ऊपर उठ सके और इसलिये आज इस बात पर विचार करना होगा कि यह जो पंक्चर है इसको जोड़ा जाय।

दूसरा पंक्चर सिंचाई दर का है। उसके बारे में भी विचार करना होगा। आज काश्तकार सिंचाई की दर से दबता चला जाता है। सम्बोधन में कहा गया है कि सिंचाई के साधन बढ़े हुये हैं, हमने सिंचाई के साधन इतने कर दिये हैं कि प्रांत में कोई भी जमीन बिना सिंचाई के नहीं रही। परन्तु प्रश्न तो यह है कि सिंचाई के साधन बढ़ा दिये लेकिन अगर काश्तकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना खेत सींच सके तो उससे क्या फायदा, आपकी सारी योजना से उसे क्या लाभ?

तीसरा पंक्चर और भी है कि पंचायत टैक्स लगते जा रहे हैं। भारतीय जन संघ ने अपनी मांग में यह कहा था और मैं भी उस सुझाव को यहां रखना चाहता हूं कि जो ४० रुपया सरकार मालगुजारी लेती है सरकार आज इस मालगुजारी को ले, उसमें से वसूली का खर्च ले। परन्तु यह आवश्यक है कि गांवों से जो पैसा वसूल किया जाता है उसका कुछ अंश पंचायतों पर खर्च होना चाहिये। आज जब पंचायत टैक्स का सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि वह तो जनतंत्रीय पंचायतें स्वयं गांव वाले चला रहे हैं, उन्हें स्वयं खर्चा करना चाहिये। यदि हम वास्तविकता देखें तो गांव जो प्रांत को ३८ परसेंट दे रहे हैं उसमें से उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो काम गांव करे वे उसका अलग से इन्तजाम करें। यह जो पैसा उनके पास से वसूल किया जाता है करीब २२ करोड़ रुपया लगान के संबंध में, ९ करोड़ सिंचाई करके संबंध में और कितने ही हजारों रुपया आप जानते होंगे कृषि कर के संबंध में उनसे लिया जा रहा है। करीब ९९ लाख रुपया पंचायत टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। जो काश्तकार ३८ परसेंट देते हैं प्रांत की आमदनी में यदि उनसे कहा जाय कि यदि तुम गांव में कोई उन्नति करना चाहते हो तो तुम पैसा अपने आप टैक्स लगा कर लो, मैं समझता हूं यह अन्याय है। सरकार का धर्म है कि जो ३८ परसेंट गांव से आय वसूल करे उससे गांव पंचायत को दे। तमाम जनता आज गांव पंचायतों को सुख के रूप में नहीं बल्कि भार के रूप में देख रही है। उसे ऐसा मालूम हो रहा है कि पंचायतें टैक्स सरकार के लिये ले रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर पंचायत-तंत्र गांवों में सफल करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उसे पैसा देकर पंचायत टैक्स न लगायें और जनता सुखी और समुन्नत जीवन बनाये और उस पंचायत राज को चला सके।

चौथा पंक्चर जो है वह शिक्षा का है। यदि कोई पढ़ाई करता है उसने एक लड़का अगर पढ़ाया तो उसे जीवन भर के लिये रोना पड़ता है। सारी सम्पत्ति बेचकर एक लड़के को पढ़ाये और जब पढ़कर खड़ा होता है तो गांव वालों के सामने यह समस्या आ जाती कि अब क्या हो ? और इसलिये अब उस पढ़ाई के बारे में भी हमें पूरा विचार करना होगा।

यह दो पहलू हैं---एक तो जब पढ़ाई करने लड़का शहर में भेजा जाता है तो उसका इतना पैसा खर्च होता है जिसको आज काश्तकार वहन नहीं कर सकता है। आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि हमने जनतंत्रीय पद्धति को अपनाया है। उसके लिये अगर हम जन-जन को शिक्षित नहीं करते तो हमारे सामने और सरकार के सामने जनतंत्रीय पद्धति के चलाने में कितनी कठिनाइयां आ रही है उनका अनुभव सरकार करती होगी। इसलिये निःशुल्क शिक्षा दी जाय यह आवश्यक है और उसके साधन इतने सुलभ बनाये जायं कि प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभ उठा सके। आज बढ़ती हुई फीस, किताबों के बढ़ते हुये मूल्य और उसके साथ-साथ निरन्तर प्रतिवर्ष किताबों का बदला जाना, यह एक भार बनकर खड़े हो गये हैं। हमारे यहां जब हम छोटेपन में पढ़ते थे, बहुत समय नहीं हुआ, हमारे पास अरिथमेटिक की किताब थी जो पिता ने पढ़ी थी और उसको हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन जिस प्रकार से किताबों का उपयोग आज के समय में हो रहा है प्रत्येक वर्ष किताबें बदली जाती हैं, आज लड़का सातवें दर्जे में फेल हो गया तो दूसरे साल उसे दूसरी किताबें चाहिये क्योंकि पिछले साल की किताबें बदल गईं। वह कौन से कारण हैं जिनके लिये यह आवश्यक होता है ? हम कहते हैं कि हम जो काम करते हैं, विचारपूर्वक करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि हम बड़े दूरदर्शी हैं। हम यह भी कहते हैं कि एक कांग्रेस सरकार ही ऐसी है जो देश के शासन को समझ कर चला सकती है। तो हम एक साल की किताब भी नहीं सोचकर चला सकते कि दूसरे साल वह काम दे जाय ? इसको हमें समझना पड़ेगा, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। यहां बैठकर किताबों के बदलने से कुछ लोगों को लाभ हो जाता हो लेकिन साधारण जनता आज कराहते हुये कहती है कि अगर किसी तरह से फीस दें तो किताब कहां से लायें ? इसलिये आज शिक्षा का एक पहलू यह है कि शिक्षा इतनी मंहगी बना दी गई है कि साधारण जनता उसे नहीं ले सकती। दूसरा प्रश्न यह है कि जब लड़का पढ़ लेता है तो नौकरी नहीं है। हम जानते हैं कि अगर गांवों में हम जाते हैं और वहां उनसे यह पूछते हैं कि तुम्हारी फसल यह क्यों नहीं गोड़ी गई, यह क्यों खराब हो रही है, तो वह कहते हैं कि बाबू जी आदमी नहीं मिलते, हम कैसे गोड़ाई करें और जब शहर में आते हैं तो देखते हैं कि पच्चीसों आदमी चले आते हैं और कहते हैं कि हम फलां गांव के निवासी हैं हमने दसवीं पास की है, हमें नौकरी चाहिये। कैसी विडम्बना है। एक ओर गांव में काम करने वाले नहीं, दूसरी ओर शहर में गांव के नवयुवक दर-दर घूम रहे हैं। तो हमें इस प्रश्न पर सोचना होगा। हम जानते हैं कि यह कहा जायगा कि हमने तो व्यवस्था की है। हमने सरकारी बहुत से स्कूल खोल रखे हैं जिसमें कृषि खोल दिया है। लेकिन उसकी सफलता और असफलता को भी हम जानते हैं। इसलिये चौथा पंक्चर यह शिक्षा का है।

अब सवाल यह है कि भयंकर बेकारी बढ़ रही है। इसके संबंध में कहा गया कि कुटीर उद्योगों से कुछ लाभ हुआ है, लेकिन कुछ लाभ से समस्यायें हल नहीं हुआ करतीं। पूरा जोर लगाकर कुटीर उद्योग चलाना होगा और इस समस्या को हल करना होगा। बड़े उद्योग चाहे लगें, लेकिन बड़े उद्योग हमारी अर्थनीति के केंद्र नहीं बन सकते। बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों को इस प्रकार चलाना होगा, ऐसा सामंजस्य पैदा करना होगा कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को खा न जायं। दोनों उद्योगों को सरकार अपने नियंत्रण में विकसित करे। छोटे उद्योग हमारी नित्य-प्रति की आवश्यकताओं की चीजें बनायें, बड़े उद्योग उन छोटे उद्योगों को चलाने के लिये उत्पादक वस्तुयें पैदा करें। उद्योगों की नुमाइश आज दिखाई जाती है। नुमाइश से काम नहीं चलता। आज विदेशी सामान, वस्तुयें, खिलौने और छोटे-मोटे सामान यहां दिखाई पड़ते हैं। स्वदेशी के लिये हमने इतनी लड़ाइयां लड़ीं, इतने बलिदान

[श्री शारदा बख्श सिंह]

दिये लेकिन आज बाजारों में देखते हैं तो विदेशी सामान बिक रहा है। उन पर पाबन्दी लगानी होगी। छोटे उद्योगों की उन्नति अगर हम चाहते हैं तो उनकी सामग्री के बिकने का प्रबन्ध करना होगा। इसमें हमें थोड़ा सोच विचार करना होगा। यह नहीं है कि कोई नुमाइश लगी है तो वहां छोटे उद्योगों के काम रख दिये जायं, जब मंत्रिगण जाते हैं तो उनको दिखा दिया जाय। मंत्रिगण को नहीं, एम० एल० एज० को नहीं सारी जनता को दिखाइये बाजारों में हजारों कुटीर उद्योग के माल दिखाई पड़ें। जनता उनको खरीदे और यदि हो सके तो बड़े उद्योगों का वह माल बनाना बन्द किया जाय। वह वहां पर न दिखाई पड़े तब काम चल सकता है। यह सारी योजनायें सोचनी पड़ेंगी और अगर नहीं सोचते तो आज इन समस्याओं को हम सुलझा नहीं सकते।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है और उसी के साथ-साथ जो भाषण दो दिनों से हो रहे हैं उनको भी सुनता रहा हूं। इन संशोधनों को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने जो सम्बोधन दिया है उसमें माननीय सदस्यों को त्रुटियां अवश्य दिखलाई देती हैं लेकिन किसी संशोधन में यह नहीं कहा गया कि जो बातें सम्बोधन में बताई गईं वे असत्य हैं या उनमें वास्तविकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ४७ में जब स्वराज्य हुआ था, जबकि चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं हमें विपत्ति ही विपत्ति दिखलायी देती थी, अन्न की कठिनाई, वस्त्र की कठिनाई, नमक नहीं मिलता था, यह परिस्थिति हमारी उस वक्त थी, लेकिन यह सब होते हुये भी चार वर्ष के अन्दर हमारी सरकार ने परिस्थिति को सुधारा और सन् ५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना को हमने जन्म दिया और उस योजना के अन्दर जो हमने चार वर्ष काम किया है वह सारे संसार को विदित है। हमारे प्रांत में जो लोग आंख खोल कर घूमते हैं वे जानते हैं कि हमने चारों ओर उन्नति की है, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया है, बिजली के उत्पादन में वृद्धि की है, सड़कों के निर्माण में वृद्धि की है। जैसा राज्यपाल महोदय ने बतलाया, अपने निर्धारित लक्ष्य के ९८ प्रतिशत की हमने प्राप्ति कर ली है। सड़कों के निर्माण में देखिये, सिंचाई के काम में देखिये, जिधर भी नजर उठाइये यही दिखाई देगा कि हमने उन्नति की है। सड़कों का एक तरह से प्रांत में जाल सा बिछ गया है, नहरों का जाल बिछ गया ट्यूब वेल का जाल बिछ गया है। शिक्षा के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उसमें कोई प्रगति नहीं की गयी है। कल एक माननीय सदस्य ने "बेसिक" का अर्थ ही दूसरे प्रकार से लगाया था। उन्होंने कहा कि "बेसिक" के माने हैं बिला शिक्षा पाये हुये लोग। तो उसके लगाये गये अर्थ के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने शिक्षा की दिशा में भी पर्याप्त उन्नति की है। ५०० बेसिक पाठशालाओं का निर्माण किया गया है और जो ढाई हजार जूनियर हाई स्कूल रहे हैं उनमें भी कृषि योजना को हमने लागू कर दिया है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी हमने सुधार किया है। आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के कानूनों में हमने संशोधन किये हैं। इसके साथ-साथ संस्कृत का एक विश्वविद्यालय जिसका हमारे यहां पूर्णतया अभाव रहा है बनारस में खोलने का निश्चय किया है। इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय रुड़की में खुल गया है तथा एक और विश्वविद्यालय गोरखपुर में खुलने जा रहा है। इसके अलावा पशुओं की दशा सुधारने के विषय में भी हमने उन्नति की है। ३१ जिलों में हमने ऐसा प्रबन्ध कर दिया है कि जिससे वहां के सारे पशु रोग से विमुक्त किये जा सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हर जिले में हम इस योजना को लागू कर देंगे। सन् ४७ में जब हमें स्वराज्य मिला था तो जमींदारी का आतंक था और सन् ५१ तक जमींदारी की वही दशा थी। अभी हमारे माननीय मित्र, जिनका प्रथम बार भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि जमींदारी समाप्त तो कर दी गयी लेकिन उससे कोई लाभ किसानों को

नहीं हुआ। किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि जमींदारी विनाश से किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ यह मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। क्या यह सही नहीं है कि जमींदारों के कारण सारे किसान दुखी थे, वह अपनी जोत के जमीन के मालिक नहीं थे, अपनी जोत के मालिक नहीं थे, अपने अगवारे और पिछवाड़े के मालिक नहीं थे और उन पर बेगार वगैरा नाना प्रकार के जुल्म होते थे। क्या यह सही नहीं है कि जमींदारी का विनाश करके जो हमने कदम उठाया है उससे आज यह परिस्थिति है कि हर एक किसान जमीन का मालिक है, जो जमीन उसके कब्जे में है वह उसका मालिक है, जो मध्यवर्ती की तलवार उनके सिर पर लटकती रहती थी उसको हमने हटा दिया है और आज वह अपने अगवारे और पिछवाड़े का मालिक है। आज किसी की जुर्रत या हिम्मत नहीं है कि उसको तंग कर सके या उससे बेगार ले सके। हमने जमाने की वह हालत देखी है जब जमींदारों के जमाने में आधी रात को किसानों की लड़कियां और औरतें तक उनका सामान तथा बक्सा वगैरा लेकर स्टेशन जाया करती थीं और उनको एक पैसा मजदूरी भी नहीं मिला करती थी। लेकिन आज वह हालत नहीं है। हम उस जिले से आते हैं जहां बेगारी भीषण रूप में थी। उसको हमने बंद कर दिया है। आज किसान आजादी का मतलब समझ रहा है, आज वह समझ रहा है कि वह अपनी जमीन का मालिक है। यह कहना कि जमींदारी विनाश से कोई लाभ नहीं हुआ है सत्य से परे है और यह कहां तक सत्य हो सकता है यह सोचने और समझने की बात है। हमारे सम्मानित सदस्य जो गांवों में जाते हैं वह किसानों से पूछ सकते हैं और वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जमींदारी विनाश से किसानों को बड़ा भारी लाभ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, कल हरिजनों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है। हम मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि जितना करना चाहिये था उतना हम नहीं कर सके हैं परन्तु जितना किया गया है उसके लिये यह नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल कम है। हरिजनों को पहले सरविसेज में १० प्रतिशत सुरक्षण था अब वह बढ़ा कर १८ प्रतिशत कर दिया गया है। ४६–४७ में उनके ऊपर ६ लाख रुपया खर्च होता था अब ७८ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। इनके लिए तथा पिछड़ी जातियों के लिये शिक्षण शिविर बख्शी के तालाब पर खोला गया है। डाक्टर सीताराम जी ने बतलाया है कि ऐसे तीन केन्द्र खोले गये हैं। इससे स्पष्ट है कि हरिजनों की दशा को सुधारने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। हम यह मानते हैं कि उनको समानता के इतने अधिकार नहीं हैं जितने कि होने चाहिये। लेकिन हमारे नेता इसके लिये कोशिश कर रहे हैं और समान अधिकार के लिये कानून भी बना दिया गया है और आज कोई होटल मालिक यह नहीं कह सकता है कि उसमें हरिजन प्रवेश नहीं कर सकता है। मंदिरों के सम्बन्ध भी मेरे जैसे सनातन धर्मावलम्बी भी आज ऐलान करने के लिये तैयार हैं कि हरिजनों को अधिकार है कि वह मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। आज राजनीतिक तथा सामाजिक क्रान्ति के साथ-साथ आर्थिक क्रान्ति भी हुई है और हम हर तरह से उन्नति कर रहे हैं। हां, यह बात जरूर है कि जितनी उन्नति होनी चाहिये थी और जिस प्रकार से हम चाहते थे उतना नहीं कर सके हैं, परन्तु हमारा प्रयत्न जारी है कि हमारे प्रान्त की दशा में सुधार हो रहा है और जो कमियां हमारे यहां हैं वह दूर हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है, लाल रोशनी हो गई है, इसलिये समाप्त करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि मैं परेशान होता हूं स्कूल और कालेजों में अब मैं देखता हूं कि आज कल लड़कों में उद्दंडता बढ़ती जा रही है, अनुशासन का अभाव होता चला जा रहा है और नैतिक पतन भी हो रहा है। इसका क्या इलाज है, इस पर सरकार को ध्यान देना है। उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है। इसलिये मैं सरकार से आपके द्वारा, अनुरोध करूंगा कि हर स्कूल में नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। आज कल लड़कों को हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि जो भावी संतान हैं, जिनके ऊपर जिम्मेंदारी आने वाली है और यही भावी प्रशासक होने जा रहे हैं, उनको किस तरह से तैयार करें। उनमें वह शक्ति लाने की तरफ ध्यान देना होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

माननीय स्वास्थ मंत्री यहां मौजूद हैं, उनसे मैं एक निवेदन करता हूं और वह यह है कि अस्पतालों की संख्या तो आप बढ़ा रहे हैं, एलोपैथिक अस्पताल, यूनानी अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल आप खोल रहे हैं परन्तु इसके साथ ही उनसे मेरा एक अनुरोध है। मेरा अनुरोध यह है कि हर एक जिले में कम से कम एक ऐसा अस्पताल होना चाहिये कि जो हर प्रकार के आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित हो और उसमें एक ऐसा अनुभवी डाक्टर रहे जो कम से कम आधुनिक बातों को जानता हो। आज मेडिकल साइन्स बहुत तरक्की कर गया है और हम लोग जो लखनऊ से दूर के रहने वाले हैं उन्हें अच्छा डाक्टर नहीं मिलता है। जो सिविल सर्जन हैं वह भी पूरी बातों को नहीं जानता है। आज हर तरफ तरक्की हो रही है और इसलिये मेरा यह अनुरोध माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से है कि वह इसका प्रबन्ध करें कि हर एक जिले में एक ऐसा अनुभवी डाक्टर रहे और जो उन सारे रोगों के इलाज की व्यवस्था कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामान्य राज्यपाल महोदय के संबोधन के लिये उनके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसका समर्थन करता हूं। इस संबोधन में महामान्य राज्यपाल ने हमारे इस प्रदेश की गत ४ वर्षों में जो इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुमुखी उन्नति हुई है, उसका दिग्दर्शन कराया है। कौन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि इस प्रदेश की सरकार ने पिछले ४ वर्षों में जो अपने इस प्रदेश की बहुमुखी उन्नति का चित्र बनाया, उसको पूरा करने का कदम ब कदम अथक प्रयास किया है और कौन यह स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे प्रांत के उन उन्नायकों ने जिन्होंने राष्ट्रपिता बापू के कदमों के नीचे अपने इस भारत के नवनिर्माण का काम सीखा, आज वह उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबोधन में हमें इस बात का दिग्दर्शन मिलता है कि इस प्रदेश ने अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसी दिशा में पूरा-पूरा कदम बढ़ाया है जिसका चित्र हमारे सामने हमारे राष्ट्रपिता ने रखा था। क्या हम इसमें नहीं देखते कि हमारे संविधान में जो हमारा लक्ष्य रखा गया है कि उस ओर हम बढ़ रहे हैं, और क्या हम उसमें नहीं देखते कि हमारी उस राष्ट्रीय संस्था ने इस देश के निर्माण के लिये जो समाजवाद की व्यवस्था कायम करने का संकल्प किया है उस ओर हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, संसार के इतिहास में यह हमारे ही देश का सौभाग्य है कि यहां जिन लोगों ने क्रान्ति की और जिन महान नेताओं ने इस देश की स्वाधीनता प्राप्त की, वही आज भी हमारे सामने हमारे भाग्य से विद्यमान हैं और वही उस चित्र में रंग भर रहे हैं जो चित्र कि उन्होंने हमारे सामने स्वाधीनता प्राप्त करने के पूर्व रखा था। हो सकता है कि हम उस चित्र को पूरा-पूरा न उतार सकें हों। हो सकता है कि अभी उसमें बहुत से रंग भरने शेष हों, हो सकता है कि हमारा लक्ष्य बहुत दूर हो, उतनी दूर हम न पहुंच सकें हों परन्तु हम जिस दिशा में जा रहे हैं क्या वह सही दिशा नहीं है? इसको अस्वीकार करना मैं समझता हूं तथ्य को अस्वीकर करना होगा। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो इसमें संशोधन उपस्थित किये हैं और जो भाषण दिये हैं दुर्भाग्य से उनकी दृष्टि वहीं पर पड़ी है कि जो हमें पूरा करना है। उन्होंने उस पर दृष्टि नहीं डाली कि जो हम कर चुके हैं। आज प्रान्त के साधारण नागरिक जीवन में शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि की उन्नति और सिंचाई आदि प्रत्येक दिशा में जहां भी हम दृष्टिपात करते हैं, काफी काम आगे बढ़ा हुआ पाते हैं और आज तो यही नहीं कि हम संतोष के साथ यह कह सकें कि हम उस दिशा में काफी आगे जा रहे हैं वरन् हम आशा और विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि हमने जिस तरह से प्रगति की है यदि इसी तरह से हमारी सरकार सतत जागरुक प्रहरी की तरह प्रयत्न करती रही तो अगली पंचवर्षीय योजना में हम अपने प्रदेश को उन्नति की ओर काफी आगे ले जा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय मित्रों ने अभी-अभी यह कहा कि जमींदारी विनाश से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। स्वाधीनता के बाद जो सबसे बड़ा कदम क्रान्ति का इस प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश में उठाया है वह जमींदारी विनाश का था। मैं यह कह सकता हूं कि न केवल अपने देश में ही परन्तु दूसरे देशों में भी जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं उनमें कहीं भी इस प्रकार का महान् कार्य शान्ति के साथ समन्वित नहीं हुआ है जैसा कि इस जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के द्वारा हुआ है। यदि आप उसको पढ़ें और उसकी जानकारी प्राप्त करें तथा चीन और रूस ऐसे प्रगतिशील देशों के भी इस प्रकार के अधिनियमों का अध्ययन करें तथा निष्पक्षता से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि इसके द्वारा जो क्रान्ति की गयी है प्रजातंत्र और शांति के मार्ग से वह संसार में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जो वरदान किसानों को प्राप्त हुआ है वह और किसी कार्य द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद किसानों से केवल ४० प्रतिशत मालगुजारी ही ली जानी चाहिये थी। उससे अधिक जो रुपया सरकारी खजाने में जाता है वह नहीं जाना चाहिये था। यह हिस्सा किसानों के पास ही रहना चाहिये था। किसान जो अधिक रुपया जमींदारों को देता था, जो उनके नौकर, उनकी गाड़ियों और महलों में, उनके घोड़े, हाथी तथा उनके कुत्तों पर खर्च होता था वही भाग आज सरकार के खजाने में जाता है। अब प्रश्न यह है कि यह सरकारी खजाना है क्या यह सारा देश और हमारे प्रदेश का जो खजाना है वह एक बड़े देश रूपी परिवार का खजाना है जो आवश्यकतानुसार उसी के लिये, लोक कल्याण के लिये, समाज के लिये, उस परिवार के लिये खर्च किया जाता है। जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से पानी लेकर बादलों द्वारा फिर बरसा देता है उसी प्रकार से जनता के पैसे से बना यह राज्य-कोष भी जनता के ऊपर खर्च हो जाता है। यदि आप समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। यदि आप लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कोष का इसी प्रकार से उपयोग करना होगा। क्या उसी कोष का रुपया अस्पताल में, पाठशालाओं में, नहरों, नलकूपों और सड़कों, उद्योगधंधों और रोजगारों के रूप में नहीं मिल रहा है। पहले जिस रुपये को किसान लोग दे कर तरसते थे आज उसी रुपये को वे वापिस पा रहे हैं। निस्संदेह विरोधी पक्ष के लोग चाहते हैं कि शिक्षालय और अस्पताल खोले जायं, यातायात के साधन बढ़ाये जायं, नौजवानों के लिये रोजगार बढ़ाया जाय परन्तु किसी किसान से सरकार उतना पैसा भी न ले जितना कि वह जमींदारों को देता था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब कार्य बिना धन के किस प्रकार से सम्पन्न किये जा सकते हैं। किसी मित्र ने ऐसा जादू तो बताया नहीं कि बिना धन के यह सब हो जाय। इस व्यावहारिकता के युग में तो आदर्श और व्यावहारिकता दोनों को लेकर चलेंगे तभी हम जनता की सेवा कर सकते हैं।

माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में, जो इस प्रदेश ने पिछले चार वर्षों में प्रगति की है, उसके बारे में बताया और आगे होने वाली तरक्की की तरफ उन्होंने कोई अधिक संकेत नहीं किया, इसलिये उसमें त्रुटियां ढूंढ़ना उपयुक्त नहीं है। इसी देश के नहीं संसार के बड़े से बड़े उग्रवादी कहलाने वाले भी इस बात से सहमत हैं कि भारत सरकार और दूसरे प्रदेशों की सरकारें जिस प्रगति मार्ग पर चल रही हैं और जिस प्रकार से तरक्की कर रही हैं वह के संसार इतिहास में अद्वितीय है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह चाहूंगा कि सुझाव के रूप में कुछ निवेदन करूं।

यों तो मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा प्रदेश बहुमुखी उन्नति कर रहा है। इधर और उधर के बहुत से सदस्यों ने सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर दिलाया, मैं भी सरकार का ध्यान उसी ओर दिलाना चाहूंगा। यह भी बात ठीक है कि शिक्षा के

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

क्षेत्र में जो तरक्की हो रही है वह स्तुत्य है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह तरक्की और उन्नति इसलिये लाभदायक नहीं हो रही है कि जो विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं उनमें वह भावना उत्पन्न नहीं हो रही है जिसे नैतिक भावना कहा जाता है। हमने अपने राज्य को सिक्यूलर माना और उसके कारण हमने पुस्तकों में नैतिकता की बातों को धर्म के नाम पर नहीं रक्खा।

आज यदि हम उसमें राम, कृष्ण और बुद्ध की चर्चा करते हैं, ध्रुव और ईशू तथा मुहम्मद के चरित्र का उल्लेख करते हैं, तो उनके चरित्र और आदर्श का वर्णन करना भी धर्म की बात हो जाती है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि जहां हम अपनी शिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ाते हैं वहां आज के विद्यार्थियों के लिये आदर्श पुरुषों के चरित्र की शिक्षा भी बहुत आवश्यक है और उच्च आदर्श के लिये अच्छी पुस्तकें बहुत उत्तम अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए। हम अपनी शिक्षण संस्थाओं में खेल कूद के लिए और उत्तम शिक्षा के लिए पुरस्कार आदि देते हैं और प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हैं लेकिन हम ऐसे लोगों को कोई पुरस्कार नहीं देते जिनका चरित्र आदर्श हो, उसके लिये भी पुरस्कार होना चाहिए। जहां अभी शिक्षण संस्थाओं में अनेक विषय होते हैं लेकिन चरित्र के लिये कोई पुरस्कार नहीं होता और न कोई विशेष शिक्षा ही इस दिशा में हो रही है। और जिस समय विद्यार्थी चरित्र का प्रमाण-पत्र लेने आते हैं तो उस समय कोई कसौटी नहीं होती कि हम कह सकें कि वह किस प्रकार चरित्रवान हैं।

हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं लेकिन हम अगर बचपन से ही बालकों को इस प्रकार चरित्रवान बनाने का प्रयास करें और उनको इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे आगे चलकर वह अच्छे नागरिक बन सकें। हम अपने बड़े-बड़े लखनऊ इलाहाबाद आदि के विश्वविद्यालयों में रोजाना १ घंटा या ४५ मिनट के पीरियड में अनेक विषयों की शिक्षा उनको देते हैं लेकिन अगर हम कुछ समय उनको सदाचार सम्बन्धी शिक्षा के लिए भी दें तो उचित होगा और इस तरह से हमारा ध्यान बालकों को सदाचारी बनाने की ओर जाना आवश्यक है। आज हजारों की तादाद में लड़के परीक्षा देते हैं और फिर बेरोजगार रहते हैं उसका एक खास कारण यह है कि उनके चरित्र पर हम विशेष ध्यान नहीं देते, आज हमारे यहां आदर्श अध्यापकों के द्वारा शिक्षा नहीं हो रही है और अध्यापक वर्ग भी आर्थिक आदि कारणों से एक दूसरी ही दिशा में जा रहे हैं। मेरे सुझाव हैं कि यह जो नियम आदि बनते हैं उनमें इनके उपादानों की ओर ध्यान देना चाहिए और जो हमारे समाज का एक आवश्यक वर्ग अध्यापकों का है, वह सन्तुष्ट रहना चाहिये क्योंकि वही हमारी भावी संतति और विश्वविद्यालयों के निर्माता और कर्णधार हैं। जब हम तमाम लेबर और उद्योगपतियों आदि के झगड़े निबटाने की चेष्टा करते हैं तो अध्यापक जो हमारे समाज का आधार हैं और जिस के हाथ में समाज की कच्ची मिट्टी रखी है, जिसको वह पक्का बना रहे हैं उनको भी किसी तरह से सन्तुष्ट रखना हमारा कर्त्तव्य है जिसको हम पूरा नहीं कर सके हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार उनकी असुविधाओं की ओर ध्यान देगी। उनकी उपेक्षा करके हम अपने भावी समाज को भयंकरता की ओर ले जा रहे हैं। इसलिये भावी योजना में इसका खास खयाल रखने की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के नेता साथी गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राज्यपाल के भाषण को तीन चार दिनों के अन्दर कई बार पढ़ कर उसके हर एक अक्षर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके साथ ही साथ बधाई का जो प्रस्ताव लाया गया उसके सम्बन्ध में भी माननीय रामस्वरूप गुप्त, जयपाल सिंह, नेकराम शर्मा

और महाबीरप्रसाद शुक्ल और मिश्र जी के भाषण सुने । माननीय नेकराम जी ने कहा कि नेता विरोधी दल कोई प्रस्ताव तो लाते जिसके द्वारा देश की गरीबी मिटाई जा सकती । मैं तो स्तंभित हो जाता हूं जब बार-बार इस सदन में बापू जी का नाम लिया जाता है । अभी पं० महाबीरप्रसाद शुक्ल जी ने कहा कि हमने और हमारी पार्टी ने बापू जी के कदमों में जो कुछ सीखा उसी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मैं शुक्ल जी और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बापू जी का ही यह उपदेश था कि आज गांव के चौकीदार को ५ रुपया मासिक वेतन दो और माननीय राज्यपाल को ५ हजार दो ? क्या बापू जी का उपदेश था कि एक तरफ हजारों एकड़ भूमि परती रहे और एक तरफ लोग बिना खेती के रहें ? क्या बापू जी का उपदेश था कि शहरों में महल बनते चले जायं और गांव के रहने वाले हरिजन एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहें ? आप बापू जी के नाम को बदनाम न करें । जो आप करते हैं करिये और कहिये कि हम यही कर सकते हैं और इससे आगे एक कदम नहीं जा सकते ।

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल ने कहा है कि विधान सभा के सदस्यों ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं । इस सभा के सदस्यों को तो छोड़ दीजिये, सरकार के पास यह हिम्मत नहीं है कि वह एक भी साहसिक कदम उठावे। इस प्रदेश में और सारे प्रदेश में जो बेकारी और बेरोजगारी, नंगापन, लूट खसोट, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, सत्ताधारी दल के ऊपर है । श्रीमन्, कहा जाता है कि गांवों में पक्के मकान बन गये हैं, कहा गया है कि गेहूं की पैदावार दूनी हो गई है । मैं श्री हरिसिंह जी, श्री जयपाल सिंह जी से जानना चाहूंगा कि हरिजनों की बस्तियों में गांवों के अन्दर कितने पक्के मकान बने हुये हैं ? वे बतावें, क्या आज भी एक ही झोपड़ी में हरिजन का सारा परिवार अपने बाल बच्चों के साथ रहता है या नहीं ? उसी में उसका पतोहू रहती है, उसी में उसकी औरत रहती है, सारा परिवार रहता है। और उसके बाद भी रामस्वरूप जी गुप्त जैसे गांधीवादी यह कहें कि गांवों में पक्के मकान बन रहे हैं, गेहूं की पैदावार दूनी हो रही है श्रीमन्, तो यह उन्हीं के लिये शोभा की बात है और यह कहने की हिमाकत वे ही कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप "हिमाकत" शब्द को वापस ले लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वापस लेता हूं । जमीन के बटवारे की बात लीजिये । उसके लिये प्लानिंग कमीशन ने कहा कि जमीन की सीमा निर्धारित होनी चाहिये, देश के और उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधान मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि जमीन की सीमा निर्धारित होनी चाहिये । यह हमारे प्रदेश की जनता की बदकिस्मती है कि जब हमारी पार्टी की ओर से कई प्रस्ताव इस संबंध में लाये गये हैं पर माननीय माल मंत्री इसको कहने में हिचकते नहीं हैं कि यह ठीक नहीं है । स्वयं सत्ताधारी दल उनको कभी मजबूर नहीं करता है । जो कमीशन कहता है, जो प्रधान मंत्री कहते हैं, सारे प्रदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिये, जमीन का बटवारा होना चाहिये लेकिन मेरा विश्वास है कि जब तक सत्ताधारी दल के हाथ में राज्यशासन की बागडोर है तथा जब तक चौधरी चरणसिंह माल मंत्री पद पर सुशोभित हैं तब तक मैं विश्वास करता हूं कि जमीन का बटवारा नहीं हो सकता है और मेरा यह भी विश्वास है कि जब तक जमीन का बटवारा नहीं होगा तब तक कृषि प्रधान प्रदेश की समस्यायें हल होने वाली नहीं हैं, बेकारी और बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं होने वाला है । एक तरफ तो हजारों एकड़ जमीन परती, बिना बोये रहे और एक तरफ लोग बिना जमीन के रहें, भूखे-नंगे रहें, जमीन के लिये भूखे रहें। माननीय गुप्ता जी सामने बैठे हुये हैं, कई बार कहा गया कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करो,

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

छोटे-छोटे उद्योग धंधों को खोलो और मिल मालिकों के खजाने बढ़ते चले जा रहे हैं उनको ले कर नये-नये उद्योग धंधे खोलो लेकिन गुप्ता जी उसके लिये तैयार नहीं हैं। गांधी जी का नाम लिया जाता है, विनोवा भावे का नाम लिया जाता है और अभी अभी हमारे देश के महान नेता आचार्य नरेंद्रदेव जी की भी दुहाई दी जा रही है कि उन्होंने जो शिक्षायें दी हैं हम उनकी शिक्षा पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसी भी शिक्षा को मानने के लिये तैयार नहीं है, सारे आदर्शों को केवल लफ्जों में ही प्रयोग करती है, सही मानों में उस पर अमल नहीं कर सकती है। मैं आपसे कहूंगा कि शिकमी किसानों के हकों की रक्षा के लिये इस सदन के द्वारा बहुत से कानून पास किये गये हैं लेकिन मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि ४४ लाख शिकमी किसानों के हकों की रक्षा हो सकी ? मैं आजमगढ़ जिले की बात जानता हूं कि वहां ४ लाख कई हजार शिकमी किसान हैं पर उनमें से कितने के हकों की रक्षा इन कानूनों द्वारा हुई है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि धारा २३२ के अनुसार सन् ५६ से कागज में जिनके नाम से इंट्री है और वे जबरदस्ती यदि बेदखल कर दिये गये हैं तो आवेदन पत्र देने पर उनके खेत वापिस कर दिये जायेंगे यह इस धारा की मंशा है जिसके अनुसार आजमगढ़ में १,१६४ दरख्वास्तें पड़ीं। उनमे से ३२८ दरख्वास्तों की मंजूरी हुई शिकमी किसानों के पक्ष में और ७८५ शिकमी किसानों की जमीन भूस्वामियों को मिल गई। भूस्वामियों ने कमिश्नरी में अपील की, कमिश्नरी से आर्डर हुये दीवानी जाइये, रेवेन्यू कोर्ट जाइये, हाई कोर्ट जाइये। वह गरीब किसान दौड़ता-दौड़ता मर गया लेकिन एक भी किसान को जमीन नहीं मिल सकी है। आप जानते हैं कि सरकार से २० मर्तबा कहा गया, चौधरी चरण सिंह से भी कहा गया कि शिकमी किसानों को माल दीवानी और हाई कोर्ट के चक्कर में मत दौड़ाओ लेकिन उन्होंने माना नहीं। शिकमी किसान माल, दीवानी और हाई कोर्ट तक दौड़ते-दौड़ते मर गये। जिस कानून को सरकार ने उस किसान की रक्षा के लिये बनाया उस कानून की रक्षा सरकार स्वयं न कर सकी और उसके अहलकार भी नहीं कर सके। सरकार खुद इस कानून का उल्लंघन करती है और अपने कानून की पाबन्दी नहीं करा पाती है। एक तरफ शांति और व्यवस्था की बात कही जाती है लेकिन जब तक न्याय और शासन का बटवारा नहीं होगा तब तक शांति और व्यवस्था नहीं हो सकती है। कांग्रेस के प्रस्ताव हैं कि जब उसकी हुकूमत आयेगी तो न्याय और शासन का बटवारा करेगी लेकिन राज्यपाल महोदय ने इसका कोई जिक्र अपने अभिभाषण में नहीं किया है।

कहा गया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये हमने बहुत रुपया खर्च किया। श्रीमन्, सरकार कहने में तो थकती नहीं है लेकिन मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि जब ऐलान किया गया इस सदन में कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में ५ महीने की पूरी फीस माफ कर दी जायगी लेकिन वहां पर केवल एक महीने की फीस माफ की गई। हजारों स्कूल खंडहर हो गये लेकिन उनको एक पैसा नहीं दिया गया। हजारों, लाखों घर इस प्रदेश के बाढ़ से गिर गये, पेड़ों तले लोग रह रहे हैं लेकिन शायद आपको इतनी जानकारी न हो कि सरकार के मंत्रियों ने १५ रुपये, २० रुपये दे कर घर बनवाने के लिये कहा। मैं जानता चाहता हूं कि कौन ऐसा किसान है या ऐसा आदमी है जिसकी सारी जमीन खत्म हो गई हो, सारा घर बरबाद हो गया हो, वह १५,२० रुपये में एक छप्पर भी बनवा ले। महामान्य राज्यपाल के संबोधन मे ऐसी बातों का गुणगान करना मैं कुछ अच्छा नहीं समझता। सरकार ने सही मानों में जो तारीफ के काम किये हों उनका ही उनमें जिक्र करना उचित होता है। जहां तक मजदूरों का संबंध है शहर में अभी मजदूरों ने अभिनवीकरण का बड़ा विरोध किया।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। १० मिनट हो गये हैं, ५ मिनट रह गये हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभिनवीकरण के विरुद्ध कानपुर के हजारों मजदूरों ने जो देश में एक इतिहास कायम किया, इतनी बड़ी तादाद में, इतने दिनों तक देश के अन्दर किसी सूबे में मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है। वह कानपुर के मजदूरों ने किया। लेकिन सरकार द्वारा किस प्रकार का व्यवहार मजदूरों के हित में हुआ या अहित में हुआ यह सारे प्रदेश और देश को विदित है।

श्रीमन्, इस अभिभाषण में यदि महामहिम राज्यपाल ने चर्चा कर दी होती कि सरकार के कारनामे पूंजीपतियों के साथ किस तरह के हैं और मजदूरों के साथ किस तरह के हैं, तो मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल का भाषण निष्पक्ष हो कर जनता एवं सरकार को सही राह दिखलाने वाला होता।

श्रीमन्, यह सरकार शहरों और देहातों में अन्तर करती जा रही है। शहरी लोग आबाद रहें, देहात के लोग बरबाद हों ऐसी सरकार की नीयत है। इस तरह का काम करती है। उदाहरणस्वरूप मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये लाखों रुपया शहरों में भवन निर्माण के लिये प्रदान किया है लेकिन देहातों में एक भी पैसा नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए बजट में सरकार की ओर से कोई इशारा नहीं किया जाता है।

पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि ७२ हजार ४ सौ २४ पंचायतों का निर्माण करा कर प्रदेश में एक मूक-क्रान्ति की है, और जनता को बहुत बड़ा अधिकार दिया है। श्रीमन्, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि निष्पक्षता और अधिकार की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि यदि पार्लियामेंट और असेम्बली का मेम्बर जमानत दाखिल करे तो जीतने पर उसकी वापस हो जाती है लेकिन पंचायत का पंच, गरीब से गरीब आदमी, ६ रु० १२ रु० जमा करेगा, लेकिन वापस नहीं हो सकती है। श्रीमन्, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में और अकाल पीड़ित क्षेत्रों में वर्षों से जो टैक्स बकाया है उसको मुल्तवी नहीं किया जाता है। यहीं नहीं श्रीमन् शर्त लगा दी गयी है कि जो पंचायत का टैक्स अदा नहीं करेगा वह खड़ा नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में तीन चार पूंजीपति इस सरकार के ऐसे दोस्त हैं, जिनके जिम्मे करोड़ों रुपया टैक्स का बकाया है, जिस आदमी पर करोड़ों रुपया बकाया है, उस आदमी की मिल जब्त नहीं होती, उसकी कुर्की नहीं होती, वह पार्लियामेंट और असेम्बली का सदस्य हो सकता है। लेकिन बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में एक दो आने पैसे भी अगर किसी के ऊपर बकाया है तो वह पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। यह इस सरकार का लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत है जिसका सरकार ढिंढोरा पीटती है कि वह प्रदेश और देश में लोकतंत्र चलाना चाहती है।

कहा गया है कि सामुदायिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम किया गया है। लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ गांव सामुदायिक क्षेत्र में आते हैं। मुझे उन गांवों को देखने का अवसर बराबर मिला करता है। उनमें तथा इस प्रदेश के हजारों गांव ऐसे हैं जो कि सामुदायिक क्षेत्रों में पड़ते हैं, पर वहां की हरिजन बस्तियों में पानी पीने तक का इंतजाम नहीं है। जो पैसा सामुदायिक क्षेत्रों में व्यय किया जाता है वह गरीबों और हरिजनों के उत्थान के लिए नहीं हो पाता है। मालगुजारी की पद्धति के सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिस जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में बहुत कहा गया कि बड़ा कलंक है इस प्रदेश की जनता की रीढ़ को तोड़ती चली जा रही है, जमींदारी का खात्मा हुआ, लेकिन रीढ़ तोड़ने वाले जो जमींदार थे जो उन्होंने मालगुजारी निश्चित की थी वही मालगुजारी सरकार भी वसूल कर रही है। गांधी जी के चरणों पर चलने वाली सरकार जमींदारों द्वारा लगाई मालगुजारी को वसूल कर रही है और श्रीमन्, उसकी वसूली में क्या-क्या ज्यादतियां होती हैं, कहा नहीं जा सकता।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लोगों को चारपाई से बांधा गया, खंभों से बांधा गया, ये सारे कृत्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। कहा गया है कि शिकमी किसान की रक्षा के लिये बहुत किया है। मैं कहता हूं कि शिकमी किसान को सर्किल रेट से दुगनी मालगुजारी देनी पड़ती है। शिकमी किसान कौन है। वह होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। शिकमी किसान सर्किल रेट से दुगनी मालगुजारी दे, सरकार उसे वसूल करे। श्रीमन्, यही प्रदेश है जहां कि मालगुजारी में इतनी विषमता है। कोई खेत में ज्यादा पैदावार होती है उसकी मालगुजारी कम है, किसी खेत में पैदावार कम होती है उसकी मालगुजारी चौगुनी है। श्रीमन्, मैं उदाहरणस्वरूप कह सकता हूं। मैं बाढ़पीड़ित एरिया का रहने वाला हूं। बाढ़ पीड़ित एरिया में एक गांव है भटिया, जिसकी सर्किल रेट की मालगुजारी १३ रु० १० आना फी एकड़ है और पास के गांव में ४ रु० फी एकड़। इस तरह से विषमता है मालगुजारी में। मैं चाहता हूं कि जब आपने जमींदारी खत्म की और इसलिये की कि किसानों को राहत मिले, तो सब से बड़ी कसौटी उसकी हो सकती है आप मालगुजारी खेत की पैदावार पर निश्चित करें और शिकमी किसान की मालगुजारी जो काश्तकार के खेत की है उतनी ही निश्चित करें। तब तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ जमींदारी के टूटने से शिकमी और काश्तकार किसान को मालगुजारी में कुछ राहत हुई है।

श्रीमन्, कहा गया है कि बाढ़ से बचाने के लिये हमने बहुत प्रबन्ध किया है और अगली पंचवर्षीय योजना में २२ करोड़ रुपया खर्च करके बाढ़ से बचाने की और कोशिश करेंगे। श्रीमन्, जो आज तक बचाने की कोशिश की गई है अगर यही कोशिश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रहे तो ऐसी कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिये। श्रीमन् जी, हजारों गांव नदी के कटाव से कटे हैं, हजारों गांव बरबाद हुये हैं। हमारे विरोधी दल के नेता श्री गेंदा सिंह ने एक चिट्ठी दी है जिसमें लिखा है कि उनके गांव में १२८ परिवार बसे हुए हैं उस गांव का नाम सम्पूर्णानन्द नगर रखा गया है। मैं नहीं जानता कि डा० सम्पूर्णानन्द से पूंछ कर यह नाम रखा गया है या अपने मन से रखा है, लेकिन सम्पूर्णानन्द के नाम पर नगर बसाया जाय, उस गांव में रहने वाले लोगों के पास एक बिस्वा जमीन नहीं, और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं और श्रीमन्, दो आदमियों की खाने बिना मौत भी हुई है। हमारे गांव में खुद २५, २८ घर ऐसे हैं जब मैं देखता हूं रोशनी नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, जहां हजारों परिवार ऐसे हों और सरकार दम भरे कि उसने बाढ़ से रक्षा के लिये बहुत काम किया है, तो मैं इसके बारे में क्या कहूं। श्रीमन्, सप्लीमेंटरी बजट में आप देखेंगे कि ३२ लाख रुपये की तकावी की माफी सरकार की ओर से दी गई है लेकिन खोदो पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत है। मैं आपको अपने जिले के बारे में बताऊं कि ४ लाख कई हजार की माफी का ऐलान है लेकिन उसमें से मैं समझता हूं कि ४ हजार की ही माफी होगी।

श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामस्वरूप गुप्त जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं कि उन्होंने हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और जिस प्रकार हमारे राज्यपाल महोदय ने हमारे सूबे की स्थिति पर सही माने में प्रकाश डाला है वह हमारे और आप सबके लिये एक बड़े गर्व की बात है। हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश ने जो इन चार सालों में तरक्की करके दिखलायी है सारे देश में जो हमारे इस सूबे की तरक्की से देश को प्रकाश मिल रहा है, वह हमारे आपके सामने है। यह हो सकता है कि हम उसकी आलोचना करें। यह हो सकता है कि उनमें कुछ कमियां भी हों लेकिन सही माने में अगर हम बहुमुखी तरक्की की तरफ देखें और देश में जिन चीजों की कमी थी, जिस तरह से हमारा देश जर्जर हो रहा था, उन परिस्थितियों में हमने अपने राज्य में जो इतनी तरक्की की जो कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बतलाया है और जो हमारे आपके सामने है, वह प्रशंसा के योग्य है।

बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनका इस छोटे से भाषण में जिक्र नहीं हो सकता और कुछ कमियां भी हो सकती हैं। इस पर भी हमें आपको प्रकाश डालना है। लेकिन सही माने में जिस तेजी के साथ और जो बहुमुखी तरक्की हमारे प्रदेश ने की है वह प्रशंसा के योग्य है। राज्यपाल महोदय के इस भाषण में जो हरिजन सम्बन्धी बहुत सी कमियों का हमारे आपके सामने नकशा है, उसका जिक्र नहीं है। मुझे उस सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव रखने हैं। हमारे प्रदेश में हरिजन रिजर्वेशन की १८ फीसदी की जो बात कही जा रही है, १८ फीसदी रिजर्वेशन जो हमारे लिए नियत किया गया है अगर असली माने में क्रियात्मक रूप से देखें तो हमें कहीं साफ नक्शा उसका नजर नहीं आता है। किसी भी विभाग में उसका अमल नहीं होता और न सरकार की तरफ से ऐसी कोई खास व्यवस्था ही की गई है कि किसी ठोस कदम को उठाया गया हो और यह देखा गया हो कि वाकई में यह १८ फीसदी रिजर्वेशन की बात विभागों में सही रूप में अमल में लायी जा रही है या नहीं। यह भाषण जब मैंने राज्यपाल महोदय का देखा तो इस साल के भाषण में हरिजन उत्थान के सिलसिले में या हरिजनों को जो सुविधायें देने की बात है उसके सिलसिले में राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया। इस समय परिस्थिति जो कास्टिज्म की चल रही है, हरिजन संबंधी जितने भी आपके विद्यार्थी कालेजेज के होस्टेल में हैं, उनकी भी बड़ी दयनीय दशा है। मैं मिसाल के तौर पर डी० ए० वी० कालेज, कानपुर का जिक्र करता हूं। वहां जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कितनी ही तकलीफें हैं, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां पर उनके साथ खाना नहीं खाया जाता है, उनके साथ परहेज किया जाता है आज के इस युग में, मुझे यह बात स्पष्ट रूप से कहनी है कि इस प्रकार की चीजों पर सख्ती की जरूरत है। यह हमारे आपके लिए कलंक की बात है। जब हम आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस छुआछूत के आडम्बर को कानून के जरिये से और इन विभागों के जरिये से दूर करने की बात की जा रही है तो ऐसी मिसालें हमारे आपके लिए शर्म की मिसालें हैं। यह मैं मानता हूं कि किसी भी तरीके से जैसी कि एक पालिसी हमारी चल रही है कि हरिजन विद्यार्थियों के लिए अलग होस्टल न हों, हम लोग इससे सहमत हैं। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि मिले जुले होस्टलों में इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है तो हम फिर यहीं पर आते हैं कि इससे तो हम यहीं पर अच्छे थे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर भी एक सही कदम उठाया जाय और जो हमारे राज्यपाल महोदय ने हरिजनोत्थान के बारे में अपने भाषण में जिक्र किया है मैं सरकार से इस सिलसिले में अनुरोध करूंगा कि वह इस तरफ भी कदम उठाने की व्यवस्था करे। राज्यपाल महोदय ने जो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए संकेत किया है और जिसमें उन्होंने आशा भी प्रगट की है हम भी उस पर विश्वास करते हैं कि जिस तरह से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में हमें अनाज सम्बन्धी सफलता मिली है और भी सफलतायें हमने पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की हैं, उसी तरह से हमारा विश्वास है कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सफलता प्राप्त होगी। आज, श्रमदान के धन ने हमें जो एक अपूर्व शक्ति दी है भारतवर्ष में, हमारा ऐसा विश्वास है कि उस धन के सदुपयोग से हम अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी सफल होंगे। जब हमने अनाज जैसी समस्या का हल निकाल लिया, जब हमारे प्रदेश में कपड़े जैसी समस्या का हल निकल आया तो हमारा विश्वास है कि यह बेरोजगारी की समस्या और छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिनको हम आगे की पंचवर्षीय योजना में चलाने जा रहे हैं उसमें भी हमें सफलता होगी। लेकिन इसके लिये हमें धन से सहायता करनी होगी और जनता का सहयोग प्राप्त करना होगा तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने सारी बातों की चर्चा करते हुये जो समाज उत्थान संबंधी सुविधाओं की चर्चा की है, जैसे हमारे मन्दिर और सामाजिक संस्थाओं के बिल इत्यादि हैं, उन पर भी हमें और आपको आगे बढ़ कर इस विश्वास के साथ कदम उठाना है कि जिस तरह से हमारे आज के अनाथालय हैं, हमारे विधवा आश्रम हैं और मन्दिरों में

[श्री पातीराम]

लगी हुई जायदादें और रियासतें हैं उनमें जो अव्यवस्था चल रही है वह सुधर सके। ये चौमुखी योजनायें ऐसी हैं जिनसे हमारे प्रदेश का मान बढ़ेगा और इस सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की बातें कहीं हैं उनके बारे में भी हमें यह देखना है कि जो वाकई में हममें कमियां हैं उनको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। उनको इस रूप में नहीं लेना चाहिये कि चूंकि वे दूसरी तरफ से आयी हैं इसलिये उन्हें नजर-अन्दाज कर दें।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरिजन सम्बन्धी बहुत से मसलों को छोड़ दिया है, जैसे उनके मकान संबंधी, कुयें सम्बन्धी, विद्या संबंधी और कुटीर उद्योग संबंधी मसले हैं जिनके बारे में सरकार आगे कदम बढ़ाने जा रही है। इन मसलों पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि इस वर्ग के पास न तो इतनी सहूलियतें हैं और न पैसा है। हरिजनों को जब तक विशेष रूप से आप कुटीर उद्योगों में सहायता नहीं देंगे तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

जहां राज्यपाल महोदय ने इस बात की घोषणा की कि प्रदेश में मद्य निषेध संबंधी योजना के अन्तर्गत गांजा कतई रूप से बन्द कर दिया जायगा वहां जो दूसरी नशीली वस्तुयें हैं उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हम इस बात की आशा करते थे कि हमारे प्रदेश में नशीली चीजें कतई बन्द कर दी जायंगी। हमारा यह भी नम्र सुझाव है कि इस सिलसिले में भी एक ठोस कदम उठाया जाय और जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रदेश में मद्य निषेध हो।

यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में गो-वध निषेध कानून बन गया है और बूढ़े जानवरों को रखने के लिये कई स्थान भी सरकार ने मुकर्रर कर दिये हैं और ऐसे स्थानों को और बढ़ाने की भी वह सोच रही है। यह एक बड़े गौरव और हमारे लिये शान की बात है क्योंकि हमारे देश में गौ माता का बड़ा आदर है और हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इस कदम को उठाकर सरकार ने आज जनता का अमूल्य सहयोग प्राप्त किया है और हमें आशा है कि सरकार इसको सही माने में सही रूप देगी और इस कानून को सफल बनाने में जनता भी सरकार का साथ देगी। ऐसा हमारा विश्वास है। यह सारी बातें हमारे सरकारी विभागों द्वारा हो रही हैं। इस सिलसिले में जो आगे और आने वाले कदम हैं उनमें भी जनता का सरकार के साथ सहयोग होगा और हम दिन ब दिन तरक्की करते चले जायेंगे।

जिस तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त करके हमने जनता का आदर प्राप्त किया है और सारे प्रदेशों में हमारा मान बढ़ा है ठीक उसी तरह से जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेकारी को दूर करना तथा छोटे छोटे और बड़े बड़े उद्योगों को अपने प्रदेश में लाना है। इसमें भी हमें आशातीत सफलता प्राप्त होगी ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। वह दिन भी दूर नहीं है जब तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हमारे सामने आयेगा और इस द्वितीय योजना की सफलता की घोषणा हमारे सामने आयगी ऐसा हमारा विश्वास है। यह दिन तभी हो सकता है जब हम सही माने में आलोचना करते हुये एक दूसरे का साथ देकर सरकार का सही माने में हाथ बटायें। आज जनता बड़ी उत्सुक है और वह तन मन धन से साथ देने को तैयार है। आपने देखा होगा कि जब जब सरकार ने कदम उठाया और उसने धन और श्रम की मांग की तो जनता ने अपना हृदय खोलकर सामने रख दिया और जनता आज हमारे साथ है। हमें देखना यह है कि हम कितना सहयोग जनता से प्राप्त कर सकते हैं और इसको देखते हुये हमें तन मन धन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में जुट जाना चाहिये। मैं माननीय रामस्वरूप जी गुप्त के इस प्रस्ताव का इन शब्दों से समर्थन करता हूं। जय हिंद!

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण पर हमारे आदरणीय श्री रामस्वरूप गुप्त ने जो प्रस्ताव धन्यवाद सूचक सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। दो दिन से इस प्रस्ताव के ऊपर पक्ष और विपक्ष के भाषण हम सुन रहे हैं और विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह जी ने जो १५ सूत्रीय विरोधी संशोधन प्रस्तुत किया उसको हमने बड़े गौर से देखा है। आज सदन में बोलते हुये नवीन सदस्य ने जो अपना प्रथम भाषण किया उसको भी मैंने सुना। ऐसा लगता है कि उन्होंने जहां से आरम्भ किया था अंत ठीक जगह वह कर नहीं पाये। तथ्य और सत्य के के आधार पर आलोचना करने के हामी तथा समर्थक और अपने पूर्व वक्ताओं को इस बात की चेतावनी देते हुये कि उनको यह स्मरण रखना चाहिये कि यह विधान सभा है, सार्वजनिक सभा का मंच नहीं है दुख की बात है कि वे स्वयं इस उपदेश को अपना भाषण जारी रखते हुये भूल गये और इस प्रकार से उन्होंने भाषण किया जैसे लगता था कि यह सचमुच में विधान सभा नहीं है। आलोचक का कार्य दो प्रकार का होता है। एक वह जो या तो केवल चाटुकारिता करते हैं, और एक वे जो केवल निन्दा करते हैं। किन्तु आलोचक न चाटुकार है न निन्दक। आलोचक का कार्य होता है कि वह जिस वस्तु, जिस कार्य, जिस विषय की आलोचना करता है पहले उसकी विशिष्टताओं को सामने रखे और उन विशिष्टताओं को सामने रखते हुये जो उसमें खामियां, जो त्रुटियां दिखायी पड़ें उनकी पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है वह सुझाव दे। वह सुझाव दे सकता है यह आलोचक का कार्य है। किन्तु ऐसा लगता है कि आज के इस युग में आलोचना इतनी सहज हो गयी है कि हर व्यक्ति, हर एक साधारण से साधारण व्यक्ति आलोचक हो जाता है और हर चीज की आलोचना या समालोचना करने बैठ जाता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राज्य की सर्वतोमुखी प्रगति का जो संकेत किया है, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और इससे संबंधित अन्य विषयों की जो प्रगति का संकेत किया है उससे हमें यह सही है कि संतोष नहीं हुआ है क्योंकि मानव स्वभाव यह होता है कि वह अधिक से अधिक की कामना करता है, किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं होता और तब व्यावहारिक दृष्टि से हमको यह देखना पड़ता है कि वस्तुस्थिति क्या है। उसको हम देखते हैं और पारस्परिक परिस्थितियों को हम देखते हैं। प्रगति का जो संकेत दिया गया है वह कितना आशावर्धक है और कितना निराशावर्द्धक इन दृष्टियों से जब हम राज्यपाल के अभिभाषण पर दृष्टि डालते हैं तो इन परिस्थितियों के अनुरूप जितना संतोष होना चाहिये उतना संतोष प्राप्त होता है। हम यदि आज कल्पनामूलक चिंतन के द्वारा अपने सामने कोई चित्र भी रखते हैं और वह चित्र आज हमें नहीं दिखायी पड़ता तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। तो इसलिये मैं अपने उन आदरणीय आलोचकों से, जिन्होंने राज्य की प्रगति के सम्बन्ध में अपनी बातें सदन के सामने उपस्थित की हैं यह निवेदन करूंगा कि वे यदि अपने सामने स्वतः कल्पनामूलक चित्र न रख कर देश की वस्तुस्थिति जो है उसको अपने सामने रखें और फिर इस सदन के सामने अपनी आलोचना उपस्थित करें तो देश का और समाज का, दोनों का हित संभव है।

हमारा राज्य विकास की दिशा में जिस प्रकार अग्रसर हो रहा है कतिपय मित्रों ने यह बताया कि उसमें सारा का सारा रुपया यूं ही खर्च हो जाता है और गांव में उसका कोई आभास नहीं मिलता और यह पता नहीं चलता कि यह रुपया कहां चला जाता है। अभी हमारे माननीय मित्र राम सुन्दर जी पांडेय ने कहा कि सरकार शहरों को आबाद कर रही और गांवों को बरबाद रही है। शहरों में सहकारिता के आधार पर गृहनिर्माण की योजना कार्यान्वित कर रही है। किन्तु मैं अपने मित्र पांडेय जी को बतला देना चाहता हूं कि राज्य प्रसार सेवा खंड की योजना जिसके ऊपर हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, यह शहरों की आबादी के लिये नहीं है बल्कि देहातों के विकास के लिये ही है। आज तक हमारे राज्य में १६१ सेवाखंड खोले जा चुके हैं जिनके अन्तर्गत १ करोड़ १० लाख की आबादी आती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

देहाती क्षेत्र का कोई ऐसा हिस्सा न रह जायगा जो सामूहिक योजना के अन्तर्गत न आ जाय। जिस गृह निर्माण योजा का पांडेय जी ने जिक्र किया, उनको यह स्मरण होना चाहिये कि देहाती क्षेत्र में जो टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज हैं वहां पर भी वह गृहनिर्माण की सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आज गृह निर्माण की जो समस्या शहरों में है वह देहात में नहीं है। इस वास्तविकता से आंखें मूंदने से काम नहीं चल सकता है। लिहाजा पहली आवश्यकता इस बात की है कि शहरों में घरों की जो कमी है उसको दूर किया जाय। इसके साथ ही साथ इस काम को करते हुये ऐसा नहीं हो रहा है कि देहातों की जो आवश्यकतायें हैं उन पर किसी प्रकार से ध्यान न दिया जा रहा हो। आज अगर हम शिक्षा की तरफ देखें, मैं अपने जिले की बात जानता हूं और मेरा ख्याल है कि ऐसी ही स्थिति हर जगह होगी। हमारे जिले में स्वतंत्रता के पूर्व मुश्किल से ४ हाईस्कूल थे लेकिन आज हमारे जिले के अन्दर २९ हायर सेकेन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं। इसी प्रकार से जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल्स, डिग्री कालेज और प्राइमरी स्कूलों की संख्या भी इसी अनुपात से बढ़ती हुयी चली गयी है। तो शिक्षा की दिशा में ग्रामों में जितनी उन्नति हुयी है और जितना खर्च किया जा रहा है वह आज की स्थिति को देखते हुये प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता।

उद्योगों की तरफ भी हमारी सरकार सचेष्ट है और यह हर्ष की बात है क्योंकि आज कृषि का कितना ही विकास क्यों न किया जाय, कितना ही अधिक क्यों न उत्पन्न किया जाय किन्तु यदि हमें अपने देश को सम्पन्न बनाना है तो वह केवल कृषि से सम्पन्न नहीं हो सकता। कृषि हमें भोजन दे सकती है। उससे हमारे खाद्य पदार्थों की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं किन्तु संपन्नता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया जाय। इस दिशा में हमारी सरकार जो कदम उठा रही है वह प्रशंसनीय है। सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निर्माण किया है। प्रसन्नता की बात है कि एक अच्छे बड़े उद्योगपति जो एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त कन्सर्न से सम्बन्ध रखने वाले हैं, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है परन्तु इस जगह सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि चूंकि वह एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ऐसा न हो कि यह फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी केवल बड़े बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में अपने कार्य को सीमित रक्खे और ग्रामीण क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे रक्खे जा सकते हैं उनकी उपेक्षा करे। जैसा मैंने कहा कि हमारे राज्य को जहां उद्योग का अनुभव रखने वाले बड़े बड़े इस प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता है और हम इसको स्वीकार करते हैं वहां उससे भी ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हमारे राज्य के जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकें और इसके लिये सहयोग समितियों द्वारा एवं व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको अधिकाधिक प्रोत्साहन सरकार की ओर से दिया जाय। जो यह तथ्य निरूपण कमेटी बनने जा रही है उसके द्वारा देहाती क्षेत्रों के लिये इस प्रकार की एक स्वतंत्र कमेटी जो उद्योगों से परिचित हो, स्थापित की जाय और वह इस प्रकार के साधनों का उपयोग करे जिससे हमारे देहाती क्षेत्र अगली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक दृष्टि से स्वतंत्र या स्वावलम्बी हो जायं। हमारे राज्य ने जनतंत्र का जो प्रयोग ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में किया और जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने किया उस सम्बन्ध में भी मैं कहूंगा कि यह हमारा निस्संदेह एक महान् प्रयोग है किन्तु यह जितना महान प्रयोग है उतना ही महान् दुरुपयोग भी हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिये इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। अब समय अधिक नहीं है इसलिये और विषयों में न जाकर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान केवल इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम गांवसभाओं के क्षेत्रों के चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से कराये जायं यह नितांत आवश्यक है अन्यथा यह जनतंत्र का महान् प्रयोग दुरुपयोग में परिवर्तित हो जायगा। इस ओर राज्य सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है।

एक बात मैं और कहूंगा कि हम जो एक नवीन प्रयोग कर रहे हैं उस की सफलता तभी सम्भव होगी जब हम उनका जितना आकांक्षित या ड्यू महत्व है वह हम दें । खेद है कि हमारे राज्य अधिकारियों के मानस में अबतक भी जनतांत्रिक प्रयोग घुसा नहीं है और इस को जितना महत्व उन से मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है । तो किसी भी इन्सटीट्यूशन या नवीन प्रयोग को हम सम्पूर्णतः प्रगतिशील बनाने के लिये यदि उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हम उसको आगे बढ़ाने का ध्यान नहीं रखते तो वह प्रयोग कुछ दिन तक वैसे ही हिलते डुलते चलते हुये एक अस्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । इस समय सदन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वादविवाद हो रहा है परन्तु खेद है कि हमारे १३ मंत्रियों में से केवल १ ही माननीय मंत्री जो इस समय सदन में उपस्थित हैं और यहां की परम्परा रही है कि ऐसे समय में मंत्रिगण और उच्च अधिकारी वर्ग के अधिकतर लोग उपस्थित रहा करते हैं लेकिन उच्च अधिकारी वर्ग के लोग भी यहां नहीं हैं । तो मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह अत्यन्त अशोभनीय है और आप सरकार का ध्यान आकर्षित करावें ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि जितने मंत्री हैं वे सब ही यहां उपस्थित रहें । एक हैं वह काफी हैं ।

* **श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमने २५ प्वाइन्ट्स का संशोधन अपना दिया था । मगर जो एजेंडा बनाया गया है उसमें केवल दस ही रह गये हैं । मुझे मालूम नहीं है कि वे प्वाइन्ट्स कैसे हट गये ।

श्री अधिष्ठाता—इसके ऊपर श्री अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है ।

श्री राजनारायण—ठीक है । मुझे मालूम नहीं था लेकिन अध्यक्ष को फार्म डिसाइड करने का अधिकार है कंटेन्ट्स बदलने का नहीं । यदि उन्होंने कोई व्यवस्था दे दी है तब तो वह सिर माथे पर परन्तु मैं अपनी प्रतिक्रिया को बतलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष या अधिष्ठाता फार्म को डिसाइड कर सकता है, कंटेन्ट को नहीं काट सकता ।

खैर, मैंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को सुना और पढ़ा और जो धन्यवाद का प्रस्ताव उस पर आया है और उसके पक्ष और विपक्ष में जो यहां भाषण हुये उनको भी सुनने का मौका हुआ । मैं जहां तक समझ पाया हूं माननीय राज्यपाल ने इस प्रदेश में डाका, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती की ओर न तो सदन का ध्यान आकर्षित किया है और न तो १६ अक्तूबर को आम सभा में बहू पुर गांव में, बाराबंकी जिले में जो श्री अवधशरण वर्मा और श्री सियाराम की दिनदहाड़े और सूरज की रोशनी में पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई उसके लिये खेद ही प्रकाशित किया । इसके अतिरिक्त उसके ४५ दिन पूर्व इसी सदन के एक दूसरे सम्मानित सदस्य श्री भगवती प्रसाद जी शुक्ल को सड़क पर दिन में मार दिया गया उसके लिये भी माननीय राज्यपाल खेद नहीं प्रकाशित किया । यह उनके भाषण में एक बहुत बड़ी कमी मुझे मालूम पड़ी है और उसके साथ ही साथ माननीय राज्यपाल ने जहां इस सरकार की सेवाओं का वर्णन किया वहां उसके द्वारा जितनी खामियां आज तक बरती गयी हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित नहीं किया । यदि मैं उनको एक एक करके गिनाऊं तो यह मालूम होगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कानपुर के मजदूरों के साथ जो इस सरकार की पुलिस ने अत्याचार किये थे, कानपुर के मजदूरों के रहने के लिये जो अभी क्वार्टर बने हैं जब यह कहा जाता है कि चार रुपये महीने किराया उनसे लिया जाता है तो यह क्यों नहीं समझा जाता कि यह बात ठीक नहीं है । आज भी उनसे १२–१३ रुपये महीने किराया लिया जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजना का स्पष्ट पूंजीवादी स्वरूप माननीय राज्यपाल बतलाना कतई भूल गये । जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एक ओर तो करोड़पंथ बनाने की प्रवृत्ति है और दूसरी ओर उसका कुफल कंगाली बढ़ाने की ओर है । इसलिये किसी के मस्तिष्क में तनिक भी संदेह नहीं रहना चाहिये कि जो सरकार की ओर से पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत हुयी है उसका स्वरूप पूंजीवादी है । इसी प्रदेश में गतवर्ष तीन हजार किसान जेल में गये नहर रेट के विरोध में । मैं समझता था कि जब माननीय राज्यपाल का सम्बोधन होगा तो नहर के रेट को घटाने की ओर राज्यपाल जी संकेत करेंगे मगर उधर भी संकेत नहीं किया । सिंचाई के बारे में माननीय राज्यपाल जी ने जिस तरह से कहा कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुयी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय की कमी है वरना मैं सिंचाई की योजना को भी एक एक करके गिनाता कि कितना धन का दुरुपयोग हो रहा है, कितना व्यक्ति विशेष को देखते हुये योजना को इधर से उधर बदला जाता रहा है, कितनी दरें कहां हैं एकाएक उनके रास्ते को उनके रेट्स को व्यक्ति विशेष की सुविधाओं को देखकर परिवर्तित कर दिया जाता है, इसलिये यदि यह कहा जाय कि सिंचाई के क्षेत्र में इस सरकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है तो मैं समझता हूं कि वह वस्तुस्थिति को छिपाना है । देखा जाय श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार तो बादल है । माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने भी इस सदन में बादल की उपमा कई बार दी है । सम्मानित सदस्य उस बादल की उपमा को ले बैठे । मान लिया जाय कि यह सरकार बादल है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यह कांग्रेस सरकार रूपी बादल आज किस के आंगन में बरस रहा है । ४९–५० से जब से यह पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित हुयी तो उस वक्त २ रुपये मन गन्ने की कीमत थी और २८–३० रुपये मन चीनी की कीमत थी । मगर आज जहां किसान दो रुपये मन पाता था वहां १ रु० ५ आ० मन गन्ने की कीमत पाता है लेकिन २६ रुपये मन तक चीनी की कीमत है । तो किस के आंगन में बादल बरसा—किसान के आंगन में या मिल मालिक के आंगन में बरसा ? इस तरह की उपमा सदन में देना व्यर्थ में आत्म प्रवंचना करना है । हर पूंजीवादी सरकार अपने को बादल कह सकती है मगर उस बादल के बरसाव को देखना चाहिये कि वह बादल बरसता कहां है, पूंजीपतियों के घरों में बरसता है कि करोड़पतियों के घरों में बरसता है । माननीय राज्यपाल जी को मालूम नहीं कहां से आंकड़े प्राप्त हो गये । उन्होंने कहा कि देहात की आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ हुयी । सन् ५० में जहां एक देहाती के पीछे २१२ रुपये आमदनी थी वहां ५३–५४ में वह आमदनी १९२ रुपये रह गयी । तो कहां से देहात की आमदनी बढ़ी ? श्रीमान्, सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि देहात में पहले की व्यक्ति ४ भैंसें और १२ गायें थीं आज वहां एक भैंस भी नहीं रह गयी और एक गाय भी नहीं रह गयी । तो किस मानी में सरकार कह रही है कि देहात की आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ हुयी है ।

शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाय तो दो लाख प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की तादाद में कमी हुयी है । लेकिन राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में यह कहा गया कि शिक्षा में प्रगति हो रही है । मुझे एक मिनट के लिये हिचक नहीं, सन्देह नहीं कि शिक्षा में जो नीति चल रही है वह शिक्षा की प्रगति में बाधक है । जिस प्रकार यह सरकार शिक्षा की व्यवस्था चला रही है उसमें अनुशासनहीनता फैल रही है और यदि अनुशासनहीनता के लिये, शिक्षा की दुर्व्यवस्था के लिये किसी को दोषारोपण किया जाय तो १६ आने दोषी वर्तमान सरकार है ।

इसी तरह से श्रीमन् आप देखें कि टैक्स लगाने की क्या प्रणाली है । अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आज के युग में अगर कोई क्रान्तिकारी टैक्स लगाने की पद्धति हो सकती है तो वह पद्धति छूट की होनी चाहिये जिनके पास कर देने की क्षमता नहीं रह गयी है उन पर टैक्स न लगाया जाय । लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज जिनकी टैक्स देने की क्षमता नहीं रह गयी है उन्हीं पर इस सरकार का टैक्स का बोझा बढ़ता जा रहा है । इसलिये चारों तरफ से, हर प्रकार से सरकार ने मानव जीवन का ह्रास किया है, दुर्व्यवस्था पैदा की है, अराजकता पैदा की है ।

श्रीमन्, सरकारी चुर्क फैक्टरी की बड़ी चर्चा की गयी। सरकारी चुर्क फैक्टरी में आये दिन मजदूरों की हड़ताल होती रहती है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने जो कोटा दिया था उतना उत्पादन वहां हो रहा है—नहीं हो रहा है—तो फिर यह कहना कि सरकारी चुर्क फैक्टरी विकास पर चल रही है यह वस्तुस्थिति पर परदा डालना है।

इसके साथ-साथ एक बात माननीय गुप्त जी और कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने भी कही कि प्रदेश का भौमिक पर्यवेक्षण हो रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भौमिक पर्यवेक्षण का काम अपने प्रान्त में हो रहा है तो प्रान्तीय सरकार की ओर से एक दूसरा विभाग उसी काम को करने के लिये क्यों खोला गया है। क्यों नहीं प्रान्तीय सरकार कहता है केन्द्रीय सरकार से कि केन्द्रीय सरकार की जो कमेटी या जो लोग नियुक्त किये गये हैं वे अगर काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उनके काम में सुधार होना चाहिये। मगर श्रीमन्, मेरी निजी जानकारी में है कि हर, भारत सरकार के अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि इस दोहरे काम से हमारे काम में बाधा पड़ती है। एक ही काम को हम भी करते हैं, एक ही काम को प्रान्तीय सरकार के अधिकारी भी करते हैं। इसलिये उनके काम में भी दिक्कत पड़ती है और हमारे काम में भी दिक्कत पड़ती है। यह दोहरा प्रबन्ध खत्म होना चाहिये। कोई भी इसका औचित्य माननीय राज्यपाल ने नहीं दिया।

अब गांव पचायतों की ओर ध्यान दिया जाय। गांव पचायतों को देखकर हर ईमानदार आदमी इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि जनतंत्र की हत्या हो रही है। जिस दिन चुनाव हुआ है वह उस दिन तक वोटर्स लिस्ट बदल दी गयी है। जिस दिन चुनाव हुआ है उस दिन स्थानिक पुलिस अफसरों को मिला कर घोड़े दौड़ा दिये गये हैं। जब तमाम लोग चले गये हैं तो चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया गया है। यह जनतन्त्र है। इसी तरह से जनतंत्र प्रणाली को चला कर विकास करेंगे? हम कहां जा रहे हैं? इधर ध्यान देना चाहिये उद्योग-धधों में राष्ट्रविरोधी नीति चल रही है। अभिनवीकरण की योजना क्या है? अभिनवीकरण का अर्थ क्या है? मजदूरों के ऊपर काम का बोझ बढ़ा कर उन्हीं पुरानी मशीनों को रखकर अगर कोई अभिनवीकरण की योजना कहता है तो मैं कहता हूं कि वह राष्ट्र विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और सामान्य नागरिक हित विरोधी है क्योंकि मजदूरों की शक्ति आठ घंटे काम करने के बाद नहीं रह जाती है। एक करवट में सारी रात बीत जाती है। फिर उसी पुरानी मशीनरी को रखते हुए उनके ऊपर काम के बोझ को बढ़ाना, और अभिनवीकरण की नीति पर छटनी करना सर्वथा अन्याय और असंगत है। इस पर राज्यपाल ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

इस सरकार ने एक भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी बनायी है। मैं कहता हूं कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बराबर सोशलिस्ट पार्टी कहती रहती है कि यदि भ्रष्टाचार विरोधी कोई नीति बनानी है तो जो कमेटी बने उसमें सरकारी नियन्त्रण नहीं होना चाहिये। सरकार उसका खर्चा दे। वह इनीशिएटिव लेने के लिये मौजूद हो लेकिन सरकारी नियन्त्रण से वह कमेटी मुक्त हो। जो डी० वाई० एस० पी० इस सम्बन्ध में बनेंगे, हर जिले में कमेटियां बना रहे हैं, उनसे भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। इस तरह से अगर देखा जाय—श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट का समय दे दिया जाय। माननीय राज्यपाल महोदय ने चारों तरफ विकास की बड़ी चर्चा और इस सदन के सम्मानित सदस्य भी समझते होंगे कि विकास हो रहा है। मैंने उन्हीं का हिसाब लगाया है। अंग्रेजी राज्य के जमाने का भी हिसाब लगाया है। जितने दिन से यह सरकार कायम है, प्रत्येक साढ़े बारह दिन पर एक ब्लाक का परता पड़ता है। प्रान्त के जितने गांव हैं पांच साल में १/५ गांवों में उनका केन्द्र खुल पाया है। प्रति दिन का अनुपात लगा कर आधा मील सड़क का परता पड़ता है। हर ६ मील पर एक बड़ा केन्द्र होता है। अब अंग्रेजी हिसाब देखिये। एक दिन पर एक रेल की पटरी का परता है। एक जिले में एक चीनी का कारखाना खुला है। हर चौथे महीने एक कपड़े का कारखाना खुला है। प्रति दिन एक रेलवे प्लेटफार्म और इसी तरह के बड़े-बड़े काम हुये

[श्री राजनारायण]

हूं। किस मानी में यह सरकार कहती है कि वह अंग्रेजी राज्य से ज्यादा प्रगति के साथ चल रही है? इतने कारखाने खोले, इतने रेलवे स्टेशन बनाये, इतना रेल का पटरा बिछाकर भी अंग्रेजी राज्य ने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ढंग से देश का पतन किया। उसी तरह से मैं आगाह करना चाहता हूं कि कुछ थोड़े से नलकूप लगा कर, कुछ बांध बनवा कर जिस नीति से सरकार चल रही है, करों को बढ़ाने वाली नीति से वह देश का हर प्रकार से पतन कर रही है चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो या चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो। जहां आप देखेंगे ह्रास और पतन पायेंगे। देश और सारे प्रदेश को सत्यानाश कर बैठी है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि शब्दों के साथ खेल न हो। आप ने देखा कि माननीय गेंदा सिंह जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोशलिस्टिक पैटर्न का क्यों नहीं नाम लिया गया। और अब तो उन्होंने अपनी प्लानिंग कमेटी में सोशलिस्ट पैटर्न कर दिया है। चाहे वेलफेयर स्टेट का नाम लो, चाहे कोआपरेटिव कामनवेल्थ का नाम लो, चाहे सोशलिस्टिक पैटर्न का नाम लो, सारा का सारा ढोंग है, सारा का सारा व्यर्थ है जब तक कि उस तरह की कथनी नहीं होगी, उस तरह की कथनी करने के लिये अपनी करनी और कथनी में मेल लाना होगा। राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं दिल से उसका विरोधी हूं।

*श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं भवन में प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथा इस प्रस्ताव में जितने सारे संशोधन हैं उनके विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं इन संशोधनों के विरोध में इसलिये नहीं हूं कि इन संशोधनों में जिस विषय का जिक्र है उन विषयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं। किन्तु मैं इन संशोधनों के विरोध में इसलिये हूं कि जिन हमारे माननीय सदस्यों ने ये संशोधन रखे हैं, इन संशोधनों में जितने विषय हैं अगर उनका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होता तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं बल्कि सरकार के इन्फार-मेशन डायरेक्टोरेट की एक कापी हो जाती। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि महामना राज्य-पाल का यह कर्त्तव्य नहीं है कि अपने अभिभाषण में सरकार की ओर से उसके न्यूज आफ़िसर बन कर आयें और न उनका यह कर्त्तव्य है कि वे अपने अभिभाषण में विरोधी दल के स्पोक्समैन बन कर आवें। मैं तो यहां तक कहता अगर अभिभाषण में कुछ सरकार के कारनामों का जिक्र न हुआ होता तब तो श्रीमन्, मैं यह कहता कि राज्यपाल का केवल यही कर्त्तव्य है कि अपने अभिभाषण में वे सरकार किस पालिसी पर अब तक चलती आयी है और किस पालिसी पर अगले वर्ष में चलेगी, केवल इसी का जिक्र होना चाहिये। किन्तु इस सरकार की पालिसी को बतलाते हुये जिस पालिसी पर सरकार अभी तक चलती आयी है उसका सिंहा-वलोकन करते हुये जिस पालिसी पर आगामी वर्ष में सरकार चलना चाहती है वह बतलाते हुए कुछ उनके लिये आवश्यक भी हो जाता है कि वे सरकार के कारनामों की ओर इस सभा का ध्यान खींचें। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका संकेत किया है कि हमको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिये तथा किस पालिसी पर सरकार चलना चाहती है तथा पालिसी पर चलने में कुछ उसको सफलता मिली है या नहीं। उन्होंने बताया है कि इस तरह के कारनामों की कसौटी केवल यही है कि जो हमने अपने संविधान में तीन मुख्य प्रतिज्ञायें की हैं, उन्होंने अपने भाषण में बताया है कि सरकार के कारनामों की कसौटी संविधान में की हुई प्रतिज्ञाओं की ओर सरकार जा रही है और उसमें कितनी सफलता मिली है। और श्रीमन्, वे तीन कमेटियां हैं—न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता। यह हो सकता है कि किसी जिले में नलकूप कम बने हों यह हो सकता है कि चुर्क फैक्टरी का इंतजाम उतना अच्छा न हो जितना कि होना चाहिये, यह हो सकता है कि कहीं-कहीं अस्पताल न बन पायें, सड़क न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनीं हों नहर न खुली हो। किन्तु हमको यह देखना है, कि सरकार किस रास्ते पर चल रही है। क्या यह सत्य है कि कहीं इन ८ साल में जो हमने प्रतिज्ञायें की हैं संविधान में उसकी ओर सरकार सफलता पूर्वक चलती जा रही है या नहीं। क्या इस देश में या प्रदेश में न्याय की कमी है, क्या इस देश में और प्रदेश में कानून के अन्दर रहते हुए किसी प्रकार की स्वतंत्रता की कमी है या क्या सरकार की चेष्टा यह नहीं है, प्रयत्न नहीं है, प्रयास नहीं है कि हमारे हर एक व्यक्ति में, हर एक नागरिक में समानता हो? एक माननीय मित्र ने कल कहा था कि कुछ लोग तो यह चाहते हैं और कुछ लोग यह समझते हैं कि समानता के माने यह हैं कि जो ऊंचे हों उनको घसीट कर नीचे रख दिया जाय। ऐसा किया भी गया क्योंकि जब कि इतना अन्तर हो कि किसी प्रकार से खींच कर हम नीचे को ऊपर न उठा सकें, इतना ऊंचे न उठा सकें तब यह समानता लाने के लिये आवश्यक है कि कुछ थोड़ा बहुत जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे गिराया जाय और जो नीचे वाले हैं उनको थोड़ा बहुत ऊपर उठाया जाय। श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र माननीय सदस्य हरदोई को बधाई देता हूं। बधाई देता हूं उनके इस प्रयत्न और प्रयास पर कि उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध कर देश भर को यह दिखलाना चाहा कि देश भर में अन्धकार ही अन्धकार है। उन्होंने बड़ा जोशीला भाषण दिया। उनका पहला भाषण था। मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन श्रीमन्, मैं इतना उनसे निवेदन करूंगा कि जब मैं किसी आलोचक से यह सुनता हूं कि सरकार को जितना कुछ करना चाहिये था, नहीं कर पायी, जब मैं किसी आलोचक से यह सुनता हूं कि सरकार की पालिसी में अभी बहुत कुछ कमी है, जब मैं यह सुनता हूं कि सरकार की जितनी योजनायें हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खामियां हैं, तो पूर्णतः उनसे सहमत न होते हुये भी कुछ उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। किन्तु जब मैं यह सुनता हूं किसी आलोचक से कि अब तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया और जब मैं यह सुनता हूं तो मैं भ्रम में रह जाता हूं कि जो विदेशी सरकार ने किया उससे कहीं कम यह सरकार कर रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, यही निवेदन कर सकता हूं, मजबूर हूं, आपके सामने मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि उसके लिये क्या किया जाय। जो कुयें के अन्धकार में रहे और जगत का प्रकाश न देख सकता हो, जो अपनी आंख पर पट्टी बांधे रहे और यही चिल्लाता रहे कि हमारे सामने और देश में तो अन्धकार ही अन्धकार है।

श्रीमन्, यहां पर दो दिन से जो वादविवाद चल रहा है उनके भाषणों में मैंने सुना कि राज्यपाल महोदय ने इसका क्यों नहीं जिक्र किया कि चुर्क फैक्टरी में इन्तजाम बहुत खराब है, यह भी सुना कि राज्यपाल महोदय ने इसका क्यों नहीं जिक्र किया कि पंचायत राज को मालगुजारी की वसूलयाबी दी जायगी कि नहीं। मैंने यह भी सुना कि पचायत राज का टैक्स जो लगा है इसका क्यों नहीं जिक्र किया गया और वह टैक्स हटाया जायगा कि नहीं। मैंने यह भी सुना कि सिंचाई की जो दर बढ़ा दी गयी है, उसका क्यों नहीं जिक्र किया कि वह घटायी जायगी या नहीं। श्रीमन्, सवाल यह नहीं है कि नहर की दर घटायी जायगी कि नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि इस समय की पंचायत राज को वसूलयाबी दी जायगी कि नहीं। प्रश्न तो हमारे इस समय उपस्थित है कि राज्यपाल महोदय ने जो हमें संकेत किया है सरकार की पालिसी का उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। यह मैं मान सकता हूं कि पालिसी में सरकार की योजना में और उसकी उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फर्क हो जाता हो, कुछ कमी रह जाती हो और यह विरोधी दल का और हमारा भी बहुत हद तक यह कर्त्तव्य है कि उस खामी की ओर हम सरकार का ध्यान दिलायें। किन्तु श्रीमन्, क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस करते हुये हमको यह देखना है कि इतने मील सड़क क्यों नहीं बनी जब कि अंग्रेजी सरकार के समय में इतने मील बन जाया करती थी, क्या हमको उनके अभिभाषण पर वादविवाद करते समय यह देखना है कि इतने ज्यादा अस्पताल क्यों नहीं खुल पाये या यहां पंचायत राज को वसूलयाबी का भार सौंपा जायगा? कि नहीं।? श्रीमन्, जहां तक रचनात्मक कार्यों का प्रश्न है, जहां तक डेवलपमेंट का प्रश्न है मैं एक बात साफ़ कह दूं अपने मित्रों से भी जो कि इस ओर बैठे हैं और अपने उन मित्रों से भी जो कि विरोधी दल में बैठे हैं। चाहे जो कुछ भी हो एक बात तो स्पष्ट है कि यह वर्तमान सरकार या कांग्रेस

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

सरकार कोई जादूगर या बाजीगरों की सरकार नहीं है। किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई छू मंतर नहीं हो सकता और कांग्रेस सरकार के पास तो है ही नहीं कि उन्होंने एक छूमतर किया और जितने हमारे सामने समस्यायें हैं वह सब हल हो जाय। अगर माननीय राजनारायण जी या माननीय गेंदा जी यह कहें कि चलो, तुम ठीक रास्ते पर हो, लेकिन प्रगति इतनी तेज नहीं है, तो मैं मानने को तैयार हूं और उनकी इस आलोचना से मैं सहमत हूंगा और सहानुभूति रखूंगा, लेकिन जब हम यह बतलाना चाहते हैं कि यह निकम्मी सरकार जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, जो काम भी करती है वह ग़लत होते हैं, इसने कुछ किया ही नहीं, डेवलपमेंट में कुछ हुआ ही नहीं, जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, ईक्वलिटी जो तीन हमारी संविधान की प्रतिज्ञायें हैं उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया तो श्रीमन्, मुझे मजबूर हो जाना पड़ता है कि मैं उनसे कहूं कि जरा अपनी आंखों पर पट्टी हटा कर थोड़ा इधर उधर देख कर इस भवन में भाषण किया करें, यहां आलोचना किया करें। प्रजातन्त्रवाद में विरोधी दल का और विरोधी दल की आलोचना का एक बहुत बड़ा स्थान है। यदि आलोचना सत्य पर आधारित है, प्रोपेगेंडे के लिये नहीं है, वोट कैचिंग के लिये नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जब हमको हतोत्साह किया जाय केवल इसलिये कि सरकार के विरोध में तो कहना है ही, तब कहना ही पड़ता है कि उससे विरोधी दल अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहा है। कहा जाता है, चुनाव में हमने सुना, बाहर की जनता में हमने सुना, कि सरकार ने जमींदारी तो हटा दी लेकिन जो रुपया जमींदार के ऊपर से मालगुजारी देने के बाद रह जाता था वह रुपया किसानों को क्यों नहीं लौटाया गया? मालूम ऐसा होता है श्रीमन्, कि यह सरकार कोई एक व्यक्ति की सरकार है, कोई राजा है या बादशाह है जो सारा रुपया जनता का चाहे टैक्स या मालगुजारी में हो, वह उसकी पाकेट में जाता है और उसके महलों या मोटरों पर या उसके निजी कामों पर खर्च होता है। आखिर जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो कुछ भी खर्चा हमारी गरीब जनता के लिये किया जा रहा है वह आखिर आता कहां से है? जमींदार जो रुपया लेता था अगर वह अब राज्य के कोष में जाता है तो श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह भी जवाहरलाल नेहरू की जेब में जाता है या श्री सम्पूर्णानन्द जी की जेब में जाता है, या उनके कामों पर खर्च होता है? कहने को कहेंगे कि उनके कामों पर तो खर्च नहीं होता लेकिन उनकी मोटरों पर खर्च होता है, तो श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि मिनिस्टरों के पास मोटरें हैं, या उनके पास मकान हैं, मिनिस्टर लोग हवाई जहाज से क्यों दौरा करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आधुनिक युग में, वर्तमान काल में यह पुरानी परिपाटी, कब तक चलेगी और लकीर के फकीर हम कब तक बनते रहेंगे? क्या मुमकिन है कि श्री जवाहरलाल नेहरू हमारे देश भर का दौरा करें और रेल से दौरा करके इतना ही काम कर सकें जितना वह आजकल करते हैं या कहीं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में माननीय सम्पूर्णानन्द जाना चाहते हैं तो क्या मानने की बात है कि सिवाय हवाई जहाज के किसी और चीज पर इतनी जल्दी और तेजी और ठीक तरह से कर सकते हैं?

अन्त में माननीय मित्रों से जो विरोधी दल में बैठते हैं यह कहूंगा कि हम, आप की हर एक आलोचना से सहमत हो सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सहानुभूति रख सकते हैं यदि उनमें हमें कोई सच्चाई की झलक आवे, कुछ ऐसी झलक मालूम हो कि हम सरकार को ठीक रास्ते पर ले जाते हैं और जो सरकार में कमियां और खामियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं। क्योंकि न तो यह इस सरकार का दावा है और न इस सरकार में बैठने वाले मित्रों का दावा है कि सरकार बिल्कुल परफ़ेक्ट है। परफ़ेक्शन तो हुआ नहीं और न हो ही सकता है। जितना ही हम काम करते जायंगे उसमें कुछ न कुछ कमी तो रहेगी। लेकिन यह कहना कि सरकार निकम्मी है, कुछ करती नहीं, यह कहना कि यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीवादियों के लिये गरीबों को सताया जाता है उन पर अत्याचार होता है, वह भूखों मर रहे हैं

यह सर्वथा असत्य है। और इस आलोचना से न हमको लाभ होगा, न इनको लाभ होगा, न सरकार को, न देश को।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामना राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उस पर जो माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने बड़े गौर से महामना राज्यपाल जी के भाषण को भी पढ़ा और इस सदन में होने वाले भाषणों को जो गत दो दिनों से हुये हैं उन्हें भी बड़े गौर से सुना। मैं ने यह भी सुना कि अब हमारा उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया है, जंगल में मंगल हो रहा है। और अन्त में माननीय देवदत्त जी मिश्र और सुरेश प्रकाश जी के भाषणों को सुनने के बाद चिन्ता मूलक कल्पना और महामना राज्यपाल जी के अभिभाषण की रूपरेखा कैसी हो इसकी सीख भी सुनी। मान्यवर, जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं मैं उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि इस स्वर्ग की परिभाषा क्या हो यह तो धर्म के ग्रंथों में लिखी हुयी बातें ही हो सकती हैं और उसके जानकार ही बता सकेंगे। परन्तु मैं इतना जानता हूं कि स्वर्ग में जाने के बाद आवागमन से छुटकारा मिल जाया करता है। अगर वे इस राज्य में रहने वाले लोगों को यह समझते हैं कि उन्होंने इतनी सुविधा दे दी है कि अब उनकी आवागमन की सारी चिन्ता छूट जायगी, यदि यह सही है, तो हमें मान लेना चाहिये कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं यह समझूंगा कि कल्पना जो जाल माननीय देवदत्त जी मिश्र ने बनाया था उसमें फंसे हुये माननीय सदस्यों ने कल्पना की।

जहां तक अभिभाषण का प्रश्न है, मैंने बड़े गौर से देखा कि गोरखपुर और बनारस में यूनिवर्सिटी खुलेगी, हमने देखा कि प्रान्त में अब गांजा भंग बन्द कर दिया जायगा, यह भी हमने पाया कि बिजली के किलोवाट्स की बढ़ोत्तरी हुयी है, प्लानिंग का बड़ा अच्छा काम हुआ है, गांव समाजों के हाथ में जो बन्जर भूमि चली गयी है उससे जंगल की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। ये सारी चीजें हमने महामना राज्यपाल के अभिभाषण में देखीं और पढ़ीं। लेकिन हमने उस अभिभाषण में यह नहीं देखा कि गरीबी दूर करने के लिये महामान्य राज्यपाल कौन सा आदेश कौन सा निर्देशन देने जा रहे हैं इस राज्य को। हमने यह नहीं देखा कि बड़ी भुखमरी और छोटी गरीबी और अमीरी को दूर करने के लिये सामान्यता की कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें सीलिंग की कोई घोषणा हो। हमने यह भी नहीं देखा कि जिस जनता के टैक्सों की वसूली के ऊपर हमारी यह सरकार चलती है उसके बच्चों को शुल्क लेकर शिक्षा देने कीव्यवस्था जो इस राज्य सरकार द्वारा है उस पर महामना राज्यपाल ने यह घोषणा की हो कि अब निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क न्याय लोगों को प्राप्त हो सकेगा इस प्रदेश में। यह मैंने सुना अवश्य कतिपय माननीय सदस्यों के भाषणों में कि बड़ा काम हो रहा है प्लानिंग का, एन०ई०एस० ब्लाक्स खुले हुये हैं और श्रीमन् मैं बड़े गौर से सोच रहा था और मैं इस नतीजे पर पहुंचना चाहता था कि हमारी बुद्धि क्या सचमुच अपोजीशन में बैठने के कारण अपोजिट हो गयी है या कुछ उसमें तथ्य भी है? लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे कि माननीय मंत्रीगण जब देहातों में जाते हैं तो अफसरों के घेरे के बाहर जाने की उनकी चेष्टा ही नहीं होती है। यह ठीक है कि कुछ मंत्री देहाती क्षेत्रों से आये हैं और यह मैं मानता हूं कि वे गांवों में जाते हैं लेकिन मुझे शुबहा है कि वे देख भी पाते हैं कि उनके गांव में या और जगह क्या कार्य हो रहा है। इसकी जानकारी उन्हें इसलिये नहीं हो पाती क्योंकि वे अफसरों के घेरे के बाहर नहीं निकल पाते। मान्यवर, मैं बतला सकता हूं, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की बड़ी प्रशंसा की थी और मेरा दावा है कि जितने गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं उनमें से ६ फीसदी से अधिक सफल नहीं हुये हैं बाकी सब फेल हो गये हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूं और मैं बतलाऊंगा कि कसिया में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में ९९६ कोसों में गर्भाधान करने का प्रयत्न किया गया जिसमें से कुल ६६ सफल हुये। मेरा दावा है कि गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट आती है वह गलत आती है और इन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर किसान अपने पशुओं को नहीं ले जाता है इसलिये कि वह गाय को माता समझता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

यह बाधा खड़ी हुयी है कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सामने इसको हमारी सरकार को हल करने की चेष्टा करनी चाहिये।

मान्यवर यह सही है कि पैसा व्यय होता है यानी प्लानिंग द्वारा या ब्लाक्स में सरकार पैसा व्यय करती है। लेकिन मेरा यह दावा है कि यह जो पैसा खर्च होता है उसका अपव्यय होता है। इसको माननीय मंत्री जी नोट कर लें। यह जो प्लानिंग द्वारा ब्लाक्स खोले गये हैं उनमें पीने के पानी के लिये पम्प लगाये गये हैं। वह कहीं ३० फीट पर, कहीं ४० पर और कहीं ४२ पर लगाये गये हैं। क्या वह इस बात को देखने की चेष्टा मेरे साथ चलकर करेंगे कि वह ३० फिट पर लगे हैं या ४२ फिट पर लगे हैं। मान्यवर, इसमें चोरी होती है। मान्यवर अपने जिले की सलेमपुर तहसील में एक पम्प लगाया गया है उसके जो आंकड़े दिये गये हैं वह सही नहीं है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि उनके सदस्यों को जानकारी कम है। ३० मेढे दिये गये कसिया में जो तराई के जंगलों में चर रहे हैं और उनकी रखवाली के लिये दो चपरासी रखे गये हैं जो मजे से वहां के लोगों के घर का काम करते हैं और सरकारी तनख्वाह पाते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि सलेमपुर में दो भैंसे यानी बुलवस कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में ट्रेनिंग देने के लिये भेजे गये थे और उन पर दो हजार रुपये खर्च किये गये। उनको क्या ट्रेनिंग दी गयी क्या इसकी माननीय मंत्री जी को जानकारी है। मान्यवर यह बात कही जा सकती है कि सरकार का जो रुपया व्यय हो रहा है वह निरर्थक जा रहा है और वह किसानों के हित में व्यय नहीं हो रहा है।

मान्यवर, पंचायतों का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र है। श्रीमन्, आपने स्वयं सुना होगा कि इस सदन में पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में ऐसे भाषण हुये जिसमें चर्चा की गयी और यह कहा गया कि जबरन वोट्स लिये गये और जीता कोई और डिक्लेयर हुआ कोई। इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं और मैं माननीय सुरेशप्रकाश सिंह जी से सहमत हूं कि पंचायतों का चुनाव सीट बैलेट के द्वारा होना चाहिये।

इसके साथ साथ में दो तीन सुझाव और देना चाहता हूं। पंचायत के कानून में लिखा है कि जो कोढ़ी है, अंधा है उसको टिकट नहीं देते हैं या जिसने ५ रुपये का पर्चा नहीं खरीदा है वह खड़ा नहीं हो सकता है। आर्थिक प्रतिबन्ध भी है। यह क्यों लगाया गया है। चीन की तरह से होना चाहिये कि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है उनको भी खड़े नहीं होने देना चाहिये या पंचायत में भाग नहीं ले सकते हैं। यह भी घोषणा करनी चाहिये थी और यह भी करना चाहिये कि जो बड़ी-बड़ी जोत के मालिक हैं उनको भी खड़ा नहीं होना चाहिये। यदि सरकार इस तरह से काम करती है तो पंचायतें सफल हो सकतीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग पैसे के बल पर टिकट खरीदेंगे और वोट लेंगे और जो फायदा उठाना चाहते हैं वह पंचायतों में आ जायेंगे और यह सरकार देखती रहेगी यह सरकार बड़े आदमियों की है ऐसा मेरा दावा है। यदि ऐसी नहीं है तो वह मेरे इस सुझाव को मान ले जिसको कि मैंने आपके द्वारा इस सदन में निवेदन किया।

श्रीमन्, शिक्षा की बात कही गयी है। मैं तो समझता हूं कि किसी भी राज्य को इस बात के लिये दुःख होना चाहिये कि उसकी प्रजा को शिक्षा के लिये पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारी सरकार अपने समाज को सोशलिस्टिक पैटर्न का समाज बनाना चाहती है और उसमें शिक्षा निःशुल्क करना चाहती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह इसके लिये कर क्या रही है? एक महामान्य शिक्षा मंत्री जी हैं। श्रीमन्, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल ७००८ विद्यार्थी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते इसलिये कि वे ८वां और ९वां क्लास पास नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक महान् घोर अपराध होने जा रहा है और उस ओर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो नियम इसके लिये दिया गया है उसमें पूरी पूरी व्यवस्था इसकी नहीं की गयी है। यदि वह व्यक्ति बिहार, सी० पी० या बंगाल का आठवां या नवां दर्जा

पास हो तो क्या होगा। पुरुष तो स्थायी रहता है, लेकिन एक स्त्री, जो सी० पी० की रहने वाली है या बंगाल की रहने वाली है वह यहां आती है और वहां का आठवां या नवां दर्जा पास है तो वह क्या करे? वह बैठ कर यहां दुबारा आठवां या नवां दर्जा पास करे और फिर हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे या क्या करे? यह तो मैं कहूंगा कि बुद्धि का दिवालियापन है। मैं निवेदन करूंगा कि महामान्य राज्यपाल को इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने का अधिकार है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन सात हजार विद्यार्थियों को, खास कर स्त्रियों को कम से कम यह सुविधा दी जानी चाहिये। लड़कों को छूट होनी चाहिये कि वे प्राइवेट एपीयर हो सकें, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नहीं हो सकता।

श्रीमन्, शहर और देहात की चर्चा हुयी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है। मैं बिलकुल इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार के पास दो आंखें हैं। एक शहर के लिये जहां पूंजी पनपती है और दूसरी देहातों के लिये। शहर में ३५०० रुपये तक कमाने वाला टैक्स से बरी है लेकिन गांव में छोटे से छोटे किसान को, जो खेती करता है, टैक्स देना पड़ता है। अभी मैंने एक सप्लीमेंटरी पूछा था कि सरकार गांव में निम्नमध्यम वर्ग और मध्यमवर्ग के लिये क्या कर रही है तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं। अभी शहरों में हो रहे जमींदारी उन्मूलन के बारे में हमने देखा कि हमारी सरकार वहां के जमींदारों को १६ गुना मुआविजा दे रही है जबकि उनके पास उनकी आमदनी के दूसरे तमाम साधन भी हैं।

बाढ़ के सम्बन्ध में श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने संतोष प्रकट किया है। बाढ़ के सम्बन्ध में मैं अवश्य निवेदन कर दूं और मैं आज माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि वह चलें मेरे साथ देवरिया में और वहां हम देख सकते हैं कि वहां पर गरीबों को देने के लिये जो कम्बल जाड़े के दिनों में दिया गया था वह आज वहां के लाकप में बंद हैं और उनको दिया नहीं गया। मैं समझता हूं कि गरमी के दिनों में बिस्तरा बिछाने के लिये वह पोलिटिकल सफरर्स को दिया जायगा। हमारे यहां पहले जो कम्बल दिये गये थे वह पोलिटिकल आदमियों को, जो गांवों के सभापति हैं उनको बांटे गये। श्रीमन्, मैंने कई बार कहा और माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने भी कहा कि २० रुपया किसान को घर बनाने के लिये दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कम से कम उन बाढ़ पीड़ितों के लिये, जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ करें और ध्यान दें। मैं गांव का नाम बता सकता हूं उनके ऊपर रहम होना चाहिये और उनकी व्यवस्था कुछ होनी चाहिये कि वह कम से कम अपना घर तो बना सकें। उनकी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिये जैसा कि शहरों में है। जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में भी राज्यपाल महोदय ने चर्चा की है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामस्वरूप जी गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये हुये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने को बोलने के लिये खड़ी हुयी हूं। दो दिन में सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने भाव प्रकट किये हैं। दोनों ओर से टीका टिप्पणी और समर्थन के भाषणों को सुनकर मैं इस निश्कर्ष पर पहुंची हूं कि टीका टिप्पणी की भी बात सही हो सकती है और समर्थन की भी बात सही हो सकती है। कोई भी काम किया जाता है उसमें थोड़ा सा तो ऐसा काम करने को रह जाता है जो कि त्रुटि में कहा जा सकता है। लेकिन यह कहना कि कुछ काम हुआ ही नहीं और सारा ही त्रुटि के रूप में हुआ है, इसे मानने को मेरा दिल नहीं चाहता है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमारे पिछले कार्यों का अवलोकन और आगामी काल के लिये होने वाले कार्यों की झांकी प्रस्तुत की गयी है। पिछले कार्यों के लिये जो यह कहा गया कि कुछ नहीं किया गया, यह एक दूसरी विचारधारा की बात हो सकती है। मेरे विचार से जैसा कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के शुरू के शब्दों में यह व्यक्त किया कि इन चार वर्षों की छोटी सी अवधि में उन्हें सदन के सामने बोलने का अवसर मिला और इस छोटी सी अवधि के साथ ही हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्य का विवरण है उसका भी पूरा अंश होने को चला है। मैं अपने उन भाइयों के सामने एक छोटा सा चित्र खींचूं कि जब इस देश में स्वतंत्रता मिली थी उस समय देश के सामने क्या परिस्थिति थी। उनको अगर

[श्रीमती चन्द्रवती]

वे अपने स्मृति-पट पर बोझ डाल कर देखें तो मैं सोचती हूं कि उन कठिन परिस्थितियों में से गुजरकर जो कुछ किया गया है वह सराहनीय है। आज हमारे सामने खाद्यान्न की स्थिति आती है। कोई जमाना था कि जब हफ्ते में राशन का कोटा हमको मिलता था और यदि कोई अतिथि अपने घर पर आ जाता था तो हमें यह सोचना पड़ता था कि गल्ला तो हमें एक सप्ताह के लिये मिला है और इस मेहमान को किस प्रकार भोजन दिया जाय। आज हम यह अच्छी तरह से कह सकते हैं कि एक नहीं, दो, चार या दस मेहमान तक भी आ जावें तो हमें गल्ले की स्थिति को सोचने की विवशता नहीं आती। यह सब कैसे हुआ, यह भी हमारे सामने है। हमारे प्रदेश में सिंचाई पर कितना कार्य किया गया जिसका सबसे पहला सबूत हमारे सामने यह खाद्यान्न की स्थिति है। अभी कुछ समय हुआ, हमारे कुछ भाइयों का भाकरा नांगल जाने का अवसर हुआ और प्रदेश में जो हमारी सरकार की ओर से रिहंड बांध और नानकसागर का और माताटीला के बांध का काम हो रहा है वह सब आप जानते ही हैं और मैं तो कम से कम उनको देख नहीं सकी हूं। शायद कुछ भाई देख चुके हों लेकिन भाकरा नागल बांध को हमें देखने का अवसर मिला है। उस दृश्य को देखकर आंखें खुल गयी और एक दम मन यह कहने पर विवश हो गया कि वाह रे! जवाहरलाल तू आज के कलियुग में भगीरथ के रूप में हुआ है। यह बात हमारे शास्त्रों से विदित है कि सतयुग में भगीरथ ने गंगा को नीचे उतारा लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि उतनी बड़ी नदी का रूप किस प्रकार बदल कर संसार को एक ऐसी असीम देन दी है। इस भारत की भूमि में न जाने कितने असंख्य जवाहर और लाल फेंक दिये हैं। मैं इस चीज की अपने दिल से सराहना करती हूं और वह समय दूर नहीं जबकि इसका प्रभाव शायद हम सब देखने के लिये जीवित रहें। यह कहना कि सिंचाई के लिये कुछ नहीं किया गया और इससे कुछ फल नहीं मिला, यह सर्वथा गलत है।

शिक्षा के लिये भी यह कहना कि कुछ नहीं किया गया, गलत है। जो कुछ किया गया वह थोड़ा हो सकता है लेकिन हमारी सरकार की तरफ से इस बात की यथोचित कोशिश और इच्छा है कि शिक्षा सस्ती से सस्ती होनी चाहिये। जैसा कि आगामी योजना के लिये लिखा है, ५०० बेसिक व जूनियर स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में थोड़ा सा एक अपना मत-भेद करते हुये यह कहना उचित समझती हूं कि सरकार को शिक्षा के लिये साफ तौर से इस बात को सोचना चाहिये कि प्राइमरी या जूनियर स्कूलों की शिक्षा तक का प्रबंध स्त्रियों के हाथ में होना चाहिये। उसमें शिक्षित स्त्रियां हों और इससे बच्चों का चरित्र उनकी बाल्यावस्था में बहुत काफी मात्रा में सुधर सकता है। उसके बाद शिक्षा का प्रबन्ध पुरुषों के हाथ में हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स पर महिलाओं के नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है।

इसके बाद मैं महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में एक त्रुटि का अनुभव करती हूं। यदि उस त्रुटि का मैं यहां पर संकेत न करूं तो मैं अपनी ड्यूटी से गिरती हूं। उन्होंने अपने सारे भाषण में महिलाओं के कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहा और जो कुछ कहा है वह शून्यवत् है। महिलाओं के कार्य जो यहां शुरू हो रहे हैं उनको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक लाइन में यह जिक्र किया है कि गर्भवती स्त्रियों के लिये दूध पिलाने की व्यवस्था की गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह व्यवस्था कितनी स्त्रियों के लिये हो सकती है और उस एक बूंद दूध के पिलाने से गर्भवती स्त्रियों का क्या होगा। यह अच्छा हो कि शिशु केन्द्रों की भांति ही गर्भवती स्त्रियों के केन्द्र भी खोले जायं और गर्भावस्था काल से लेकर प्रसूतकाल तक बच्चे के चरित्र को बनाने के लिये कोई यथोचित प्रयत्न किया जाय तो मैं समझती हूं कि हमारी भविष्य में आने वाली संतान अधिक उन्नति कर सकेंगी। मैं यहां पर इस बात को कहने के लिये भी तैयार हूं कि फैमिली प्लानिंग की ओर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यदि स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ माता को ही संतान उत्पन्न करने का अधिकार हो तो हम अपने देश का कल्याण करने में बड़ा हाथ बटा सकते हैं। स्त्रियों के लिये उचित प्रबंध करने की व्यवस्था होना यह धन का अपव्यय

नहीं है। वह भी राष्ट्र निर्माण में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक तरफ तो हमारी सरकार नारी मंगल योजना चलाती है और दूसरी तरफ महिला समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा कार्य करती है। मेरी छोटी सी बुद्धि में यह बात नहीं आती कि यह महिलाओं से संबंधित कार्य दो तरीके से क्यों हो रहा है। यदि दोनों को मिलाकर कार्य किया जाय तो धन का अधिक सदुपयोग हो सकता है और अधिक उन्नति हो सकती है क्योंकि नारी मंगल योजना की जो स्त्रियां जिलों में कार्य करने के लिये जाती हैं उनके पास साधन नहीं होते हैं और समाज कल्याण बोर्ड के जो लोग वहां काम करते हैं उनके पास साधन तो होते हैं लेकिन वर्क्स नहीं होते। इसलिये अगर दोनों को मिला कर काम किया जाय तो काम अच्छा हो सकता है और इस योजना के अन्तर्गत यदि मैं यह कहूं कि फैमिली प्लानिंग और फूड प्रीजर्वेशन के कार्य भी जोड़ दिये जायं तो अनुचित न होगा। यह कार्य महिलाओं से सम्बन्ध रखते हैं। अगर ऐसा किया जायगा तो अधिक उन्नति होगी। इसके बाद मैं पुनः धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुप्त जी ने जो माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में जिन भाइयों ने अपने संशोधन उपस्थित किये थे और जिन्होंने भाषण किए उन दोनों को ही मैंने सुना। अपने संशोधनों में हमारे उन साथियों ने इस बात की कोशिश की कि वे भवन का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करावें कि वह कौन कौन से विषय थे जो कि माननीय राज्यपाल के सम्भाषण में नहीं आ सके। यदि उन सबकी सूची इकट्ठी कर ली जाय तो वह इतनी लम्बी सूची हो जायगी कि उस सूची को किसी भी ऐसे सम्बोधन में स्थान देना न तो सम्भव ही होगा, न आवश्यक ही है और न संगत ही होगा। इसके अलावा हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा कि संबोधन में माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार की सफलताओं और सेवाओं तो को बताया लेकिन यह नहीं बताया कि सरकार की ओर से खामियां क्या हुई हैं। मैं नहीं जानता कि जिन स्वतंत्र देशों में आज समाजवादी सरकार ही चाहे क्यों न हो कहां तक वहां ऐसी प्रथा है कि हेड आफ दि स्टेट इस तरह के सम्बोधन में अपनी सरकार की तमाम खामियां बयान करें। सम्भव है कि साथी राजनारायण जी को यदि कभी, अपने ढंग की समाजवादी सरकार बनाने का मौका मिले तभी इस देश में या इस प्रदेश में वह इस तरह की परिपाटी डालें यद्यपि उनको भी शायद यह सम्भव न हो सकेगा कि उनका हेड आफ दि स्टेट सम्बोधन में खामियां बयान करे और ऐसी परम्परा बनाये। आमतौर से यह होता है कि राज्यपाल महोदय जिस समय सदन को सम्बोधित करते हैं तो मोटे तौर से उनकी सरकार पिछले सालों में जिन कामों के करने में सफल होती है, उन तमाम बातों की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रश्न पर दृष्टिपात करते हैं और भविष्य के कार्यक्रम की ओर संकेत करते हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो लम्बा भाषण सदन में दिया वह एक बहुत ही सादा तथा विभिन्न ढंग से दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो उन्नति हुई है उसकी एक छोटी सी संक्षिप्त रूप रेखा हमारे सामने उन्होंने रखी और उसमें यह भी संकेत किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम क्या करने जा रहे हैं। कोई भी मनुष्य निष्पक्ष भाव से चाहे वह किसी पार्टी या दल का ही सदस्य क्यों न हो यह नहीं कह सकता कि पिछले चार सालों में हमारे प्रदेश ने बहुमुखी उन्नति की है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है चाहे वह सामाजिक हो, औद्योगिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो जिसमें हमारे प्रदेश ने पर्याप्त प्रगति न की हो। हो सकता है कि प्रगति किसी दिशा में लक्ष्य से कम रही हो, इसमें मतभेद हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि इन चार सालों में काफी प्रगति हुई है और साथ ही अभी जो कुछ करना शेष है वह भी बहुत है। मैं यह भी समझता हूं कि अगर विरोधी दल का हमें पूर्ण सहयोग मिलता और अड़चनें न डाली गई होतीं तो सम्भव था कि हम और अधिक प्रगति कर सकते। यदि हम आंकड़ों को देखें तो कौन कह सकता है कि हमारे प्रदेश में आबपाशी का विस्तार नहीं हुआ और यहां कच्ची और पक्की सड़कें नहीं बढ़ीं।

[श्री नवलकिशोर]

जहां तक अनाज का सम्बन्ध है सब को विदित है कि हमारा प्रदेश अब स्वावलम्बी हो गया है और अब हम आवश्यकता से भी अधिक अनाज पैदा करते हैं, लाखों एकड़ बन्जर जमीन खेती के काम में आने लगी है, हमारे यहां बिजली की शक्ति बढ़ी है, सरकारी समितियों का भी प्रदेश में जाल सा बिछ गया है और यह सब हमारी बहुमुखी प्रगति का नमूना है। चाहे यह उन्नति उनकी राय में उतनी न हो जितनी होनी चाहिये थी लेकिन माननीय राजनारायण जी ने जैसा कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है वह निराधार है। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से आज की सरकार की तुलना की है यह उनके लिये किसी भी दृष्टि से उचित न था लेकिन मैं यह उनको बता दूं कि इतना तो सही ही है कि इस सरकार में कमियां क्यों न हों लेकिन अब इस प्रदेश या देश का संचालन फिर अंग्रेज सरकार के हाथ में आने वाला नहीं है। इसके बाद जब हम यहां की व्यवस्था यानी ला ऐण्ड आर्डर को देखते हैं तो हमें यह मानना पड़ता है कि हमारे प्रदेश के जो कुख्यात डाकुओं के गिरोह थे उनमें से अधिकांश का सफाया हो चुका है। और यह भी सच है कि ग्राम-रक्षा-समितियों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। यह भी सही है कि प्रदेशीय सरकार ने अन्य भिन्न-भिन्न दिशाओं में भी जितने काम किये हैं यदि उनको उचित प्रोत्साहन दिया जाय तो वह और भी अच्छा काम कर सकती है। अगर इसके माने यह नहीं होते कि हम ला ऐंड आर्डर की जो स्थिति देखना चाहते हैं वह पूर्ण हो गयी है आज भी उसमें कमियां हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमसे बहुतों को संतोष नहीं है जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने की बात है एक नया एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है। एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की नियुक्ति की गई है। यह एक नया एक्स्पेरीमेंट है और आज इस स्थिति में कहना कि वह कहां तक सफल हो सम्भव नहीं है। उसको देखना है और उसके बाद ही हम अपना कोई निर्णय दे सकते हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में जब हम देखते हैं तो इतना तो मानना ही पड़ता है कि हमारे प्रदेश में स्कूलों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इसमें कहा गया है कि ५ सौ प्राइमरी स्कूल चालू वर्ष में खोले गये हैं। गांवों के क्षेत्र में २ हजार जूनियर हाई स्कूलों को फिर से संगठित किया गया है। इनमें कृषि को प्रधानता दी गई है। एक नया एक्सपेरीमेंट इतने बड़े विस्तार के साथ इस प्रदेश में किया गया है। वह कहां तक सफल हुआ है मैं नहीं जानता। जहां तक मेरी जानकारी है मैं यह समझता हूं कि अच्छा यह होता कि हम इस एक्सपेरीमेंट को एक साथ न ले करके स्टेजेज में आहिस्ता आहिस्ता करते। क्योंकि जब तक कंसालिडेशन का काम मुकम्मिल नहीं होता तब तक किसी स्कूल के पास एक जगह कोआर्डिनेटेड फार्म मिलना मुश्किल है इसलिये जिस भावना को लेकर और जिस लक्ष्य को लेकर हमने इस काम को शुरू किया था वह उतना सफल नहीं हो सका जितना होना चाहिये था हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में हमको इस बात को पहले बताया गया था कि हमारी सरकार कोई बिल इस सम्बन्ध में पेश करना चाहती है। मैं नहीं जानता कि क्या दिक्कतें हैं मगर यह सही है कि हायर सेकेंडरी एजूकेशन के सम्बन्ध में हमें कोई नीति अपनानी ही चाहिये। यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में सही है कि इतने हमने उनके विधान को बदला और इस भावना से बदला कि हमारे शिक्षा मन्दिरों में जो दलबन्दी और गन्दगी पैदा हो गई है वह हटे। हमारी भावनायें जो हैं उन्हीं के अनुरूप हमने उन बिलों को पास किया जो आज कार्यान्वित होने जा रहे हैं। एकाध में हो भी गये हैं और कुछ में होने जा रहे हैं। इन गन्दगियों को दूर करने में हम कहां तक कामयाब होंगे उस पर अभी से कोई बात कह देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जहां तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी और बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है उनकी स्थापना की बात कही गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं। एक बात जरूर स्पष्ट है कि हम अपने शिक्षा के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति अभी तक निर्धारित नहीं कर सके हैं और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

पंचायतों की बात कही गई है। सही है कि पंचायतों का एक कानून जिस भावना को लेकर बनाया गया वह यह था कि हम अपने ग्राम पंचायतों के द्वारा गांवों को एक नई जनतांत्रिक तथा सामाजिक व्यवस्था का रूप देना चाहते थे और यह भी सही है कि इस बार की कानूनी तरमीम के बाद ५० हजार गांव सभायें संगठित हो गई हैं। कुछ भाइयों ने इस तरफ भी संकेत किया कि इस चुनाव में बहुत से गंदे काम हुये। मैं समझता हूं कि उन चुनावों का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है और यदि यह चुनाव भविष्य की तरफ संकेत मान लिये जायं तब यह सही है कि हम इस प्रदेश में प्रजातन्त्र की ठोस बुनियादें पंचायतों पर बनाना चाहते थे। उसमें थोड़ी सी अवश्य निराशा होती है फिर भी ज्यादा मायूस होने की बात नहीं है इसलिये कि समाज के अन्दर जो मवाद है, समाज के अन्दर संकीर्णता, जातीयता आदि इस तरह की जो कमियां हैं वह कभी न कभी तो हमारे सामने आनी ही हैं और यदि वे इस चुनाव में आई तो हमको मुस्तकिल मिजाजी से एक दूसरे के साथ मिल कर इसका मुकाबला करना चाहिये न कि संकीर्णताओं से घबराकर पंचायतों के ऊपर सारा दोष डाल दें तो मैं समझता हूं कि यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा।

उद्योग धंधों की जहां तक बात है स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सारा ध्यान कृषि के ऊपर था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों के ऊपर हमारा ध्यान होगा। इसमें बड़े उद्योग माध्यमिक उद्योग और कुटीर उद्योगों का एक जाल इस प्रदेश में फैलाया जायगा। इसके लिये एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के स्थापना की बात कही गई है जिसमें पार्लियामेंट और विधान सभा के सदस्य भी होंगे। मैं इस विचार का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि यह कमेटी हमारे प्रदेश के उद्योगीकरण में सहायक होगी। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को सप्लीमेंट करने के लिये हमारी सरकार ने भी डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजी एंड माइनिंग स्थापित किया है। मैं समझता हूं कि यह भी एक सही कदम है और ठीक दिशा में है।

जहां तक डायरेक्टोरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन की बात है मैं नहीं जानता कि सरकार की इसमें क्या नीति है। मैं तो अपने विचारों से उसे एक भानुमती का पिटारा समझता हूं। न वह हार्टिकल्चर में आता है और न इंडस्ट्री में आता है। यह असल में क्या चीज है और किस लिये उसके लिये एक अलग डायरेक्टोरेट बनाया गया है मैं इसे नहीं जान सका हूं।

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह कहा गया कि सोशलिस्टक पैटर्न की बात इस भाषण में नहीं आई। जिस कांग्रेस पार्टी के हाथ में सारे देश और प्रदेश का शासन है उसकी यह निश्चित घोषणा और नीति है कि वह इस देश और सभी प्रदेशों में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। उसकी क्या रूपरेखा होगी उसके विषय में स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एकनामिक सब कमेटी जो है उसने तो इस विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने इस तरफ भी हमारा ध्यान खींचा है कि हमको भूमि की एक सीमा निर्धारित करनी चाहिये कि एक व्यक्ति के पास, या एक कुटुम्ब के पास कितनी भूमि होगी। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि हर मनुष्य की, जो इंडिविजुअल इनकम है उसकी भी कहीं न कहीं सीमा निर्धारित होनी चाहिये। जब यह नीति कांग्रेस की है तो मैं समझता हूं कि चाहे इस भाषण में उसका जिक्र इन शब्दों में न भी हो यह प्रदेश उस नीति से अलग नहीं रह सकता। हां, अच्छा होता अगर उसका जिक्र हमारे इस भाषण में भी आ गया होता।

[श्री नवल किशोर]

अनएम्पलायमेंट की बात कही गई कि उसका इसमें जिक्र नहीं किया गया। बात सही है कि इन शब्दों में उसका जिक्र यहां नहीं आया लेकिन यह सही है कि अगर उद्योग धंधे---जैसा कि विचार है कि हम अपने प्रदेश में उनका जाल बिछाना चाहते हैं---तो इसका परिणाम यह होगा कि उसमें हमारे प्रदेश से बेकारी दूर होगी। कुछ भाइयों ने हरिजन समस्या की तरफ भी ध्यान दिलाया। मैं समझता हूं कि १९१९ से, जब से गांधी जी के हाथ में इस कांग्रेस की बागडोर आई तब से सारी कांग्रेस के इतिहास में हरिजन उद्धार उसका एक प्रमुख अंग रहा है। मैं इस बात को मानता हूं और मुझे कोई संकोच नहीं कि हमें जिस हद तक इस छुआछूत के भूत को अपने प्रदेश या देश से भगाना चाहिये था उतना नहीं किया गया। लेकिन यह भी मानना होगा कि कानून के द्वारा व हर तरीके से जितना भी सम्भव हो सकता था सरकार की तरफ से क़दम उठाया गया है; हो सकता है कि वह कदम काफी न हो। लेकिन सरकार इस तरफ जागरूक है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि केवल कानून बना कर और सरकार के द्वारा हम इस छुआछूत को मिटा दें तो यह सम्भव नहीं है। हमें तो आपस में मिल कर सभी उन साथियों के सहयोग से जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं इस तरह का वातावरण इस देश में और प्रदेश में पैदा करना होगा जिससे यह छुआछत का भूत हमारे देश से भाग जाय, हमेशा के लिये मिट जाय।

बार बार किसी भी प्रश्न को उठाने से यह तो अवश्य है कि देशवासियों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उसके पीछे और उसकी आड़ में यदि मैं वह शब्द कह सकूं कुछ वेस्टेड इंस्ट्रेस्ट्स भी बनते चले जाते हैं और इस तरफ हमें थोड़ा सा जागरूक और सावधान रहना चाहिये। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जिस लक्ष्य को लेकर जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं कहीं ऐसा न हो हम उस रास्ते को भूल जायं। जिन भाइयों ने अपने बहुत से सुझाव दिये हैं और अपनी बहुत सी नई बातें पेश की हैं कि ये होनी चाहिये थीं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा अपना विचार है उसे कोई भी सरकार कितनी प्रगतिशील क्यों न हो, वह किसी देश या प्रदेश में कितनी भी उन्नति क्यों न करे, लेकिन यदि जनता इस तरफ जागरूक न हो और उसकी आकांक्षायें, इच्छायें, उससे आगे न हों तो वह देश और प्रदेश प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता है। वहां स्टेगनेशन हो जाने की सम्भावना रहती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी प्रगति हुई वह तो हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अब हमारे सामने आने वाली है, हमारा सब का यह फर्ज है कि इस देश के नव निर्माण में हम थोड़ा सा दलगत भावनाओं से उठ कर, सहयोग के साथ अपने इस प्रदेश और इसके द्वारा देश के नव निर्माण में पूरा-पूरा हिस्सा लें। मुझे आशा है कि इस बात का हमारे सभी दलों के साथी स्वागत करेंगे।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं भी उस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं जिसको माननीय गुप्त जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है। मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव के समर्थन करने में कुछ थोड़ा सा आक्षेप आत्मश्लाघा का, सेल्फप्रेज़ अपनी तारीफ का लगाया जा सकता है। क्योंकि प्रस्ताव का यह अर्थ तो जरूर ही है कि यह सदन गवर्नमेंट ने अबतक जिस प्रकार से काम किया है उस पर अपनी छाप लगाता है और आगे के लिए गवर्नमेंट की जो नीति है वह भी सदन को स्वीकार है। यह दोष थोड़ा सा है और इस के कारण मुझे थोड़ा सा संकोच भी होता है। किन्तु इसका एक दूसरा भी पहलू है। यदि अब तक हमारे प्रदेश में कुछ अच्छा काम हुआ है, यदि गवर्नमेंट अब तक प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर ले चलने में कुछ सफल हुई है तो उस का एक मात्र कारण यह है कि उसको इस सदन का आशीर्वाद और सक्रिय सहयोग सक्रिय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समर्थन, पदे-पदे प्राप्त रहा है। जब मैं सदन का नाम लेता हूं तो केवल इस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों का जिक्र नहीं करता, बल्कि मेरे ध्यान में वह माननीय सदस्य भी हैं जो कि सामने बैठे हैं। वह भले ही हमारी आलोचना करें, कटु आलोचना करें, लेकिन कम से कम लोकतंत्र का शासन तो बिना आलोचना के चल भी नहीं सकता। जैसा कि मैंने इस सदन में कई बार निवेदन किया है कोई भी गवर्नमेंट हो, वह सर्वज्ञता का दावा नहीं कर सकती। कम से कम हम लोग तो ऐसा दावा नहीं करते। हम जानते हैं कि हम चाहे कितना भी ख्याल करके, फूंक-फूंक कर कदम रखें फिर भी गलती हो सकती है। जो आलोचना की जाती है वही हमको हमारी गलतियों को बता देती है।

मैं यह कह रहा था कि चाहे सामने बैठे हुए सदस्य हमारी आलोचना भले ही करें परन्तु इस प्रदेश के हित का उनको उतना ही ख्याल है जितना कि हम में से किसी दूसरे को हो सकता है और प्रदेश की जो उन्नति हुई है उसमें उनका भी उतना ही आशीर्वाद था, उतना ही सक्रिय सहयोग प्राप्त है इसलिये इस प्रस्ताव के द्वारा गवर्नमेंट के सम्बन्ध में चाहे जो कुछ कहा गया हो परन्तु मैं समझता हूं कि व्याजरूपेण इस सदन के माननीय सदस्यों का ही चर्चा है। इस वजह से मुझे इसका समर्थन करने में संकोच नहीं होता।

विवाद के सिलसिले में कई प्रकार की बातें कही गयीं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ माननीय सदस्यों को कहीं भी किसी प्रकार की भी कोई भी तरक्की देख नहीं पड़ती। इसके सम्बन्ध में मैं और क्या कहूं सिवाय इसके कि एक अंग्रेजी कहावत याद आती है None is so blind as those who will not see जो अपनी आंखें बन्द कर ले उसको कभी कोई चीज दिखायी नहीं पड़ सकती है। यह अगर कोई शख्स दावा करे कि अब इस प्रदेश में तरक्की की कोई जगह बाकी नहीं रही, लोगों की जो भी तकलीफें थीं वह सारी की सारी दूर हो गयी, जहां तक उन्नति करनी थी, हम कर चुके, उत्तर प्रदेश को हम स्वर्ग से ऊपर उठा चुके, अगर ऐसा कोई दावा करता है तो वह बिल्कुल झूटा है। उस दावे का खंडन जरूर करना चाहिये। लेकिन यह दावा तो किसी ने नहीं किया। इतना ही कहा गया कि उन्नति हुई है, तरक्की हुई है और मैं नहीं कह सकता इस बात से कोई इनकार कैसे कर सकता है। एक सूची दी जा सकती है कि इस मुहकमे में यह कमी है, इस मुहकमे में यह कमी है, जरूर कमियां होंगी। हम मानने को तैयार हैं। आखीर नहरें कम बनी हों लेकिन बनीं तो, उनको कोई जेब में तो नहीं रख सकता, सड़कें बनीं, स्कूल बने, और भी इस किस्म की जितनी चीजें हैं वह हुई तो उनको सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मान लिया जाय कि हम जितना कहते हैं उसमें से ५० फीसदी काट दिया जाय, आधा झूठा मान लिया जाय, फिर भी कुछ तरक्की तो हुई। ऐसी स्थिति में ऐसी बात कहने का क्या अर्थ होता है कि कोई तरक्की किसी किस्म की नहीं हुई सिवाय इसके कि गवर्नमेंट पर तो इसका जो असर हो वह तो हो ही, जनता हताश हो। वह यह समझे कि पांच सात वर्ष हो गये, पांच सात वर्षों से भारतवासियों के हाथ में हमारा शासन रहा और उसमें इतना ही नहीं कि हम आगे नहीं बढ़े बल्कि जहां थे उससे भी पीछे चले गए। यह बात प्रदेश को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। मैं इसके सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता।

क्या कहूं? एक माननीय सदस्य ने और बातों का चर्चा करते हुये बेसिक एजूकेशन का जिक्र किया। उनकी राय में जो बेसिक एजूकेशन दी जा रही है वह "बेसिक" नहीं "बेसीख" की चीज है। उन्होंने फरमाया कि देहात के लोगों को जो कृषि की शिक्षा दी जाती है वह बिल्कुल बेकार है क्योंकि उनका ऐसा ख्याल है कि जिस प्रकार कि अभिमन्यु मां के पेट से चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखकर आये थे उसी प्रकार देहात का प्रत्येक बच्चा खेती की बात जानता है। होगा उनका ख्याल सही। लेकिन क्या किया जाय? यहां तो सारे कुएं में भांग पड़ गयी है। हम देहात के लड़कों को बेसिक एजूकेशन और बेसिक एजूकेशन के साथ-साथ कृषि की शिक्षा देते हैं, यह मूर्खता हो, लेकिन यह मूर्खता हमने सीखी उस शख्स से जिसको कि महात्मा गांधी कहते हैं। इस देश में बेसिक एजूकेशन की नींव, देहात के लड़कों को बेसिक

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एजूकेशन देना और बेसिक एजूकेशन के साथ कृषि की शिक्षा को शामिल करना देहात के लड़कों के लिये यह महात्मा जी ने चलाया था। अगर हम मूर्खता की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े व्यक्ति से इस मूर्खता को हमने सीखा है। जब लोग आंख बंद करके चारों तरफ की शिकायत की बात करते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं और इतनी दूर तक अपने हाथ पांव डाल देते हैं जहां तक कि कभी उनका इरादा न रहा होगा। मैं ऐसे माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि आलोचना करने के कई रास्ते हैं। लेकिन वह प्रदेश के हित में नहीं अपने हित में भी आलोचना करते समय हमारे आदरणीय भाई माननीय राज नारायण जी को अपना आदर्श न बनायें। वह इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं। लेकिन वह किस उच्च कोटि की आलोचना करते हैं इसका केवल एक ही सबूत देना काफी होगा। अपने भाषण में उन्होंने जिक्र किया कि ऐंटी करप्शन कमेटीज जो देहातों में हैं वह नये डी० वाई० एस० पी० के लीडरशिप में, नेतृत्व में रहेंगी। अब इसको क्या कहा जाय। वह गरीब ऐंटी करप्शन कमेटी का सदस्य तक नहीं। वह अपने दफ्तर में या जहां कहीं भी काम करता हो, काम करेगा। ऐंटी करप्शन कमेटी से उसका रत्ती भर सम्बन्ध नहीं। लेकिन फिर भी उनका ख्याल है कि डी० वाई० एस० पी० के नेतृत्व में वह काम करेंगी। "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा" वाली बात है। तो इस किस्म की आलोचना होगी बड़ी उच्च कोटि की लेकिन उससे किसको फायदा होगा? हां, जैसा मैंने निवेदन किया, नये सदस्यों को मेरी सलाह यह जरूर है कि ऐसे आदर्शों पर वह न चलें। दूसरे आदर्श उनको विरोधी पक्ष में और अच्छे-अच्छे मिल जायेंगे। और बातों के साथ-साथ माननीय गेंदा सिंह जी ने और कई माननीय सदस्यों ने उन बातों की चर्चा की जिनकी कि उनकी समझ में राज्यपाल जी के सम्बोधन में चर्चा होनी चाहिये थी। कई तरह की बातें थीं। मिसाल के लिए हरिजन भाइयों का जिक्र नहीं था, कम्युनल हारमनी, हिन्दू-मुसलमानों में प्रेम फैलाने का जिक्र नहीं था, मद्य-निषेध का जिक्र नहीं था, बेरोजगारी के सम्बन्ध में जिक्र नहीं था और जो हमारे प्रदेश में रोज बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते जाते हैं उनकी पैदाइश रोकने के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं था। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विषय कितने भी जरूरी हों, इन सब चीजों की चर्चा की जाती तो राज्यपाल का सम्बोधन तो एक बड़ी मोटी सी पुस्तक का रूप धारण कर लेता; उसके पढ़ने में कितना समय लगेगा इसका भी अनुमान होना चाहिये और उस पर विचार करने के लिए कम से कम एक पक्ष, १५ दिन, का समय तो होना ही चाहिए, और यह सम्भव नहीं है। विषय बहुत जरूरी हो और उनके ऊपर गवर्नमेंट कितना भी ध्यान रखती हो, लेकिन उन सबको समाविष्ट करने का लोभ संवरण करना ही पड़ता है।

साथ ही एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिये कि आज २२ तारीख है, २४ तारीख को बजट पेश होने वाला है। मैं ब्योरे की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि दो दिन की बात है, दो दिन के बाद मेरा ऐसा खयाल है कि वह देखेंगे कि वित्त मंत्री जी के भाषण में उन कई सवालों की चर्चा होगी, उन कई प्रश्नों की चर्चा होगी, और उन कई सवालों के जवाब होंगे जिनको कि उन्होंने यहां उठाया था। किन्तु सवालों का क्या जवाब होगा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि वह इस बात को जरूर देखेंगे और दो चार दिन के भीतर बजट पेश होना है और उसके भीतर इन सब प्रश्नों का उठना अवश्यम्भावी है तो उनका राज्यपाल के संबोधन में समाविष्ट होना आवश्यक नहीं था।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—बच्चों की भी पैदायश में कमी करने की बात है उसमें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो गुप्त जी इन्तजाम कर रहे हैं। फिर भी जो सवाल हुए, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वित्त मंत्री जी के भाषण में उनका जिक्र न हो

फिर भी जो सलाह दी गयी वह हमारे सिर आंखों पर है और हम उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो राज्यपाल का सम्बोधन है उसमें तो इतना ही हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था कि थोड़ा सा रेव्यू, जो कुछ काम हुआ है, उसका कर दिया जाय जो कि इस समय और बजट पर बहस करते समय उपयोगी साबित होगा और कुछ थोड़ा सा उन कामों का जिक्र किया जाय जो कि अगले सत्र में इस सदन के सामने आयेंगे। और ज्यादा कुछ करना सम्भव नहीं था। इसलिए कई जरूरी चीजें, आवश्यक होते हुए भी सामने नहीं लायी जा सकीं। थोड़े में फिर भी मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगा जिनकी तरफ यह संकेत किया गया। यह जिक्र हुआ कि जो सोशलिस्ट इकानामी की चर्चा की गयी है, समाजवादी ढांचे का जिक्र किया जाता है, उसका कहीं राज्यपाल के संबोधन में जिक्र नहीं है, वह इस बात का प्रमाण है कि इस गवर्नमेंट के सामने यह चीज है नहीं, गवर्नमेंट उस पर अमल करना नहीं चाहती। यह बिल्कुल सही है कि राज्यपाल के सम्बोधन में समाजवाद के ऊपर, समाजवादी ढांचे के ऊपर कोई थीसिस नहीं मौजूद है, लेकिन उसका जिक्र नहीं है यह बात नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, उन्होंने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन वह १२ पृष्ठ पर जो पहला पैराग्राफ है उसी को देखें "समाजिक अर्थ व्यवस्था स्थापित करने" इत्यादि। तो यह बात नहीं है कि यह चीज गवर्नमेंट के सामने नहीं थी। अगर नहीं होती तो इस चीज का जिक्र नहीं होता। जैसा मैंने निवेदन किया था, विस्तार के साथ समाजवाद के ऊपर कोई थीसिस नहीं लिखी जा सकती थी। लेकिन इस चीज का जिक्र करना, सोशलिस्टिक एकोनामी सेट अप करने की बात करना इस बात का प्रमाण है कि गवर्नमेंट के सामने यह चीज बराबर है और जो भी काम गवर्नमेंट करना चाहती है वह इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर करती है। यह दूसरी बात है कि हमारी कई लिमिटेशन्स हैं, कई कमियां हैं। हमारी उन कमियों से हम सभी लोग परिचित हैं। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है। कितना ही बड़ा टुकड़ा क्यों न हो लेकिन फिर भी एक बड़े राज्य का टुकड़ा है। हम कोई अपनी स्वतंत्र नीति इन सब मामलों में बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। जो सारे देश की नीति है, जिस नीति का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, उस नीति के भीतर ही हमारा काम हो सकता है, उस ढांचे के बाहर हम नहीं जा सकते उस वक्त तक जब तक कि हमारा विचार देश में कोई अराजकता पैदा करने का न हो, केन्द्रीय सरकार से लड़ने का हमारा इरादा न हो। यह हमारी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन हमारी यह है कि जहां तक रुपये पैसे की बात है, हम किसी काम को करना भी चाहें तो उसमें भी हमारी रुकावटें हैं। आमदनी के जो हमारे साधन हैं वे सीमित हैं। हमारे पास उस तरह के साधन नहीं हैं जैसे केन्द्रीय सरकार के पास हैं। मिसाल के लिये कस्टम्स की बात है। जो माल बाहर से देश के अन्दर आता है उसके ऊपर एक पैसा मन अगर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी जाय तो करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है। इस किस्म के साधन हमारे पास नहीं हैं। इन सब दिक्कतों की वजह से अपने सामने समाजवादी लक्ष्य को रखते हुए भी हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन वह चीज हमारे सामने है, उसका संकेत राज्यपाल के भाषण में पूरे तौर से मौजूद है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया दो स्टार्वेशन डेथ्स का। मुझको उनके भाषण के उस अंश को सुन कर दुःख हुआ। किसी की मृत्यु हो तो दुःख की बात है। लेकिन एक बात खयाल रखने की है। यह उनका कहना ठीक है कि हमारे पास कितने बेरोजगार हैं, इत्यादि, इत्यादि, इस किस्म के पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। आज हमसे अगर कोई पूछे कि इस राज्य में कितने आदमी बेरोजगार हैं तो शायद हम ठीक-ठीक न बता सकें। यह हम चाहे न बता सकें लेकिन अगर यह पूछा जाय कि अमुक आदमी बेरोजगार है या नहीं तो अगर आज नहीं तो, दो चार रोज के अन्दर पता लगा कर जरूर बता सकते हैं।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसी तरीके पर हमारी तो क्या हैसियत है, हमसे जो बड़े-बड़े राज्य हैं वे भी शायद इस बात का जिम्मा नहीं ले सकते हैं कि उनको सीमा के भीतर कभी किसी आदमी की मृत्यु स्टार्वेशन से नहीं होगी। हम भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि सवा छै करोड़ की बस्ती जहां हो वहां पर कभी किसी की मृत्यु इस तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा आज भूकम्प आ जाय, आज ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाय तो उसमें साधारण व्यवस्था उलट-पलट हो जाती है। जिस तरह से यहां २-४ रोज के भीतर बादल फट पड़े, करोड़ों आदमियों के ऊपर उसका एक भयानक असर हुआ। ऐसी अवस्था में अगर दो एक आदमियों की मृत्यु हो जाती तो अफसोस की बात होती लेकिन वह शायद क्षम्य हो सकती थी। लेकिन जो हमारी सूचना है उसके अनुसार मृत्यु हुई ही नहीं, इसका मुझे अफसोस है और अफसोस इसलिये है कि माननीय गेंदा सिंह जैसे व्यक्ति के मुंह से इसका जिक्र हुआ। जहां तक मुझे मालूम है इसकी चर्चा पहले-पहले ६ फरवरी को पडरौना में एक मीटिंग में हुई थी जिस में कि हमारे सूचना मंत्री भी उपस्थित थे और केन्द्रीय सरकार के भी एक मंत्री मौजूद थे। शायद वहां पर पहले-पहले इसका जिक्र हुआ था। सूचना मंत्री जी ने उसी वक्त एस० डी० ओ० को आज्ञा दी कि तुम जा कर इसका पता लगाओ। जिनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है उनमें एक का नाम है शिवनन्दन तेली और दूसरे का नाम राजा गोसाई। एस० डी० ओ० वहां पर गये जहां कि सैकड़ों आदमी मौजूद थे। उन सब लोगों के सामने उन्होंने बयान दिया। जिन लोगों ने बयान दिया उनके नाम ये थे जिन लोगों के खास तौर से लिखित बयान लिये गये हैं उनके नाम यह हैं:—इन्द्रनाथ, केदारनाथ, गिरधारी, नेकचंद और पंचायती अदालत के सरपंच श्री चन्द्रदेव प्रसाद। गांव वालों के सामने इनके बयान पढ़े गये और इन्होंने सबके सामने कहा कि उनके बयान ठीक हैं और हमारे यहां स्टारवेशन से यानी भुखमरी से कोई नहीं मरा। जहां तक शिवनन्दन तेली की बात है वह जन्माध थे और अक्सर रुग्ण रहा करते थे। इनको लकवा मार गया था। दिसम्बर के महीने में लकवे से इनकी मृत्यु हुई बाढ़ के जमाने में और दिसम्बर में तो बहुत ज्यादा फर्क है। जहां तक राजा गुसाई का सवाल है। वह कार्तिक में बीमार हुये थे वह बीमारी की हालत में ही अपने रिश्तेदारों से मिलने गये थे और वहां से लौटने के बाद बीमारी की हालत में दस दिन बाद मर गये। भूख से मरने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। जिस गांव के यह रहने वाले थे उसका नाम अमवा खास है। इस गांव में स्टारवेशन का सवाल नहीं होना चाहिये क्योंकि इस गांव में २,८८० रुपये का गल्ला बांटा गया। कपड़ा वगैरा कितना बांटा गया इसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं हमारी अब तक की सूचना यही है कि इन दोनों में से किसी की मृत्यु स्टारवेशन से नहीं हुई। माननीय गेंदासिंह जी को गलत सूचना दी गई है। जब वह स्वयं जांच करेंगे तो उनको मालूम हो जायगा हमारे और आपके लिये और गेंदासिंह जी के लिये भी यह बड़े संतोष की बात है कि उनकी मृत्यु भुखमरी से नहीं हो पाई।

अध्यक्ष महोदय, बेकारी का जिक्र हुआ कि इसका कहीं जिक्र नहीं है। मैंने इसको ढूंढा तो नहीं है कि बेकारी शब्द इसमें है या नहीं। लेकिन जब इंडस्ट्रीज का जिक्र होता है और खास तौर से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इससे तो बेकारी दूर होती है। एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने अंदाजा लगाया है कि सारे देश में अगली पंचवर्षीय योजना में ८० लाख आदमियों की बेकारी दूर होगी। यह उनका अंदाजा लगाना यदि सही है तो हमारे यहां की आबादी का छठवें भाग को हम रोजगार देंगे। जैसे कि लोगों का ख्याल है कि बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों द्वारा हम १३ लाख आदमियों की बेकारी को दूर कर सकेंगे। इस वक्त मद्य निषेध का जिक्र हुआ। गांजा बंद किया जाय इसका सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हमारे सामने यह जिक्र भी आया कि बिल्कुल मद्य निषेध क्यों नहीं कर दिया जाता। सिद्धान्ततः हम इस बात को

स्वीकार कर चुके हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको व्यावहारिक दृष्टि से देखें। हमारी पंचवर्षीय योजना उनके सामने है। उसको सफल बनाने के लिये हमें एक-एक पैसे की जरूरत है। शराब की आमदनी अच्छी है या बुरी है इस इथिकल बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वह आमदनी इस वक्त है और इसको बन्द करना कोई वैसी बात नहीं है लेकिन दो बातें होंगी। एक तो सारी आमदनी को खोना होगा और कहीं न कहीं से हमको चार, पांच करोड़ रुपया निकालना होगा। बजट माननीय सदस्यों के सामने आयेगा और वह देखेंगे कि हमको पैसे की कितनी दिक्कत है। अपने प्रदेश को ऊपर उठाने के लिये हमको एक-एक पैसे की कितनी खोज है और दूसरी बात यह है कि इतना ही नहीं कि हमको इस आमदनी को खोना होगा बल्कि इसके साथ ही खर्च करना पड़ेगा। शराब बन्दी का मसला केवल कागज पर हुकुम निकाल देने से ही हल नहीं हो सकता। केवल इतना करने से मद्य निषेध नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको नशीली चीजें लेने की आदत होती है। उनको गलत तरीकों से पाने की कोशिश करेंगे। उसके लिये पुलिस हो या दूसरे लोग मुकर्रर किये जायं या जो भी किया जाय एक खासा खर्च बढ़ जायगा। साफ बात है, हम धोखा नहीं देना चाहते। इसको सिद्धान्ततः मानते हुए भी हम इसको व्यावहारिक दृष्टि से नहीं कर सकते। हम जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां तक हो लोगों की इस प्रकार की आदत छूटे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे ताकि धीरे-धीरे मद्य का उपयोग कम हो, लेकिन यह काम एक साथ हम कर सकते हों, यह संभव नहीं। जो स्थिति की आवश्यकता है उसको देखते हुए यह एक दम संभव नहीं।

पंचायतों के संबंध में कुछ जिक्र हुआ। पंचायतों के चुनाव में भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो हुई हैं उनको हम देखने की और दूर करने की कोशिश करेंगे, करनी चाहिये। पंचायतों के काम में भी कमी हो सकती है, लेकिन ठंडे दिल से हमें एक बात सोचनी चाहिये कि हम चाहते क्या हैं। जिस वक्त हिन्दुस्तान को स्वराज्य देने की बात आती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा जाता था कि हिन्दुस्तानी आदमी इस योग्य नहीं हैं। अगर हिन्दुस्तान में स्वराज्य हुआ तो, आपस में लड़ मरेंगे और इसके अलावा सैकड़ों गल्तियां करेंगे। लेकिन हमने स्वराज्य के लिये कोशिश की और वह स्थापित किया। उसके स्थापित करने में और पाने के बाद कोई झगड़े भी हो जाते होंगे, गल्तियां भी हम करते होंगे, सैकड़ों गल्तियां करते हैं लेकिन उसके लिये कोई दूसरी सूरत भी नहीं है, हो नहीं सकती। जिसे कहते हैं " Self action carries the possibilities of making mistakes।" गल्तियां होती ही हैं मनुष्य से और यह ऐसी बात है कि बिना गलती किये हम सीख नहीं सकते। इसके लिये उनको मौका देना होगा चाहे वहां पार्टीबन्दी हो चाहे और दूसरी गल्तियां हों, लेकिन उन पर हमें विश्वास करना होगा, हमें उनको गलती करने का मौका देना होगा और सिवाय इसके और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वह खुद गलती करेंगे और खुद अपने को सुधारेंगे यह हमको पूरा विश्वास है कि जो उनकी पुरानी प्रतिष्ठा थी उसी के अनुरूप वह अपने को जल्दी ही बना लेंगे।

एक सुझाव यह था कि जो साधारण सरकारी अफसर हैं वह व्यापार, रोजगार में उतनी अच्छी तरह से नहीं चल सकते जैसे कि उनको होना चाहिये और इसलिये एक इंडस्ट्रियल सर्विस कायम की जाय। मैं कोई ब्योरे की बात नहीं कह सकता लेकिन यह चीज गवर्नमेंट के ध्यान में है। अभी यह काम करने का कोई मौका नहीं है। हमारा रोजगार बढ़े और यह हम देखें कि वह कितनी मात्रा में बढ़ता है तो फिर उसके अनुरूप, यह देख कर कि कितना रोजगार हमें पब्लिक सेक्टर से चलाना है, यह काम हम कर सकते हैं। जो इसके विशेषज्ञ हों खास तौर से उनकी शक्ति इस कार्य में लगे। यह सुझाव ठीक है और वह हमारे ध्यान में है।

एक मित्र ने कहा कि विन्ध्य प्रदेश के बारे में इसमें कुछ नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश के, बड़े जब्त से काम लेते आये हैं और उचित ही है कि महामान्य राज्यपाल ने इस बात की चर्चा नहीं की। लेकिन हमने इस बात को केन्द्रीय सरकार के सामने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हमेशा रखा है कि यदि विन्ध्य प्रदेश स्वतंत्र रहता है तो हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन यदि उसे कहीं और मिलाना है तो उसका पूर्वी हिस्सा जो मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों से मिला हुआ है, वह उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। विन्ध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया है और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया है, वह सब आप लोगों के सामने है। हम समझते हैं कि इसमें उनका और उत्तर प्रदेश का दोनों का ही कल्याण है। यद्यपि राज्यपाल जी ने उसका जिक्र करना उचित नहीं समझा है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम समझते हैं कि यदि वे लोग हमारे साथ मिल गये तो हम उनकी सेवा इस प्रकार से करेंगे कि वे सन्तुष्ट हो जावेंगे।

थोड़ी देर पहले, नहीं, आज सवेरे, एक माननीय सदस्य ने कुछ बातों की शिकायत की और दो एक बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं कि जिन्दों पर बल्कि मुर्दे पर भी हमला होता है। एक और उन्होंने अपने मामले का जिक्र किया। अच्छा होता कि अपने मामले का जिक्र न करते। लेकिन चूंकि जिक्र हो गया और संभव है कि उससे कुछ भ्रम हो, इसलिये मैं साफ कर देना चाहता हूं। लखनऊ में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोगों की और शायद उन माननीय सदस्य की भी जिन्होंने जिक्र किया था, मेरा मतलब मौलाना शाहिद फाखरी से है, स्पीचेज हुई। ऐसा कहा जाता है कि मसलन् उन्होंने यह कहा कि एक मैं बात और बता दूं। कलेक्टर ने यह कहा था कि चूंकि उसके दूसरे दिन जनसंघ की मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग के संचालकों से यह कहा गया था कि आप लोग इस बात की कोशिश करें कि इस समय भड़काने वाली चीज न हो। इसका हवाला देते हुए, यह कहा जाता है कि उन सदस्य ने ऐसा कहा कि "यह पार्क क्या कलेक्टर के बाप का है?" ऐसी शिकायत की जाती है कि पुलिस के आदमी सभ्यता से नहीं बोलते लेकिन यह जो बात कही गई यह भी सोचने की है। इस बात की शिकायत की गई कि फैजाबाद की बाबरी मस्जिद काफिरों के हाथ में दे दी गई और मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। ये बातें अगर वहां कहीं गईं तो अवश्य निन्दा की हैं। बहरहाल, अभी किसी अदालत में मामला में नहीं गया है लेकिन शिकायत की बात है कि कुछ ऐसी बात हुई तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। यह भी बात मैं बता दूं कि फैजाबाद में छिछोर में एक कब्रिस्तान है। उसके पास ही एक स्कूल है। पास में कुछ जमीन है उसकी बाबत झगड़ा है। श्रमदान के लिये वहां कुछ लड़के गये। कुछ लोग गंड़ासा और दूसरे हथियार लेकर वहां आये। सब लोग भाग गये। कुछ अध्यापक और ३,४ लड़के जिनमें से कोई भी १३, १४ वर्ष से ज्यादा की अवस्था का नहीं था, रह गये। लोगों ने उन पर गड़ासों और दूसरे हथियारों से हमला किया। एक अध्यापक की ऐसी तो हालत हो गई कि शायद बच भी न सके। सब लड़के घायल हैं। यह मामला भी ऐसा है जिसके बारे कुछ कहना उचित नहीं था। मुर्दे पर हमला हुआ, यह मैं नहीं जानता लेकिन जिन्दों को मुर्दा बनाने की बात कही गई, यह ठीक नहीं है। कच्चे आधार पर सदन में कोई बात नहीं कहनी चाहिये। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण के अंत में जो पेराग्राफ कहा है उससे हममें से हर एक को सहमत होना चाहिये। यह सही है कि गलती हुई होगी लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो काम हमारे यहां इन पिछले ४–५ वर्षों में हुए हैं, उन पर सदन का प्रत्येक सदस्य गौरव कर सकता है और आज की परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी उससे अधिक कार्य नहीं कर सकता था। सरकार ने अपने प्रदेश की जो सेवा की है वह ऐसी है जिसके ऊपर निश्चित रूप से प्रदेश के निवासी, विधान सभा के सदस्य अभिमान कर सकते हैं। अतः मुझे आशा है कि जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसका सदन समर्थन करेगा।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के संबोधन पर इतनी अच्छी बहस इस सदन में हुई है कि उसके लिये मैं सदन को बधाई

देता हूं। बहुत अच्छे सुझाव आये हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि उन सुझावों पर वे विचार करेंगे। जो आलोचनायें हुईं उनमें कुछ उग्रता थी परन्तु उतनी ही सौम्यता से साथ उन आलोचनाओं का उत्तर भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है।

भवन में शिक्षा के संबंध में सबसे अधिक कहा गया तथा भवन के सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की कि वर्तमान शिक्षा बेकारी और अनुशासनहीनता को तथा स्वेच्छाचारिता को बढ़ा रही है, इस समस्या को हमें किसी प्रकार से हल करना चाहिये। शिक्षा के संबंध में जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उस से अधिक कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यह तो हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि शिक्षा का इतना बड़ा ज्ञाता, शिक्षा विशारद माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द उसको मिला है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि हमें एक विशिष्ट प्रकार के समाज की रचना करनी है, हमारी कल्पना में एक ऐसा समाज है जो शोषण से रहित हो, जिसमें समानता हो, जिसका आधार अहिंसा हो, जिसमें आपस में प्रेम और सद्भावना हो, तो ऐसे समाज की रचना के लिये हमें दो जगह क्रान्ति करनी होगी। वह क्रांति करनी होगी शिक्षा में और उद्योग धंधों में। शिक्षा के आधार पर ही सारे जीवन और सारे समाज का निर्माण होता है। उद्योग-धंधे भी जीवन के मुख्य अंग हैं। मैं आशा करता हूं कि इन दोनों की ओर सरकार एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अख्तियार करेगी। शिक्षा का ऐसा संतुलन होना चाहिये कि वह बौद्धिक विकास और दस्तकारी की ओर समान रूप से बढ़े। इसके लिये हमें आरम्भ से ही बुनियादी तौर पर क्रान्ति करनी होगी। शिक्षा के कोर्सेज जो बढ़े हुये हैं, भारी हैं, उनको कम करना होगा। दूसरी ओर उद्योग-धंधों को और स्वावलंबन की शिक्षा को बढ़ाना होगा। उद्योगों के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है लेकिन यह मानी हुई बात है कि प्रान्त की उन्नति में जितने सहायक बड़े उद्योग हैं उतने ही कुटीर उद्योग भी हैं, लेकिन कुटीर उद्योगों का आगे अधिक स्थान होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि उद्योगों की प्रगति में कुटीर उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा। और इस प्रकार का विभाजन किया जायगा कि जिससे जीवन की उपयोगी चीजों, उपभोक्ता समाग्री को कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पन्न किया जाय तथा दूसरे उद्योग धंधे जो उत्पादन के साधनों को बनाते हैं वह बड़े उद्योगों द्वारा प्राप्त किये जायं।

मैं अब अधिक नहीं कहना चाहता, समय भी कम है लेकिन हरिजन समस्या के बारे में सबसे अधिक चर्चा इस सदन में हुई है। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि जितना अधिक ध्यान हमारे प्रदेश में हरिजनों की उन्नति की ओर दिया गया है उतना प्रायः किसी दूसरे प्रदेश में न दिया गया होगा। हर तरह से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई है। सन् ५१–५२ में हरिजनों के लिए केवल ६ लाख रुपया रखा गया था, लेकिन सन् ५४–५५ में उसका १२ गुना यानी ७० लाख रुपया व्यय किया गया है। उनके मकानों की समस्या के लिए भी पर्याप्त धन दिया गया है। हमारे एक साथी माननीय रामसुन्दर पांडे जी ने कहा कि उनके मकानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। एक दूसरे माननीय सदस्य ने भी ऐसा ही कहा लेकिन मैं कहता हूं कि इतना अधिक मकानों के निर्माण की समस्या की ओर ध्यान दिया गया है, उनके छात्रावास के निर्माण की समस्या हरिजनों के लिए हल करने का प्रयत्न किया गया है, वह सराहनीय है। कुओं के बारे में जो उन की सब से बड़ी आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बहुत आवश्यक है काफी धन लगाया है और कुएं बनवाये गए हैं। मैं इतनी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वाद विवाद में यह जो एक प्रथा सी पड़ गई है कि हम केवल एक पक्ष ही लेकर वाद विवाद करते हैं, हम या तो केवल बड़ाई ही करते हैं या केवल निन्दा ही करते हैं यह अच्छी प्रथा नहीं है। यह कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक नहीं है। अगर हम अपनी आलोचना करते समय ठीक परिणामों पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारी वृत्ति यह होनी चाहिए कि जो कुछ हुआ है उसको स्वीकार करें और जो त्रुटियां और आवश्यकतायें हैं उनको भी स्वीकार करें, तभी हम ठीक

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

निर्णय पर पहुंच सकते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यदि हम वस्तुस्थिति का ठीक से अन्दाजा नहीं लगाते तो उस का भंयकर परिणाम हो सकता है। यह बात मैं मानता हूं कि वस्तुस्थिति का ठीक अन्दाजा लगा कर ही सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं लेकिन इसके माने यह भी नहीं हैं कि जो कुछ हुआ है उसकी हम उपेक्षा ही करते चले जायं। होना यह चाहिए कि जो हुआ है उसको हम मानें और जो आवश्यकता है उसके लिये सरकार को सुझाव देते चलें और तभी वस्तु स्थिति का सही अन्दाजा गवर्नमेंट को मिल सकता है और तभी हम प्रगति के मार्ग पर सरकार को अग्रसर कर सकते हैं। मैं पुनः अपने माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देने वाले प्रस्ताव की पुष्टि करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को एकमत से पास करेगा और जो संशोधन इस सम्बन्ध में पेश किए गए हैं, जो बातें मैंने कहीं और जो बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं उनको दृष्टि में रखते हुए, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और मैं उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं मूल प्रस्ताव के ऊपर पहले मत लिये लेता हूं और यदि मूल प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो समझ लिया जायगा कि संशोधन नामंजूर हो गए।

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२२ फरवरी, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

मुगरा बादशाहपुर एन० ई० एस० ब्लाक में मुख्तलिफ मदों पर ३१ अक्टूबर सन् १९५५ तक होने वाले व्यय की सूची ।

भेद	खर्च	रिमार्क्स
	रु० आ० पा०	
१—कर्मचारियों का वेतन	१७,८०९– १ – ०	..
२—भत्ते और आनरेरिया	११,८३२–१२ –०	
३—आकस्मिक व्यय (रेकरिंग)	४,६७०–३ – ९	
४—आकस्मिक व्यय (नान रेकरिंग)	१३,३५२– १ – ६	
५—ईमारतें बनने पर खर्च	४१,३०० – ० – ०	
६—सामाजिक शिक्षा	१०,९७९ – ७ – ०	
७—ग्रान्ट्स-इन-एड	१,२५,६४५ – ४ – ०	इस व्यय में जंघई बादशाहपुर मार्ग के बनने वाला १,००,००० रुपया शामिल है । यह काम सिंचाई विभाग द्वारा होना है ।
८—ऋण		
(१) स्टेट इरिगेशन वर्क्स	१,००,००० – ० – ०	यह रकम सिंचाई विभाग द्वारा बनने वाले ट्यूब वेलों पर खर्च हो चुकी है ।
(२) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए दिया गया खर्च	२६,५०० – ० – ०	
(३) शौर्ट टर्म लोन	३५,७०० – ० – ०	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४० एल० ए०—१९५६—७९६ ।

विधान सभा